वर्ष 29 • अंक 3
अप्रैल-जून 2017

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

सदस्य

Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

- संपादक - मंडल — 1
- संपादकीय — 2
- अनुचिंतन — 4
- भाषण
  - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार – वर्तमान स्थिति, समस्याएं और आगे की कार्ययोजना — एस. एस. मूंदड़ा — 5
- लेख
  - बैंकिंग में कौशल विकास — विजय प्रकाश श्रीवास्तव — 14
  - बैंकों में फॉरेंसिक लेखापरीक्षा — डा. रमाकांत शर्मा — 19
  - बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क — चमन लाल मीना — 24
  - आधुनिक परिदृश्य में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – चुनौतियाँ व निदान — भुवनेश कुमार — 29
  - बैंकों द्वारा आधारभूत संरचना के लिए वित्तपोषण — राकेश चन्द्र नारायण — 34
  - वैकल्पिक वितरण चैनल: बैंकरों व ग्राहकों के लिए वरदान एवं चुनौती — बिनय कुमार पाठक — 39
  - समीक्षा — डा. रमाकांत शर्मा — 44
  - फिनटेक - वित्तीय क्षेत्र का उभरता सितारा — वर्तुल अग्रवाल — 47
  - वस्तु एवं सेवा कर — नौशाबा हसन — 51
- रेग्युलेटर की नज़र से — एल. एन. उपाध्याय — 59
- इतिहास के पन्नों से — डा. विवेक कुमार सिंह — 62
- घूमता आईना — के. सी. मालपानी — 67
- लेखकों से / पाठकों से — 71

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, दूसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा अल्को कॉर्पोरेशन, मुंबई से मुद्रित।
इंटरनेट: https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।
E-mail: rajbhashaco@rbi.org.in फोनः 022-26572801 फैक्सः 022-26572812

संपादक - मंडल

संरक्षक

श्रीमती लिलि वडेरा
मुख्य महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

प्रबंध संपादक

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा
प्रभारी उप महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

श्री गोपाल सिंह
उप महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

श्री राजेश कुमार
सहायक प्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

तकनीकी सहयोगी

श्री सुबोध महरोत्रा
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
डीईपीआर, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051

सदस्य

श्री ब्रिज राज
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
पटना कार्यालय

श्री चरणजीत सिंह
महाप्रबंधक
ओरियन्टल बैंक आफ
कॉमर्स, गुड़गाव

श्री राकेश चन्द्र नारायण
महाप्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
कोलकाता

श्री के.पी. तिवारी
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
डीईपीआर, मुंबई

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं
उप महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

श्री जनमेजय पटनायक
उप महाप्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
सीबीओटीसी, भोपाल

श्री एल. एन. उपाध्याय
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. जवाहर कर्णावट
उप महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

संपादकीय सहयोग

श्रीमती सुषमा फडणीस
सहायक महाप्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डिज़ाइन एवं लेआउट सहयोगी

सुश्री सोमा दास
सहायक प्रबंधक
(राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कला यहयोगी

श्री अभय मोहिते
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुंबई

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है , बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादकीय....

चिंतन

'सएव श्रेयसे नृणाम यस्त्रिवर्गोयुगानुगः'

आशय यह है कि मनुष्य के लिए वही कल्याणकारी होता है, जो तीनों वर्गों (धर्म, अर्थ और काम) की दृष्टि से युगानुगामी अर्थात अपने समय के अनुरूप होता है।

साथियो, उपर्युक्त श्लोक में यह संदेश निहित है कि समय के प्रवाह में अपनी अर्थवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि समय की मांग को समझा जाए और तदनुसार परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार किया जाए। इतिहास साक्षी है कि परिवर्तन किसी की बाट नहीं जोहता। वह अवश्यंभावी है। पुरातनता का मोह हमें प्रायः जकड़े रहता है और इसी के चलते हमें परिवर्तन की प्रक्रिया कई बार पीड़ादायक लगती है। सुमित्रानंदन पंत परिवर्तन का स्वागत करते हैं फिर भी उसे निष्ठुर कहते हैं – *'अहे ! निष्ठुर परिवर्तन'*। महाकवि प्रसाद की 'कामायनी' में मनु महाराज महाप्रलय की पीड़ा से पूरी तरह टूट चुके हैं। श्रद्धा उन्हें नए सिरे से मानव संस्कृति की शुरुआत करने की प्रेरणा देते हुए कहती है- *'प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल'*।

अर्थात समय निरंतर कुछ नए की मांग करता है। नूतनता के अनवरत अनुसंधान की प्रक्रिया विकास का पर्याय है। पश्चिमी विचारक अल्फ्रेड हवाइटहेड कहते हैं – *परिवर्तन के बीच व्यवस्था और व्यवस्था के बीच परिवर्तन को बनाए रखना ही प्रगति की कला है*। बदलते परिदृश्य, बदलते परिप्रेक्ष्य और निरंतर उभरती चुनौतियों का उत्तर तलाशने के क्रम में हमें बहुत कुछ छोड़ना होता है और बहुत कुछ अपनाना होता है और साथ ही, कुछ ऐसा भी होता है जिसे उसी रूप में आगे ले जाना होता है। ऐसा करके ही हम अपने अस्तित्व की सार्थकता को पुनः परिभाषित कर पाते हैं और अपनी परंपरा में कुछ नए अध्याय जोड़ पाते हैं।

अनुचिंतन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व उन्नति ने परिवर्तन की गति बहुत बढ़ा दी है। बैंकिंग और वित्त ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने विगत बीस वर्षों में आमूलचूल बदलाव देखा है। सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग की अवधारणा ही बदल दी है। अभी दो दशक पहले ही हमने बैंक शाखाओं के कंप्यूटरीकरण की बात शुरू की थी। कालांतर में कोर बैंकिंग समाधान जैसी क्रांतिकारी उपलब्धियां मिलीं और आज हम मोबाइल बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग के युग में हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जनित इन बदलावों ने कई चुनौतियाँ भी पेश की हैं। साइबर खतरों से निपटने के लिए बैंकों को निरंतर चौकन्ना रहना पड़ता है। बैंकिंग परिदृश्य तेजी से बदला है। अब गैर-बैंकिंग इकाइयों द्वारा ऐसे बहुत से कार्य किए जा रहे हैं जिन्हें कभी बैंक किया

करते थे। बैंकों का कारोबार अब कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि कारोबार के लिए नए अवसरों, नए क्षेत्रों का अनुसंधान किया जाए।

देश पिछले दो दशकों में आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हुआ है। बैंकिंग और वित्तीय संस्थान इस विकास की धुरी रहे हैं। विभिन्न परियोजनाओं को वित्त मुहैया कराने के साथ-साथ देश की अधिसंख्य जनता को बैंकिंग के दायरे में लाते हुए उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनाने की दिशा में बैंकों ने सरकार के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर कार्य किया है। आर्थिक विकास संधारणीय बने, इसके लिए बैंक कौशल विकास कार्यक्रम चलाते हुए सरकार के 'मेक इन इंडिया' को मूर्त रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। देश की मेहनतकश गरीब जनता शोषण का शिकार न बने, उसे उसकी खून-पसीने की कमाई ईमानदारी से मिल सके इसके लिए डीबीटी जैसी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम बैंकों ने ही किया है। इन सभी प्रयासों के बीच बैंकों, विशेष रूप से सरकारी बैंकों के समक्ष लगातार यह चुनौती रही है कि बैंकिंग व्यवसाय में बने रहने के लिए लाभप्रदता की स्थिति कैसे प्राप्त की जाए। आज इस बात को शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है कि प्राथमिकता क्षेत्र के लिए बैंकिंग को हमें अनुपालनात्मक अपेक्षा मात्र न मानकर इसे कारोबारी अवसर के रूप में लेना चाहिए और एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसी प्रणाली विकसित करने की ओर बढ़ना चाहिए जो इस क्षेत्र में निहित कारोबारी संभावनाओं के अधिकतम दोहन में सहायक हो।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन ने एक ऐसी पत्रिका के रूप में अपनी पहचान बनाई है जो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े समसामयिक मुद्दों के प्रति सतत संवेदनशील है। वर्तमान अंक को विविधतापूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा और फिनटेक पर आधारित लेख जहां सूचना तकनीक के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं वहीं कौशल विकास और सहकारी बैंकिंग पर भी लेख शामिल हैं। माल और सेवा कर यानी जीसटी के बैंकिंग पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच-पड़ताल करता आलेख भी पठनीय हैं। कुल मिलाकर आप पाएंगे कि बैंकों ने परिवर्तन की चुनौती को खुले मन से स्वीकारा है और उससे निपटने के लिए स्वयं को तैयार किया है। जैसा कि पीटर ड्रकर ने कहा है 'आप परिवर्तन का प्रबंध नहीं कर सकते, केवल उससे आगे रह सकते हैं'। बैंकिंग जगत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

प्रिय पाठको, विभिन्न बैंकों से सक्रिय सहयोग प्राप्त करते हुए हम पत्रिका के माध्यम से बैंकिंग–वित्त संबंधी स्तरीय साहित्य हिंदी में तैयार कर रहे हैं। हमें पाठकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पत्रिका की पाठक संख्या आठ हजार तक पहुँच चुकी है। यह हमारे लिए उत्साहजनक है।

आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए पथप्रदर्शक है। पत्रिका को बेहतर बनाने के लिए कृपया अपने अभिमत से हमें अवगत अवश्य कराएं।

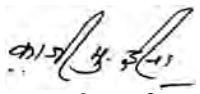

(काज़ी मु. ईसा)
प्रभारी उप महाप्रबंधक
एवं
प्रबंध संपादक

अनुचिंतन

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अक्तूबर-दिसंबर 2016 का उपयोगी अंक पाकर प्रसन्नता हुई। पत्रिका में आधुनिक बैंकिंग के प्रगतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक समय में एक से बढ़कर एक उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक लेख हैं जो बैंक कर्मियों के साथ सामान्यजन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सामान्यजन/ग्राहक अपनी समस्याएं/ शिकायतें लेकर कहाँ जाएं, इस पर भी पत्रिका में दिशा निर्देश आवश्यक हैं। श्रीमान के. सी. मालपानी जी 'घूमता आईना' द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर आईना घुमाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। पत्रिका निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं !

श्री विष्णु शर्मा

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का 'भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली' पर विशेषांक मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद! डॉ. रमाकांत गुप्ता जी के संपादन में प्रकाशित हो रहे इस अंतिम विशेषांक की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। डॉ. रमाकांत गुप्ता जी ने बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन को नई ऊंचाइयाँ अपने संपादकीय काल में प्रदान की हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य के लिए संपादक मंडल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई !

श्री शिवमंगल चौहान

अमरावती, महाराष्ट्र

बैंकिंग चिंतन - अनुचिंतन का अक्तूबर - दिसंबर 2016 का भुगतान एवं निपटान प्रणाली विशेषांक पाकर हर्ष हुआ। अंक का अध्ययन करने पर ज्ञानवृद्धि हुई। सभी लेख अत्यधिक ज्ञानवर्धक तथा सराहनीय रहे। विशेषतः उप गवर्नर श्री आर. गांधी का लेख एक आदर्श भुगतान प्रणाली सिद्ध कर दिखाया है जिसे विश्व अपना सकता है क्योंकि हमारी भुगतान निपटान प्रणाली ने समूचे विश्व में आदर्श मानक सिद्ध किए हैं। इसी प्रकार डॉ. साकेत सहाय के आलेख में भी भुगतान प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विस्तृत वर्णन क्रमवार किया गया है। वर्तमान वैश्विक वित्तीय क्षितिज में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नकदी रहित बनाने में क्रेडिट-कार्डों की अहम भूमिका की संस्कृति-रीति का विस्तृत उल्लेख बैंक ऑफ इंडिया के संकाय सदस्य श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव ने बहुत अच्छी तरह किया है। नई भुगतान प्रणाली का क्रमवार वर्णन सटीक तरीके से श्री ध्रुव मुखर्जी के आलेख में बहुत ही उत्कृष्टतापूर्ण ढंग से किया हुआ है जिसमें कार्यप्रवाह का वर्णन अत्यंत रुचिपूर्ण लगा। डॉ. जवाहर कर्णावट के निबंध "बैंक ऑफ बड़ौदा की अनूठी डिजिटल शाखा" द्वारा नकदी रहित भुगतान प्रणाली को अधिक कुशलतापूर्ण और भावी संशोधित ढंग की अपेक्षित स्वरूप की होने की ओर संकेत अति सराहनीय प्रतीत हुआ है। श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी ने देशी बैंकों की भुगतान और निपटान प्रणाली पर रिज़र्व बैंक का विजन 2018 दस्तावेज को विस्तृत वर्णन करके समझाया है। विजन दस्तावेज का उल्लेख रुचिपूर्ण ढंग का लगा।

अंततः पत्रिका के संपादक, लेखक और प्रकाशक सभी को भविष्य में इसी प्रकार के सम-सामयिक विषयों-विधाओं से ओतप्रोत अंकों के प्रकाशनार्थ बधाइयों के साथ अगले अंक की प्रतीक्षा में।

श्री हरिश्चंद्र अग्रवाल

स्टेट बैंक अधिकारी (सेवानिवृत्त)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार – वर्तमान स्थिति, समस्याएं और आगे की कार्ययोजना *

एस. एस. मूंदड़ा

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) के मेरे साथियो, यहाँ एकत्रित हुए विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी कारोबार के प्रभारी अधिकारीगण और रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के मेरे सहयोगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमसे जुड़े हैं- सभी को सुप्रभात! प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) के प्रवाह के संबंध में सीएबी द्वारा इस सेमिनार का आयोजन बहुत ही उपयुक्त समय पर किया जा रहा है। इस प्रकार के सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जहाँ विचारों का आदान-प्रदान होता है और फीडबैक मिलता है जो नीति निर्धारण के लिए इनपुट का कार्य करता है। मेरा मानना है कि सबसे अलग-थलग रहते हुए तैयार की गयी नीतियाँ कागज़ पर तो अच्छी लग सकती हैं, परंतु वास्तविक कार्यान्वयन के समय ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अधिक सक्षम नहीं रहेंगी।

भूमिका

2. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के संबंध में बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने के पीछे निहित सोच यह है कि समाज के उन तबकों को मजबूत बनाया जाए जिन्हें ऋण के लिए पात्र होने के बावज़ूद औपचारिक व्यवस्था के तहत समय पर ऋण-सुविधा नहीं मिल पाती या पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल पाता। आर्थिक दृष्टि से देखें तो कुछ क्षेत्रों/उधारकर्ताओं को पर्याप्त ऋण न मिलने के कई कारण हैं। किसी समय विशेष पर संस्थानों के पास उधार देने के लिए संसाधन सीमित होते हैं और ऐसे में, इस बात में तालमेल बिठाने की कशमकश चलती रहती है कि कितना समय और श्रम लगाना उचित है और नये कारोबार से किस प्रकार की टॉपलाइन या बॉटमलाइन पैदा होगी। यदि कारोबार इस तरह से चलेगा तो इस बात की संभावनाएं तो रहेंगी ही कि जिन क्षेत्रों को क्रेडिट की वास्तव में आवश्यकता है, वे इससे वंचित रह जाएं। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण के लिए बनाए गए मानदण्डों की मूल प्रेरणा यहीं से मिली है। अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के मद्देनज़र इन दिशानिर्देशों में भी समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार : एक कारोबारी अवसर

3. मूल विषय पर आने से पहले मैं कुछ नीतिगत और कारोबारी योजना से जुड़ी बातें करना चाहूंगा। पीएसएल दिशानिर्देशों को लागू हुए एक लंबा अरसा गुज़र चुका है- लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनके तहत उप लक्ष्य बने हैं लेकिन दु:ख की बात यह है कि प्राय: इन मानदण्डों को केवल अनुपालन के नज़रिए से देखा जाता है। यहाँ उपस्थित बैंकों के पीएसएल

* कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में 27 जून 2017 को 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण का प्रवाह - नीति और उसका कार्यान्वयन' विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण।

प्रमुखों से जो सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि वे अपने वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र और बोर्ड के निदेशकों तक यह संदेश पहुंचाएं कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना एक अच्छा कारोबार है और इसके उचित और तर्कसंगत कारण मौजूद हैं। इसके पक्ष में आपके द्वारा दिए जाने वाले तर्क पहले की तुलना में अब शायद ज्यादा विश्वसनीय लगेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि बैंकों ने बड़े कॉर्पोरेट्स को आवश्यकता से अधिक ऋण दिया और उसके परिणाम सबके सामने हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण देना उस दृष्टिकोण का परिचायक है जिसे मेरे विचार से 'न्यूनतम इनपुट और अधिकतम आउटपुट' वाला नज़रिया कहा जा सकता है। बहुत थोड़े से प्रयास से अत्यधिक बड़ा ऋण संविभाग तैयार हो जाता है जबकि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में उतने ही बड़े ऋण के लिए बड़ी संख्या में बैंक स्टाफ और परिचालन से जुड़े अन्य लोगों को मेहनत से काम करना पड़ता।

4. अब छोटे-छोटे ऋणों पर ध्यान केंद्रित करना और अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वह है विनियामकीय पक्ष। हाल के दिनों में कुछ ध्यान देने योग्य परिवर्तन देखने को मिले हैं (क) एकल और सामूहिक उधारकर्ताओं के लिए ऋण की सीमा में संशोधन हुआ है; और (ख) किसी भी इकाई का पूरी बैंकिंग प्रणाली में कितना ऋण जोखिम को एक निर्धारित सीमा के भीतर रखना अनिवार्य बना दिया गया है। इन परिवर्तनों के बाद कॉर्पोरेट्स की यह मजबूरी होगी कि वे अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए धीरे-धीरे बाजार का रुख़ करें। बीते समय के कड़वे अनुभवों और जोखिम विशाखन की आवश्यकता को छोड़ दें तो भी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में निहित आय-अर्जन की संभाव्यता एक और कारण है जो बैंकों को बेहतर कारोबारी संभावनाओं की तलाश में अन्यत्र देखने पर बाध्य कर रही है। इतना ही नहीं, हम यह देख रहे हैं कि बैंकों ने कॉर्पोरेट से रिटेल संविभाग की ओर रुख करने की नीति अपना ली है। मैं यह नहीं कहता कि 'रिटेल' की ओर बढ़ने की नीति सही नहीं है, लेकिन यदि समग्र आर्थिक और ऋण परिदृष्य की बात की जाए तो 'रिटेल' ऋण का उपयोग उधारकर्ताओं द्वारा प्राय: ऐसे कार्यों में किया जाता है जिनसे न तो कोई आय अर्जित होती है और न ही किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है। वहीं दूसरी ओर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋण आर्थिक गतिविधियों में मददगार साबित होते हैं, आय के स्रोत बनते हैं और इनसे लाभ भी कमाया जाता है। इस प्रकार के उधारकर्ता बाद में 'रिटेल ऋण' के लिए पात्र ग्राहक बनते हैं। यही कारोबारी संभावनाओं की तलाश में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की ओर बढ़ने के पीछे निहित सोच है और कारण भी।

क्या कोई वास्तविक प्राथमिकता क्षेत्र वर्टिकल है?

5. मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक ऐसी बात जो कि सरकारी बैंकों के लिए और कुछ हद तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शायद कुछेक निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी अधिक प्रासंगिक है। यह प्राथमिकता क्षेत्र वर्टिकल के कामकाज के तरीकों से संबंधित है। सभी सरकारी बैंकों में प्राथमिकता क्षेत्र की जिम्मेदारी विभिन्न वर्टिकल्स में बांट देने की प्रथा है। ग्रामीण ऋण अथवा कृषि वित्त वर्टिकल बना हुआ है, सूक्ष्म, लघु और मँझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक अलग से वर्टिकल है, किफायती आवास संविभाग हो सकता है रिटेल का ही एक भाग हो और पिछले संशोधन के तहत प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल नवीकरणीय ऊर्जा और मंझोले उद्योग जैसे क्षेत्रों को ज्यादा संभावना है कि मिड कॉर्पोरेट अथवा बड़े क्रेडिट या कॉर्पोरेट समूह में रखा गया हो। हो सकता है कि इनसे भिन्न एक वित्तीय समावेशन वर्टिकल भी बना हो। प्राथमिकता-

प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने हेतु कोई समग्र कार्यनीति तैयार करने के उद्देश्य से इन अलग-अलग वर्टिकलों के बीच समन्वय स्थापित करने का कोई प्रयास किया भी जाता है या नहीं - मुझे नहीं पता। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्राथमिकता क्षेत्र वर्टिकल एक आंकड़ा संग्रहण और विवरण तैयार करने वाले वर्टिकल में तब्दील होकर रह गया है। इसके अलावा, ऐसे कितने बैंक हैं जो अपने बोर्ड की बैठकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कार्यनीति पर चर्चा करते हैं।

6. यह आवश्यक है कि ये सभी वर्टिकल स्वयं को थोड़ा विस्तार दें और पारस्परिक सामंजस्य से सामूहिक रूप से एक कार्ययोजना तैयार करें और फिर इस कार्ययोजना को व्यापक चर्चा और मार्गदर्शन हेतु बोर्ड के समक्ष रखें। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियाँ आंकड़ा संग्रहण की कवायद मात्र बन कर न रह जाएं।

राज्य-स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) द्वारा अनुमोदित योजना और प्राथमिकता क्षेत्र वर्टिकल द्वारा तैयार की जाने वाली योजना में किसी प्रकार का संबंध होता है?

7. बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र गतिविधियों से बहुत सी एजेंसियां जुड़ी रहती हैं। एसएलबीसी का गठन किया गया है जहाँ जिला स्तरीय ऋण योजना (डीसीपी) तैयार की जाती है और जिला स्तर पर अग्रणी बैंक कार्यालय कार्य करते हैं। नाबार्ड क्षमता आधारित ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता है। एसएलबीसी इसे अपनाती है और फिर इसे सभी बैंकों में बांटा जाता है। मुझे इस बात में संदेह है कि प्राथमिकता क्षेत्र के लिए बनी समग्र कार्यनीति और एसएलबीसी और डीसीपी द्वारा किए जा रहे कार्य में कोई तार्किक संबंध होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक एसएलबीसी के ढाँचे में आमूलचूल परिवर्तन के बारे में सोच रहा है जिसके परिणामस्वरूप इनमें से कुछ में बदलाव आएगा।

आंकड़े जुटाना और प्राथमिकता क्षेत्र के लिए इसके निहितार्थ

8. वर्तमान में हम भारतीय रिज़र्व बैंक के भीतर ही एक परियोजना पर काम कर रहे हैं जिससे कोर बैंकिंग समाधानों (सीबीएस) के जरिये ही आंकड़े जुटाने का कार्य किया जा सकेगा। ऋण आयोजना की समग्र प्रक्रिया में आंकड़ों की अविश्वसनीयता एक बड़ा मुद्दा है और किन्हीं अर्थों में यह एक ऐसी बाधा बना हुआ है जिसके कारण बैंक सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते और सही नीतियाँ नहीं बना पाते। इस परियोजना का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन यह जरूरी है कि लागू होने के बाद यह भी आँकड़ेबाजी और अनुपालन की औपचारिकता पूरी करने के एक माध्यम के रूप में न देखा जाए। यह बैंकों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है क्योंकि वे इसमें उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे, विश्लेषण की तकनीकों के जरिए उनकी व्याख्या कर सकेंगे और सही कार्यनीति तैयार कर सकेंगे। ठोस आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर उनके लिए प्रमुख क्षेत्रों और उत्पादों की पहचान करना आसान हो जाएगा। ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण है कि वरिष्ठ तंत्र में कार्यरत लोग इस कार्य को उसकी सही भावना के अनुरूप लेते हुए सराहें।

अनुसंधान

9. व्यापक नीति और कार्ययोजना तैयार करने के पहलू पर एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि बैंक निजी तौर पर भी अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ निवेश करें- मैं बहुत गहन अकादमिक अनुसंधान की बात नहीं कर रहा बल्कि ऐसा अनुसंधान जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीतियां बनाने और कारोबारी योजनाएं तैयार करने में सहायक हो।

10. अब मैं प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में हाल के समय में हुए कुछ बदलावों और इस क्षेत्र में उभरती कारोबारी संभावनाओं के बारे बात करना चाहूंगा।

विविधताओं से भरा क्षेत्र

11. पिछले संशोधन में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का काफी विस्तार कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, मँझोले उद्यम, एग्रो-प्रोसेसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई नये क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। इस प्रकार कई नई गतिविधियों को भी इसके तहत अनुमति दी गयी है, लेकिन साथ-ही-साथ इस बात का ध्यान रखते हुए कि इस विशाल कैनवस के भीतर छोटे और सीमांत किसान तथा सूक्ष्म उद्यमों को नुकसान न पहुंचे, इनके लिए कुछ उप-सीमाएं भी तय की गयी हैं। इस प्रकार के संशोधन करने से और ऐसा ढाँचा तैयार करने से आप में से हर किसी को इस बात की आजादी मिलती है कि आप अपने मजबूत पक्ष की पहचान कर सकें और उस क्षेत्र में अपना अधिकतम प्रयास कर सकें। इस प्रकार से आप अधिशेष उत्पन्न कर सकेंगे और उसे प्राथमिकता क्षेत्र उधार बाजार (पीएसएलसी) में उसके जरिए उन क्षेत्रों के सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं जिनमें दूसरों ने अधिशेष उत्पन्न किया है। पीएसएलसी का पूरा कारोबार इसी सिद्धांत पर चलेगा। मैं पीएसएलसी बाजार में हाल के दिनों में हुए परिवर्तनों की बात थोड़ी देर बाद करना चाहूंगा।

रोजगार सृजन, स्वरोजगार की क्षमता और प्राथमिकता क्षेत्र के लिए इसके निहितार्थ

12. इस क्षेत्र में अवसर काफी कम हैं। एक अवसर तो जनांककीय परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता दिखता है। नौकरी की तलाश में बड़ी संख्या में युवाओं के इस प्रणाली में शामिल हो रहे हैं। यह उम्मीद करना कि इनमें से हर किसी को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिल जाएगा, वास्तविकता से परे होगा। उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो विनिर्माण, सेवा क्षेत्र की छोटी-छोटी गतिविधियों में लगे होंगे या छोटे उद्यम चलाते हुए लाभ कमा रहे होंगे। इस प्रकार स्वरोजगार की क्षमता वाले लोगों की संख्या काफी बड़ी होगी। इसके मायने हुए कि बैंकों के लिए कारोबार के अच्छे अवसर बनेंगे। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई अभिनव योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया आदि इस आपसी संबंध को प्रोत्साहित कर रही हैं। लेकिन जब तक इस दिशा में अनुसंधान नहीं किया जाता, प्राप्त आंकडों का विश्लेषण नहीं किया जाता और तदनुसार नीति और कार्ययोजना नहीं तैयार की जाती, तब तक इस अवसर का पूरा लाभ लेना संभव नहीं है।

शहरीकरण की तेज रफ्तार और प्राथमिकता क्षेत्र पर इसका असर

13. व्यापक स्तर पर प्रभावित करने वाली एक अन्य घटना जिसकी रफ्तार निकट भविष्य में और बढ़ने वाली है, वह है तीव्र शहरीकरण। वर्तमान में देश की लगभग 32 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आगामी 10-15 वर्षों में यह आंकड़ा 42 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इस घटना के मद्देनज़र एक बार पुन: यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विभिन्न वर्टिकलों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए और पूरे बैंक को इस संबंध में एक सामूहिक कार्यनीति बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, गाँवों से शहरों में आकर शिफ्ट हो रहे लोग हो सकता है कि बैंक की ग्रामीण शाखा के ग्राहक रहे हों। परंतु जब वे शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं तो क्या बैंकों के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे उनकी ग्रामीण शाखाएं शहरी या अर्धशहरी शाखाओं को यह जानकारी दे सकें कि ये ग्राहक किस स्थान के लिए पलायन कर रहे हैं। सूचना के इस नेटवर्क का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है क्योंकि जब लोग नई जगह पर आकर बसते हैं तो उनकी नई-नई ज़रूरतें होती हैं और यह भी संभव है कि वे कोई नया कारोबार शुरू करें जिसके लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता हो। इसीलिए मेरा

यह मशविरा है कि इस समन्वित दृष्टिकोण को बैंक अपनी कारोबारी नीति का अभिन्न अंग बनाएं। पलायन कर रही इस बड़ी जनसंख्या में निहित कारोबारी संभावनाओं के दोहन के लिए उन्हें समुचित संचार माध्यम विकसित करने ही होंगे।

वित्तीय समावेशन (एफ आई) क्या प्राथमिकता क्षेत्र का ही एक हिस्सा है ?

14. जैसा कि मैं कह चुका हूं, कई बैंकों में वित्तीय समावेशन एक अलग वर्टिकल है। ऐसी स्थिति में आपसी समन्वय का अभाव होगा ही। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित बात आपसे कहना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि आप जब इस सम्मेलन से वापस जाएं तो इस बात पर चिंतन-मनन करें। हम एक विशेष प्रकार के संगठनात्मक ढाँचे में कार्य करने के आदी हो जाते हैं जहाँ हम एकाकी रूप से अपने काम में लगे रहते हैं। हमारे दिमाग में यह बात शायद आती ही नहीं कि संगठन की विभिन्न गतिविधियों के बीच एक समन्वय होना चाहिए जिससे एक बेहतर नया ढाँचा खड़ा हो सके। मेरा यह सुझाव है कि यदि आपके बैंक में वित्तीय समावेशन एक अलग वर्टिकल हो तो उसे प्राथमिकता क्षेत्र में ही शामिल कर लें।

प्रौद्योगिकी के सहारे कम लागत पर ऋण वितरण

15. अंतत: आपको यह ध्यान में रखना है कि छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म उद्यम, किफायती आवास मिलकर प्राथमिकता क्षेत्र का आधा या आधे से भी अधिक हिस्सा बनाते हैं। फिर भी, यदि इस हिस्से के तहत दी जा रही सेवा को लाभप्रद बनाना है तो ऐसा केवल तभी संभव है जब प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। इसलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उनका ऋण वितरण मॉडल कम लागत वाला हो। कुछ सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने प्रौद्योगिकी आधारित कम लागत वाले ऋण वितरण मॉडल विकसित किए हैं और काफी अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं।

वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडलों का उपयोग

16. अगर आप माइक्रो उद्यम आदि वाले ऋण संविभाग को सामान्य क्रेडिट रेटिंग / स्कोरिंग मॉडल में फिट करने का प्रयास करेंगे तो वह उचित नहीं। अगर आप उनको कर्ज- इक्विटी अनुपात, कर्ज सेवा कवरेज अनुपात आदि जैसे सामान्य मानदण्डों पर आंकने का प्रयास करेंगे तो यह गलत प्रयास साबित होगा। अत: आपको क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमारी वित्तीय प्रणाली में इस संबंध में काफी प्रयास किए गए हैं और बहुत से ऋणदाता अब ऐसे क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल का उपयोग करने लगे हैं जिसमें भुगतान का इतिहास, धन-प्रेषण का इतिहास, बिल भुगतान का इतिहास आदि जैसी बातों से संबंधित आंकड़े भी इकट्ठा किए जाते हैं ताकि उधारकर्ताओं की ऋण चुकौती क्षमता का विश्लेषण किया जा सके। आजकल इस प्रकार के आंकड़े किसी न किसी प्रकार उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ बैंकों ने छोटे उधारकर्ताओं को देय ऋण-राशि की सीमा के अग्रिम अनुमोदन हेतु इनका इस्तेमाल किया है। ऐसा वे पहले से ही करके रखते हैं और ऋण के लिए उधारकर्ताओं को बैंक के पास आने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि बैंक खुद ही उनसे संपर्क करते हैं। हम बड़ी-बड़ी ऋणराशियाँ कॉर्पोरेटों को देते रहे हैं, परंतु अब समय आ गया है कि हम छोटे उधारकर्ताओं और आम आदमी को ऋण मुहैया कराएं।

17. प्राथमिकता क्षेत्र में व्यवसाय करने से जुड़े ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। हमें इस क्षेत्र में उभरती संभावनाओं के प्रति सचेत रहना है और इन संभावनाओं का लाभ लेते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण कारोबार को सफल बनाना है।

प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कार्यनिष्पादन

18. अब मैं तेजी से आगे बढ़ते हुए प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के प्रवाह से संबंधित कुछ मुद्दों की चर्चा करना चाहूंगा। जब मैं

वर्ष 2016-17 के लिए अभी हाल ही में लाए गए उप-लक्ष्यों के तहत किए गए कारोबार को देखता हूं, तो मुझे कुछ रोचक रुझान देखने को मिलते हैं, हालांकि आंकड़े अभी अनंतिम हैं। प्राथमिकता क्षेत्र को समग्र उधार हेतु निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से सरकारी और निजी – दोनों क्षेत्रों के बैंकों ने अच्छा कारोबार किया है। सरकारी क्षेत्र का सामूहिक कारोबार 40% के लक्ष्य से थोड़ा ही नीचे रहा जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने 40% से काफी अधिक कारोबार किया है। ऐसे विदेशी बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं वे भी अपनी निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार चल रहे हैं क्योंकि उनसे भी यह अपेक्षित है कि वे भी धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जिन विदेशी बैंकों की 20 से कम शाखाएं हैं, वे भी वर्तमान में सही दिशा में बढ़ते लग रहे हैं।

19. छोटे और सीमांत कृषकों के मामले में सरकारी बैंकों ने निर्धारित उप सीमा से थोड़ा अधिक कारोबार किया जबकि निजी क्षेत्र के बैंक लक्ष्य से पीछे रहे और उनका कार्यनिष्पादन 2015-16 के दौरान लगभग 5% रहा। वर्ष 2016-17 में भी इसमें अधिक सुधार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में सरकारी बैंक उप लक्ष्य हासिल नहीं कर सके जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक कारोबार (8% से अधिक) किया। इसमें एक अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण तथ्य छिपा है कि यद्यपि निजी क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा नेटवर्क बना लिया है, और जहाँ नहीं है, वहाँ उनका हब एण्ड स्पोक मॉडल काम कर रहा है, तथापि, अभी भी उनका ध्यान मुख्य रूप से शहरी जनसंख्या पर ही है। बैंक किन क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करें इस क्षेत्र में कार्ययोजना बनाने का कार्य मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं, तथापि हमें सावधान रहना होगा कि किसी संविभाग विशेष में यदि समग्र घाटे की स्थिति बनी रहती है तो पीएसएल सार्टिफिकेटों की आपूर्ति रोकी भी जा सकती है। शायद एक अच्छी कारोबारी योजना यह होगी कि घाटे को बड़े प्रतिशत में नहीं बल्कि कम से कम स्तर पर छोड़ा जाए अन्यथा बाद में यह बहुत महंगा साबित हो सकता है।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार में प्रोत्साहक तत्त्व

20. अब मैं आपसे कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करना चाहूंगा जो ऋण प्रवाह, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह, में तेजी लाने के लिए किए गए हैं क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि रोजगार के अवसर पैदा करने में निर्णायक भूमिका निभाता है और सभी के लिए रोजगार आज की प्रमुख आवश्यकता के साथ-साथ राष्ट्र के समक्ष एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

1) एमएसएमई क्षेत्र

(i) फैक्टरिंग लेन-देन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा 'विद रिकोर्स' आधार पर किए जाने वाले फैक्टरिंग लेनदेन को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने की अनुमति दी थी ताकि एमएसएमई क्षेत्र को अधिक से अधिक चलनिधि उपलब्ध करायी जा सके। इसके अलावा, व्यापारिक प्राप्ति बट्टाकरण प्रणाली (ट्रेड्स) के ज़रिये किए जा रहे फैक्टरिंग लेन-देन भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं। इस संबंध में हम यह भी जानते हैं कि बहुत से बैंक ऐसे हैं जिनके पास खुद का वेंडर फिनांस प्लैटफॉर्म है जिन पर वे एमएसएमई क्षेत्र को 'विदाउट रिकोर्स' आधार पर और कॉर्पोरेट को 'विद रिकोर्स' आधार पर फैक्टरिंग लेन-देन कर रहे हैं। चूंकि ट्रेड्स के तहत लाइसेंस प्राप्त दो इकाइयों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, यह आशा की जा रही है कि इससे बेहतर मूल्य तक पहुंच बढ़ेगी और एमएसएमई के लिए ज्यादा उपयुक्त दरें मिल सकेंगी। अब बैंक ट्रेड्स के माध्यम से 'विदाउट रिकोर्स' फैक्टरिंग लेन-देन को बढ़ावा देंगे क्योंकि इसके प्राथमिकता क्षेत्र से जुड़े होने का लाभ भी उन्हें मिल सकेगा।

(ii) क्षमता निर्माण

पिछले दो वर्षों से एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में बैंकरों की क्षमता निर्माण करने के क्षेत्र में सीएबी एक बड़ा अभियान चला रहा है जिसे बैंकरों की क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय मिशन (नैमकैब्स) कहा जाता है। मैं समझता हूं कि अब तक इसके तहत 5 हजार से अधिक बैंकरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो नैमकैब्स ने तीन प्रकार के सहभागियों पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया है, (1) कॉर्पोरेट कार्यालयों में कार्य कर रहे नीति निर्माता, (2) विशेषीकृत एमएसएमई शाखाओं में कार्यरत अधिकारी और (3) अलग-अलग बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों में सेवारत प्रशिक्षक। फिर भी, हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि सीएबी पूरे बैंकिंग समुदाय को प्रशिक्षित कर सकता है। इस अभियान के पीछे उद्देश्य यही था कि बैंक के भीतर एक लक्षित समूह तैयार किया जाए जो इस अभियान को बढ़ाए। लेकिन यदि इन प्रशिक्षित अधिकारियों का नियोजन इस प्रकार नहीं किया जाएगा जिससे उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल का लाभ मिल सके तो क्षमता निर्माण की दिशा में सीएबी द्वारा किए जा रहे ये समस्त प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे।

(iii) क्लस्टर दृष्टिकोण

अब तक के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाए तो एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देना कहीं अधिक सार्थक और सुरक्षित है। अलग-अलग इकाइयों को एकाकी रूप से ऋण देने के बजाय यदि बैंकों को कारोबारी संभावनाएं तलाशनी हैं और ऐसी इकाइयों को ऋण प्रदान करना है जिनकी चुकौती क्षमता मजबूत है, तो क्लस्टर दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरी राय तो यह है कि बैंकों को चाहिए कि वे न केवल मौजूदा क्लस्टरों को ऋण प्रदान करें बल्कि ऐसे नए क्लस्टर बनाने को भी प्रोत्साहन दें। ऐसा करने के लिए बैंकों को मजबूत डाटाबेस की आवश्यकता होगी और ऐसे क्षेत्रों, ऐसी गतिविधियों पर आंतरिक अनुसंधान करते हुए एक डिलीवरी मॉडल विकसित करना होगा।

(iv) संयुक्त ऋण व्यवस्था (को-ओरिजिनेशन ऑफ लोन्स)

एक और बात कहना चाहता हूं जो एमएसएमई एवं उससे भी अधिक माइक्रो इकाइयों से संबद्ध है और जिसे मैं पिछले काफी समय से अलग-अलग मंचों पर दोहराता रहा हूं। यह संयुक्त ऋण व्यवस्था के बारे में है जिस पर रिज़र्व बैंक में काम चल रहा है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसने बैंकों से सबसे ज्यादा ऋण लिया है तो हम पाएंगे कि यह वित्तीय मध्यस्थता वाला क्षेत्र है। इसका मतलब यह है कि बैंक गैर बैंकिंग कंपनियों (एनबीएफसी) / सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) / आवासीय वित्त कंपनियों को जो ऋण हम देते हैं उसका इस्तेमाल वे अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए करती हैं। मैं इसे ढीली- ढाली बैंकिंग कहूंगा जिसमें अंतत: न तो बैंक को और न ही अंतिम ग्राहक को फायदा होता है। तो, क्या हम कोई ऐसा स्थायी संयुक्त ऋण ढाँचा विकसित कर सकते हैं ? बैंक और एमएफआई आपसी तालमेल से संयुक्त रूप से ऋण देने की ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें जोखिम और ऋण से जुड़ी हुई अन्य बातों में पारस्परिक सहमति से साझेदारी हो? इससे बैंकों को अपने पोर्टफोलियो में विस्तार करने और अपने जोखिम के विशाखीकरण (डाइवर्सीफिकेशन) का अच्छा अवसर मिल सकेगा। यह एक प्रकार से पारिश्रमिक भी देगा और साथ ही, प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में बैंकों के लिए सहायक होगा। रिज़र्व बैंक में इस पर विचार-विमर्श चल रहा है और हम कुछ ही समय में इस पर एक अंतिम राय बना लेंगे।

2) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

पीएसएलसी ट्रेडिंग का उत्साहजनक प्रतिसाद मिला है। पहले ही साल में लगभग रु.1265 बिलियन मूल्य के कारोबारी

प्रस्ताव पीएसएलसी प्लैटफॉर्म पर प्राप्त हुए हैं जिनमें से लगभग रु.498 बिलियन मूल्य के प्रस्तावों का निपटान किया गया। यह एक अच्छी शुरुआत है। पीएसएलसी ट्रेडिंग की चार श्रेणियों में से पीएसएलसी – छोटे और सीमांत किसान और पीएसएलसी-सामान्य श्रेणी में अधिक ट्रेडिंग देखी गयी। लेन-देन की राशि की दृष्टि से देखें तो पीएसएलसी ट्रेडिंग की चार श्रेणियों में से पीएसएलसी – छोटे और सीमांत किसान श्रेणी में रु.230 बिलियन और पीएसएलसी-सामान्य श्रेणी में रु.200 बिलियन का लेन-देन हुआ और शेष राशि का कारोबार अन्य दो श्रेणियों में मिलाकर किया गया। जैसे कि आशा थी, अधिकांश कारोबार तिमाहियों के आखिरी दिनों में हुआ चूंकि वर्तमान में प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों की मॉनिटरिंग तिमाही आधार पर की जाती है। ऐसे पीएसएलसी जिनकी खरीद-फरोख्त पहली तिमाही में हुई वे अधिक प्रीमियम पर थे और ऐसा तो होना ही था क्योंकि पीएसएल अधिकारों की वैधता 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। पीएसएलसी प्लैटफॉर्म एक आदेश मिलान प्लैटफॉर्म है लेकिन इसका एक दुखद पहलू जो हमारे देखने में आया है वह यह है कि कुछ इकाइयां द्विपक्षीय ट्रेडिंग कर लेती हैं और फिर इसे इस प्लैटफॉर्म पर रखती हैं जिससे अनाम आदेश मिलान की भावना को क्षति पहुंचती है। पीएसएलसी का इस्तेमाल मात्र एक रिपोर्टिंग प्लैटफॉर्म के तौर पर न करके उसी अनुरूप किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे तैयार किया गया है और केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही।

21. अपनी बात समाप्त करने के पूर्व मैं संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा जो कि सभी श्रेणियों के बैंकों के लिए प्रासंगिक हैं चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों, निजी क्षेत्र के हों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हों या लघु वित्त बैंक।

(i) कम लागत पर आवास और स्वच्छता

प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर कम लागत पर आवास एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं और बैंकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पिछले संशोधन में हमने निजी स्वच्छता ढाँचे हेतु ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने की अनुमति दे दी है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है और हर घर में निजी टॉयलेट बनाने का आंदोलन भी चल रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र के लिए समग्र नीति बनाते समय बैंकों को चाहिए कि वे स्वच्छता संबंधी आधारिक अवसंरचना हेतु ऋण प्रदान करने पर ध्यान दें।

(ii) कृषि मूल्य शृंखला वित्तपोषण

दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराने का है। कृषि मूल्य शृंखला को वित्त उपलब्ध कराने के प्रयास जब तक एक संगठित आंदोलन का रूप नहीं लेते, तब तक यह अनुपालन के लिए किया जाने वाला एक कार्य मात्र बना रहेगा और इससे अर्थव्यवस्था को जैसा लाभ होना चाहिए वह नहीं प्राप्त हो सकेगा। जब तक कृषि ऋण को मूल्य शृंखला से जोड़ा नहीं जाता, तब तक इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह एक अनुपालनात्मक कार्रवाई मात्र बना रहेगा।

(iii) जल संरक्षण और सौर ऊर्जा पम्पों को आर्थिक गतिविधियाँ मानते हुए उनके लिए वित्त उपलब्ध कराना

तीसरा क्षेत्र जल संरक्षण का है। वाणिज्यिक बैंक में पहले के मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि देश के कई भागों में जल संरक्षण के कार्य को आर्थिक गतिविधि मानते हुए इसके लिए ऋण मुहैया कराकर हम अच्छा कारोबार कर सकते हैं। सूखे के समय यह फसल को बचाए रखता है और भूजल स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होता है। बैंकों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। यह भी एक ऐसी गतिविधि है जिस पर अनुसंधान और सर्वेक्षण करते हुए एक ऐसा मॉडल बनाने की आवश्यकता है जिससे किसानों तक पहुंचा जा सके। इसी प्रकार सोलर पम्प-सेटों के लिए वित्तपोषण भी बैंकिंग कारोबार का एक नया क्षेत्र बन सकता है। छोटे और मँझोले

किसानों के लिए इस प्रकार के कदम बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो सकारात्मक परिणाम ला सकती हैं लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब इनके साथ-साथ वित्तीय जागरूकता का प्रसार भी किया जाए।

(iv) एसएचजी बैंक संपर्क मॉडल

एक अन्य क्षेत्र है-एसएचजी मॉडल। बीते समय में एसएचजी मॉडल एक मजबूत मॉडल रह चुका है। यद्यपि हाल फिलहाल में इसका प्रभाव कुछ घटा है, फिर भी बैंकों को चाहिए कि वे एसएचजी मॉडल के माध्यम से ऋण प्रदान करने की संभावनाओं की समीक्षा करें।

(v) ग्रामीण पदस्थापन

विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन की पूरी नीति पर नये सिरे से विचार किया जाए। हालांकि इस संबद्ध में नियम बनाए गए हैं और विनियामकीय अपेक्षाएं भी हैं लेकिन इस ढाँचे के भीतर रहते हुए भी बैंकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग को लेकर अधिक सार्थक नीति बनायी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित बैंक स्टाफ वहाँ पर एक निर्धारित समयावधि तक रुके, और दूसरे यह कि जितनी भी अवधि तक वे वहाँ रहें, अपना अधिकतम संभव योगदान करें। मुझे पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक शाखाओं के कामकाज के संबंध में यह एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे में आप सभी प्रभारी अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि इस मामले की बारीकी से निगरानी करें।

(vi) लघु वित्त बैंक (एसएफबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसएफबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देशों पर एक विस्तृत सार-संग्रह तैयार किया है। परिचालन प्रारंभ कर देने के उपरांत एसएफबी को पीएसएलसी में ट्रेडिंग करने की अनुमति भी दी गयी है और इसके लिए उन्हें 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त हो जाने की प्रतीक्षा भी नहीं करनी है। पीएसएलसी में हो रही कुल ट्रेडिंग के 15% से अधिक की ट्रेडिंग एसएफबी के माध्यम से की जा रही है जो कि एक अच्छा रुझान है। अभी इसी वर्ष से एसएफबी को एसएलबीसी बैठकों में भाग लेने की अनुमति भी दी गयी है लेकिन अप्रैल 2018 तक उनके लिए वार्षिक ऋण योजना के तहत कोई अपेक्षाएं निर्धारित नहीं की गयी हैं। एसएफबी के लिए भुगतान बैंक बीसी के रूप में कार्य करेंगे और यह इन दोनों का गठजोड़ बहुत अच्छे फल देगा क्योंकि बहुत से भुगतान बैंक ऐसे हैं जिनकी पहुंच बहुत व्यापक और भीतर तक है।

निष्कर्ष

22. निष्कर्ष रूप में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने-अपने बैंक में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संविभाग के मुखिया हैं और आप प्राथमिकता क्षेत्र जैसे बड़े क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव ला सकते हैं। बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के तहत दिया जाने वाला हर एक ऋण किसी का जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है और समग्र रूप से देखें तो प्राथमिकता क्षेत्र के माध्यम से इस देश के असंख्य लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकता है। आपको इस परिवर्तन को साकार करने का माध्यम बनना है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस सेमिनार के प्रमुख विचार-बिंदुओं को अपने उच्च प्रबंध तंत्र की जानकारी में लाएंगे और उनके माध्यम से इसे अपने बोर्ड तक पहुंचाएंगे।

मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सीएबी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित किया और आपको संबोधित करने का अवसर प्रदान किया।

बैंकिंग में कौशल विकास

हमारे देश में विगत 3-4 वर्षों से कौशल विकास की बहुत चर्चा है। कौशल विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कई अवसरों पर भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की बात भी कही गई है। कौशल विकास मानव संसाधन विकास का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। किसी देश की तरक्की में मानव संसाधन विकास की क्या भूमिका होती है, इससे प्रबुद्ध वर्ग भलीभांति परिचित है। यदि भारत जैसे साधन सम्पन्न देश को विकासशील देशों की श्रेणी से आगे बढ़ कर विकसित देशों में शामिल होना है तो निस्संदेह इसके लिए मानव संसाधन एवं कौशल विकास में भारी निवेश की आवश्यकता होगी। यह संतोष का विषय है कि हमारे नीति निर्माता इस आवश्यकता से परिचित हैं।

कौशल विकास की आवश्यकता उद्योग एवं व्यापार के सभी क्षेत्रों में है। बैंकिंग भी इस आवश्यकता से अछूती नहीं है। एक सेवा उद्योग के रूप में बैंकिंग का ताल्लुक जनता के सभी वर्गों से है। जन धन योजना तथा वित्तीय समावेशन के अन्य उपायों ने हमारे देश में बैंकों के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी डाल दी है जिसके तहत बैंकों को अपनी सेवाओं का विस्तार दूरस्थ स्थानों तक कर सभी को अपनी योजनाओं से जोड़ना है। बैंकिंग संभवतः अकेला ऐसा कारोबार है जिसके ग्राहक वर्ग में इतनी विविधता देखने को मिलती है। हमारे देश में बैंक अरबों रुपयों का ऋण भी देते हैं और हजारों रुपयों का भी। कौशल विकास की रणनीति पर कार्य करते समय बैंकों को इस तरह के तमाम पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है।

विजय प्रकाश श्रीवास्तव
संकाय सदस्य एवं मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

मशीनीकरण के इस दौर में बैंक भी आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग अपना आधार मजबूत करती जा रही है, परंतु इस प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल प्रणाली को चलाने वाले भी व्यक्ति ही हैं। अतः बैंकिंग में व्यक्ति तत्व का महत्व सदैव बना रहेगा एवं कौशल विकास के केंद्र में व्यक्ति ही होंगे। कौशल विकास तथा क्षमता विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्षमता विकास वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को समझ, कौशल, जानकारी एवं प्रशिक्षण के जरिए कार्यकुशल बनाती है। यदि बैंकों के कार्य निष्पादन को मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से बेहतर बनाना है तो यह इसके कार्मिकों के कौशल एवं क्षमता विकास पर ज़ोर देकर ही संभव हो सकेगा।

एक देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों की प्राथमिकताएँ स्पष्ट होती हैं। प्राथमिकताओं को समझ कर ही

इन पर कार्य किया जा सकता है। इसके साथ ऐसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का उपयुक्ततम उपयोग होता है और यह अस्थायी उच्चावचनों के होते हुए भी प्रगति पथ पर अग्रसर रहती है। जब बैंकों का कार्य निष्पादन बेहतर होता है तो अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों पर इसका सकारात्मक असर होता है। अर्थव्यवस्था में जीवंतता देखने को मिलती है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ता रहता है एवं बढ़ते उपभोग से बाज़ार में मांग भी ऊंचे स्तर पर होती है।

बैंकों का निष्पादन कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें सरकारी नीतियाँ, केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देश, बाजार की अवस्था एवं बाज़ार में प्रतियोगिता आदि को शामिल किया जा सकता है। इन सब के साथ बैंक के मानव संसाधन की गुणवत्ता का भी कम महत्व नहीं है। इस गुणवत्ता का निर्धारण कार्मिकों के ज्ञान, कौशल, रुझान एवं अभिप्रेरणा से होता है। ज्ञान कार्मिकों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। जब लोग अपने काम को अच्छी तरह जानते हैं तो इसे सही तरीके से करने की संभावना ज्यादा होती है। ज्ञान को कुशलता में बदलने की आवश्यकता होती है। सांगठनिक परिप्रेक्ष्य में रुझान और अभिप्रेरणा यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति अपनी भूमिका को कारगर ढंग से निभाने तथा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान देने हेतु कहाँ तक तत्पर है।

बैंकिंग व्यापार में हो रहे बदलावों ने इसमें कार्मिकों के कौशल विकास को और भी जरूरी बना दिया है। बैंकिंग में कड़ी प्रतियोगिता है और प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान कराना चाहता है। कुशल कार्मिक ही ऐसी सेवा देने में समर्थ होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्मिक विकास के मौजूदा ढांचे में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरीकों का समावेश है। वर्तमान समय में संगठनों में मानव संसाधन की भूमिका को व्यापक बना कर इसे कारोबारी परिणामों से जोड़ा जा रहा है। इस प्रवृत्ति के मद्देनज़र बैंकों के लिए भी यह जरूरी हो गया है कि वे कार्मिक विकास को एक अलग प्रक्रिया मानने की बजाय कारोबार की संपूर्णता में देखें और तदनुसार इस हेतु नीति बना कर इस पर कार्य करें।

यह कहा जा सकता है कि बैंकों को आज जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वे ज़्यादातर अप्रत्याशित हैं। मानव संसाधन चुनौतियों के मामले में यह और भी सच है। उदाहरण के लिए सरकारी बैंकों में बड़े पैमाने पर हो रही सेवानिवृत्तियों को लें। यह तय था कि एक निश्चित कालावधि के दौरान बैंकों में सेवाग्रहण करने वाले लोग अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर एक निश्चित कालावधि में सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन बहुत सारे बैंकों का ध्यान इस तथ्य पर नहीं गया और उन्होंने अनुभवी कार्मिकों की इन सेवानिवृत्तियों के कारण उत्पन्न कमी को पूरा करने हेतु नए लोगों को तैयार करने पर समुचित ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। इन बैंकों के सामने आज एक बड़ी चुनौती कुशल कार्मिकों की कमी की पूर्ति एवं नई जनशक्ति को उसके दायित्वों हेतु तैयार करना है।

कौशल विकास की रणनीति बनाने में बैंकों को सामान्य एवं विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विशिष्ट मुद्दे विभिन्न बैंकों की आवश्यकतानुसार अलग-अलग हो सकते हैं। साथ ही ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करते समय बैंकों को अपनी विकास योजनाओं तथा प्राथमिकता के क्षेत्रों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी बैंक का इरादा खुदरा ऋणों के पोर्टफोलियो में बड़ी वृद्धि करना है तो उसे इस क्षेत्र में कुशल लोगों की अधिक जरूरत होगी। कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य जनशक्ति को आगे के लिए तैयार करना तथा भविष्य के नेतृत्वकर्ता तैयार करना होता है। कौशल की जरूरत कहीं अनुत्पादक आस्तियों को कम

करने के लिए होगी तो कहीं बाज़ार में बैंक की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। नई प्रौद्योगिकी भी कुशलता की मांग करती है। आज बहुत सारे संगठन अपने कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों में बिग डाटा एवं एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं। बैंकों को भी इस तरह के क्षेत्रों में कुशलता विकसित करने की जरूरत होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नवोन्मेषिता को अपनाने में थोड़ा पीछे हैं। यदि ग्राहकों की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन वित्तीय उत्पाद विकसित किए जाएँ तो मांग का एक नया दौर शुरू हो सकता है। आधुनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर बहुत ज्यादा निर्भर है और हम क्रमशः डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। बैंकों के पास कुशल लोगों की कमी की वजह से प्रौद्योगिकी के मामले में बैंकों को आउटसोर्सिंग का सहारा लेना पड़ता है। अब समय आ गया है कि बैंक अपने पास प्रौद्योगिकी में कुशल लोगों को तैयार कर आउटसोर्सिंग पर अपनी निर्भरता कम करें। इससे खर्चों में कमी होने के साथ-साथ परिचालन में भी सुविधा होगी।

कुल मिलाकर कौशल विकास का उद्देश्य संगठन में ऐसे कार्मिकों की मौजूदगी सुनिश्चित करना है जो अपने कार्यों एवं दायित्वों से भली-भांति परिचित हों, इन्हें पूरा करने हेतु सक्षम हों तथा बदलते समय की जरूरतों के अनुसार नयी सीखों को ग्रहण करते रहें। इसे ध्यान में रख कर बैंकों को कौशल विकास की रणनीति तैयार करनी होगी जिसे बैंक के निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो। बैंकों में मानव संसाधन विभाग ज़्यादातर सहायक (सपोर्ट फंक्शन) की भूमिका निभाते रहे हैं एवं उनका कार्य संव्यवहारात्मक (ट्रांजैक्शनल) ज्यादा रहा है। अब उन्हें विकासात्मक भूमिका निभाने पर अधिक ध्यान देना होगा।

बैंक में सभी कार्मिकों के समक्ष यह स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें संगठन के उद्देश्यों तथा कारोबारी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना पूरा योगदान देना है। साथ में कार्मिकों को यह संदेश भी जाना चाहिए कि इस हेतु उन्हें संगठन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कौशल विकास संगठन एवं इसमें कार्यरत लोगों के विकास के लिए है। वैसे तो कौशल विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है पर इसकी सामरिक योजना 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए हो सकती है। इस योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन में निम्नलिखित बातों का समावेश होगा –

कारोबार के वर्तमान एवं वांछित स्तर के बीच के अंतर को जानना : सभी प्रगतिशील संगठनों के पास विकास का एक अनुमान हुआ करता है। यदि संगठन को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो विकास आवश्यक है। विकास के लक्ष्य महत्वाकांक्षी भले हों, इन्हें व्यावहारिक भी होना चाहिए भले ही कारोबारी वातावरण एक जैसा हो, जरूरी नहीं कि सभी संगठन एक जैसी प्रगति करेंगे। यदि कोई बैंक अपेक्षाकृत ऊंचा लक्ष्य रखता है तो इसकी प्राप्ति हेतु उत्साह एवं परिश्रम की जरूरत भी ज्यादा होगी। बैंक या संगठन के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि अभी यह किस मुकाम पर है तथा आगामी 1, 2, 3 अथवा 4 वर्षों के बाद किस मुकाम पर पहुँचना चाहता है। यह आकलन गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों संदर्भों में होना है। बैंकों के लिए मात्रात्मक पक्ष जमा संग्रहण एवं ऋण वितरण के आंकड़ों को मिला कर होगा। गुणात्मक पक्ष में नवीन सेवाओं/ उत्पादों को बाज़ार में उतारना, मौजूदा सेवाओं / उत्पादों में नए फीचर जोड़ना, नए क्षेत्रों में प्रवेश करना, विविधीकरण आदि शामिल हैं।

अंतर एवं इसे पूरा करने हेतु आवश्यकताओं का विश्लेषण: एक बार जब उपर्युक्त अंतर को जान लिया जाता है तो इस अंतर को पूरा करने हेतु आवश्यकताओं को समझने

की जरूरत होगी। इन आवश्यकताओं को हम संसाधनों के रूप में देख सकते हैं। जहां तक मानव संसाधन का प्रश्न है यह तय करना होगा कि विभिन्न कारोबारी इकाईयों के लिए कितनी संख्या में लोगों की जरूरत होगी। इस संख्या को संवर्गों (लिपिक, अधिकारी आदि) के बीच विभाजित करना होगा। फिर ऐसे कार्मिकों की योग्यताएँ ; अनुभव, यदि वांछित हो तथा कुशलताएँ आदि निर्धारित करनी होंगी।

कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत मौजूदा जनशक्ति की विकास आवश्यकताओं का आकलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ नए भर्ती लोगों को उनके दायित्वों हेतु तैयार करना होगा तथा समय से पहले लोगों के सेवा छोड़ने की स्थिति का सामना करने हेतु योजना तैयार कर रखनी होगी।

बैंकों में कार्यरत मानव संसाधन में अपेक्षित कुशलता की कमी भी जोखिम का एक रूप है। इस मानव संसाधन जोखिम को परिचालनात्मक जोखिम की श्रेणी में रखा जाता है। यह जोखिम बैंक की ग्राहक सेवा, उत्पादकता एवं छवि आदि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। बेहतर है इस जोखिम को उत्पन्न ही न होने दिया जाय।

बैंकिंग उद्योग में कौशल विकास हेतु जिन कुशलताओं पर ध्यान देना होगा वे हैं - मूलभूत कुशलता, कार्यमूलक कुशलता, प्रबंधकीय कुशलता एवं नेतृत्व कुशलता। इन सभी का वर्णन आगे किया गया है –

मूलभूत कुशलता : जैसा कि नाम से स्पष्ट है मूलभूत कुशलता की आवश्यकता प्रत्येक बैंकर को होगी। बैंक में कार्यरत सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि बैंकिंग क्या है, यह किन सिद्धांतों एवं व्यवहारों पर कार्य करती है तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसका किस प्रकार योगदान होता है। इसके साथ यह भी उम्मीद की जाती है कि हरेक बैंकर ग्राहकोन्मुख (कस्टमर सेंट्रिक) एवं सम्प्रेषण में कुशल हो। बैंक के महत्वपूर्ण उत्पादों की जानकारी, संगठनात्मक संस्कृति से परिचय भी मूलभूत कुशलता में शामिल हैं। कार्मिकों को प्रदान किए जाने वाले प्रबोधन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य मूलभूत कुशलता विकसित करना ही होता है।

कार्यमूलक कुशलता : बैंकिंग कार्यों में अत्यधिक विविधता है। इन सभी कार्यों के साथ न्याय तभी होगा जब इन्हें संपादित करने हेतु कुशल लोग हों। कुशलता के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं - ऋण, विपणन, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, राजभाषा कार्यान्वयन, ट्रेजरी परिचालन, विदेशी मुद्रा कारोबार, जोखिम प्रबंधन आदि। संबन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञों की भर्ती इस आवश्यकता को केवल आंशिक रूप से पूरी कर सकती है क्योंकि ऐसे विशेषज्ञ व्यावहारिक ज्ञान कम रखते हैं। अतः उन्हें अपने कार्य में व्यावहारिक रूप से कुशल बनाना बहुत जरूरी है। कौशल विकास की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के ऋणों यथा कृषि ऋण, कारपोरेट ऋण, एसएमई ऋण आदि के लिए होगी। इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी में डेटा बेस, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा आदि में कुशल लोग होने चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास सभी क्षेत्रों में कुशल लोगों की उपलब्धता सदैव बनी रहे और एक के हटने पर दूसरा कार्य को अच्छी तरह संभाल सके।

प्रबंधकीय कुशलता : बैंकों का पूरा कारोबार उनकी शाखाओं के माध्यम से होता है। बड़े बैंकों की 4-5 हज़ार से अधिक शाखाएँ हैं। शाखा प्रबंधक शाखा का प्रमुख होता है। शाखा तथा इसके कार्मिकों हेतु उसका निर्देशन अत्यधिक मायने रखता है। प्रबंधकीय कुशलता से युक्त होकर ही यह निर्देशन भली प्रकार प्रदान किया जा सकता है। विशेषीकृत शाखाओं के शाखा प्रबंधकों में प्रबंधकीय कौशल के साथ संबन्धित क्षेत्र की विशेषज्ञता होनी चाहिए। सामान्य बैंकिंग शाखाओं के प्रबंधकों को उन सभी सेवाओं से परिचित होना चाहिए जो उनकी शाखा

में उपलब्ध हैं। प्रबंधकीय कुशलता का दायरा व्यापक है। इसमें शामिल हैं –निर्णय लेना, टीम को साथ लेकर चलना, विभिन्न कार्यों / दायित्वों के बीच ताल-मेल, प्रत्यायोजन, जन संपर्क आदि। शाखा प्रबंधक को एक अच्छा प्रशासक होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स इसमें बहुत मददगार साबित हो सकती हैं।

कई बैंक ऐसे लोगों की कमी महसूस कर रहे हैं जिन्हें शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थ किया जा सके। पहले के समय में अधिकारी के रूप में कई वर्षों तक कार्य करने के पश्चात लोगों को शाखा प्रबंधक का दायित्व सौंपा जाता था। अब चूंकि बैंकों के पास अनुभवी लोगों की कमी है, नए भर्ती लोगों को बैंकिंग में थोड़े अनुभव के बाद शाखा प्रबंधक बना दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में कौशल विकास में निवेश की आवश्यकता ज्यादा होगी। योग्य एवं सक्षम शाखा प्रबंधकों की खेप तैयार करना सभी बैंकों के लिए एक बड़ी ज़िम्मेदारी है।इस हेतु प्रयासों में कौशल विकास को समन्वित करना होगा।

नेतृत्व कुशलता : सभी महत्वाकांक्षी संगठनों को सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता होती है जो आगे रह कर सब को दिशा दिखाए तथा सभी का सहयोग लेकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। नेतृत्व के मामले में संगठनों के सामने दो विकल्प होते हैं - संगठन के भीतर ही लोगों को नेतृत्व के लिए तैयार करना या बाहर से लिए गए लोगों को नेतृत्व की ज़िम्मेदारी देना। प्रायः संगठन पहले विकल्प को चुनना पसंद करते हैं। अंदरूनी नेतृत्व के अपने फायदे हैं। इनका परिचय संगठन की व्यवस्थाओं, संस्कृति आदि से पहले से होता है। इस नेतृत्व की स्वीकार्यता ज्यादा होती है। संगठन के ही लोगों को नेतृत्व का अवसर मिलना कार्मिकों को संगठन में विकास के अवसरों की उपलब्धता के प्रति आश्वस्त करता है।

नेतृत्व विकास में नेतृत्व संभावना से युक्त लोगों की पहचान करना तथा इस संभावना को यथार्थ में परिणत करना शामिल है। नेतृत्व क्षमता जन्मजात होती है या इसे विकसित किया जा सकता है, यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता रहा है। इसका कोई सीधा एवं सरल उत्तर मौजूद नहीं है। पर इस क्षेत्र के विशेषज्ञ मानते हैं कि नेतृत्व के गुण सीखे एवं विकसित किए जा सकते हैं। इसमें विश्वास करते हुए आज संगठन नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भारी निवेश कर रहे हैं। नेतृत्व संभावनाओं की पहचान साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, कम्पिटेंसी मैपिंग, 360 डिग्री फीडबैक आदि की मदद लेकर की जा सकती है। साथ ही कार्मिकों के निष्पादन का मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। बैंकिंग में वर्तमान एवं भावी चुनौतियों को ध्यान में रख कर बैंकों को नेतृत्व कौशल विकास को और भी गंभीरता से लेने की जरूरत है।

कौशल विकास के साधन : कक्षा में एवं कार्य पर (ऑन द जॉब) प्रशिक्षण, कोचिंग, मेंटरिंग आदि कौशल विकास के मुख्य साधन हैं। अब इनमें ई-लर्निंग तथा अनुभवात्मक (एक्सपीरियंशल) प्रशिक्षण भी जुड़ गए हैं। कौशल विकास में ज़ोर सीखने की संस्कृति के विकास एवं कार्य निष्पादन की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर होता है। बैंक में कार्य कुशलता को सर्वाधिक मान्यता देना एवं इसे करियर में आगे बढ़ने का एकमात्र मानक बनाना लोगों को कौशल विकास के लिए प्रेरित करेगा एवं बैंक के प्रति उनके सम्मान में वृद्धि करेगा।

कौशल विकास एक तरफ बैंक को मजबूत करेगा तो दूसरी तरफ इससे कार्मिक नया आत्मविश्वास हासिल करेंगे। उन्हें यकीन आएगा कि वे जो और जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा एवं बेहतर कर सकते हैं। मानव पूंजी में निवेश बैंकों व उनके कार्मिकों दोनों को लाभ पहुंचाने वाला है। बैंकों को इस लाभ को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।

बैंकों में फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

बैंकों में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों तथा अनर्जक आस्तियों के बढ़ते स्तर को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह तय किया कि बैंकों में फॉरेंसिक लेखापरीक्षा शुरू की जाए और इसके लिए बैंकों द्वारा फॉरेंसिक लेखापरीक्षकों का एक कॉमन पूल बनाया जाए ताकि जैसे ही बड़ी राशियों वाली धोखाधड़ियों के मामले सामने आएं, उनकी जांच के लिए उस पूल में से किसी एक लेखापरीक्षक को चुन कर उसे तत्काल जांच सौंपी जा सके। हाल ही में भारतीय बैंक संघ ने इस पूल में शामिल किए जाने के लिए फॉरेंसिक जांच में संलग्न लेखापरीक्षा फर्मों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रकार बैंकों में धोखाधड़ी तथा अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में भारत में बैंकों की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है।

डा. रमाकांत शर्मा
महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त)
भारतीय रिज़र्व बैंक

फॉरेंसिक लेखापरीक्षा क्या है ?

साधारणत: फॉरेंसिक लेखापरीक्षा का अर्थ न्यायालय में साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किए जाने के लिए किसी व्यक्ति या फर्म की वित्तीय जानकारी का परीक्षण और मूल्यांकन करने से लिया जाता है। धोखाधड़ी, गबन या किसी अन्य वित्तीय अनियमितता के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए फॉरेंसिक लेखापरीक्षा की जरूरत पड़ती है।

जहां तक बैंकों में फॉरेंसिक लेखापरीक्षा का संबंध है, इसमें धोखाधड़ी के मामलों में निहित बैंकों के वित्तीय लेनदेनों और वित्तीय निर्णयों के विश्लेषण को शामिल किया जाता है ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके और यथावश्यक रूप से उसे न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही, अनर्जक आस्तियों के रूप में परिवर्तित होने वाले संदेहास्पद खातों की पूरी जांच करना भी फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में शामिल रहता है। वास्तव में, फॉरेंसिक लेखापरीक्षा सिर्फ खातों की जांच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें उन परिस्थितियों और कारणों का पता लगाया जाना भी शामिल होता है जिनके अंतर्गत संबंधित वित्तीय निर्णय लिए गए। ऑलबैंकिंगसॉल्यूशंस.कॉम (www.allbankingsolutions.com) के अनुसार ऐसी लेखापरीक्षा में सामान्यत: निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब ढूंढ़े जाते हैं ताकि धोखाधड़ी के कारणों/तरीकों का पता लगाया जा सके

और उसके लिए जिम्मेदारी तय की जा सके -

- निर्णय लेने वाले व्यक्ति ने अपने प्राधिकार का सही इस्तेमाल किया या नहीं?
- निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी या देरी तो नहीं की गई?
- निर्णय की सूचना अपने से वरिष्ठ अधिकारी/अधिकारियों को समय पर दी गई या नहीं?
- निर्णय लेते समय पुरानी गलतियों को फिर से दोहराया तो नहीं गया?
- निर्णय के संभावित सकारात्मक परिणाम न निकलने पर सुधारात्मक कदम बिना किसी देरी के उठाए गए या नहीं?

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों तथा जानबूझ कर ऋण न चुकाने वाले ऋणकर्ताओं का समय रहते पता लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2015 में बैंकों को जो विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, उनमें "रेड फ्लेग्ड अकाउंट" की एक नई अवधारणा लागू की गई है। ये खाते ऐसे खाते हैं जिनमें धोखाधड़ी की संदेहास्पद गतिविधियों के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे खातों की तत्काल फारेंसिक लेखापरीक्षा कराई जानी है ताकि धोखाधड़ी/अनियमितता का पता लगाया जा सके और सुधारात्मक कदम भी उठाए जा सकें।

वस्तुत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2013 में ही ऋण पुनर्संरचना योजना के अंतर्गत बैंकों के लिए ऐसी लेखापरीक्षा कराना अनिवार्य कर दिया था ताकि वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले ऋणकर्ताओं तथा बैंक निधियों का दुरुपयोग करने और हड़पने वाले ऋणकर्ताओं के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। ऐसी लेखापरीक्षा कराना किन संकेतों के उभरने पर जरूरी हो जाता है, उन्हें भी भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त दिशानिर्देशों में इंगित किया गया है। परिपत्र में ऐसे 45 संकेतों का उल्लेख किया गया है, जिनमें खाता दबावग्रस्त खाते में परिवर्तित होना, असंबद्ध पार्टियों को आरटीजीएस के जरिये बड़ी राशियों के भुगतान होना, वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बड़ी विसंगतियों का सामने आना, एक बैंक से दूसरे बैंक को खाते का अंतरण करना, बड़ी राशि के चेकों का बाउंस होना, आयकर / बिक्रीकर / केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा छापेमारी करना, ऋणकर्ता के विरुद्ध कोई गुमनाम शिकायत प्राप्त होना, संपार्श्विक जमानतों के स्वत्वाधिकार के संबंध में विवाद होना, अंतर्संबंधित कंपनियों के साथ बड़ी संख्या में लेनदेन होना, प्रमुख कर्मचारियों द्वारा इस्तीफा देना तथा प्रबंधतंत्र में बड़ा फेरबदल होना आदि जैसे संकेत शामिल हैं।

फॉरेंसिक लेखापरीक्षा – व्याप्ति

"फॉरेंसिक ऑडिट इन बैंक्स – परपज, स्कोप एंड इंड रिजल्ट" लेख में लेखक Pannvalan ने यह उल्लेख किया है कि फॉरेंसिक लेखापरीक्षा बैंक के वित्तीय लेनदेनों की जांच तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए क्योंकि निर्णयों की गुणवत्ता और उनके अंतिम परिणाम बैंक के विभिन्न विभागों के कार्य-निष्पादन पर सीधे तौर पर निर्भर होते हैं। अत: फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में बैंक के अन्य कार्यों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बैंकों की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में बैंकों के वित्तीय लेनदेनों तथा ऐसे सभी निर्णयों

का विश्लेषण किया जाता है जिनमें वित्त शामिल होता है। इस परिप्रेक्ष्य में बैंकों की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में उनके निम्नलिखित कार्यकलापों की जांच को शामिल किया जाता है:

ऋण संबंधी निर्णय – ऋणों पर ब्याज से प्राप्त आय बैंकों की आय का और लाभप्रदता का प्रमुख साधन है। ऋणों की मंजूरी और उनकी वसूली में गड़बड़ी और मिलीभगत के मामले सामने आते ही रहते हैं। इसलिए फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में यह देखा जाता है कि ऋण मंजूर करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है या नहीं। साथ ही इस बात की भी जांच की जाती है कि संबंधित बैंक की ऋण संबंधी नीति तथा देश के कानूनों का पालन किया गया है या नहीं। यदि उक्त दिशानिर्देशों, नीतियों तथा कानूनों का कोई उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित ऋण मंजूरी की गहराई से जांच करके यह पता लगाया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ और कोई गड़बड़ी, गबन या भ्रष्टाचार का मामला तो नहीं बनता। यदि बनता है, तो उसकी और भी गहन जांच करके तथ्यों को सामने लाया जाता है।

निवेश संबंधी निर्णय – निवेश संबंधी निर्णयों की जांच निवेश के उद्देश्यों तथा उनके अनुसार प्रत्याशित तथा वास्तव में प्राप्त प्रतिलाभ के संदर्भ में की जाती है। यदि निवेशों से हानि हुई हो या प्रत्याशित लाभ से बहुत कम लाभ मिला हो तो उसके कारणों की जांच की जाती है तथा यह देखा जाता है कि ऐसी हानि या कम प्रतिलाभ के संकेतों की अवहेलना तो नहीं की गई। यदि समय पर उचित कदम उठाए जाते तो क्या उक्त स्थिति से बचा जा सकता था। यह भी देखा जाता है कि इस स्थिति के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है। पेन्नावलन के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा तथा सांविधिक लेखापरीक्षा में समय की कमी के कारण अकसर ऐसे निवेशों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, अत: निवेश संबंधी निर्णयों की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा कराया जाना बहुत जरूरी हो जाता है।

आय और व्यय – फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में आय और व्यय संबंधी लेनदेनों की जांच की जाती है। इसमें ऐसे लेनदेनों को शामिल किया जाता है जिनमें आय का क्षरण हुआ हो या हानि हुई हो। इसी प्रकार व्यय संबंधी ऐसे लेनदेनों की जांच की जाती है जिनमें निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया हो या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली गई हो। कई लेनदेनों के बीच संभावित गलत संबंधों का भी पता लगाया जाता है। यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे लेनदेन जानबूझ कर हानि पहुंचाने की नियत से किए गए हैं तो फिर इस बात की जांच की जाती है कि इसका फायदा किसे पहुंचा या पहुंचाया गया और इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है।

विनियामक के दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों का उल्लंघन– ऐसे मामलों की जांच की जाती है जिनमें विनियामक (भारतीय रिज़र्व बैंक) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ हो या अवहेलना की गई हो। ऐसे उल्लंघनों / अवहेलनाओं के परिणामस्वरूप बैंक की छवि, प्रतिष्ठा, अनुशासन आदि पर पड़े विपरीत परिणामों, वित्तीय जोखिमों तथा हानियों का आकलन किया जाता है। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि ऐसे उल्लंघनों पर विनियामक द्वारा बैंक को क्या दंड दिया गया तथा बैंक ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित और पर्याप्त कदम उठाए या नहीं।

गैर-कानूनी गतिविधियां – फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में बैंक की ऐसी गतिविधियों और कार्यों की विभिन्न दृष्टिकोणों से समीक्षा की जाती है जिनमें देश के किसी / किन्हीं कानून / कानूनों का उल्लंघन किया गया हो। यह पता लगाया जाता है कि क्या बैंक की ऐसी गतिविधियों से बैंक के ग्राहकों, जनता या देश की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है या जानबूझ कर पहुंचाया तो नहीं गया है।

जानबूझ कर लिए गए गलत निर्णय – किसी भी व्यक्ति से अनजाने में गलतियां होना स्वाभाविक है, पर जब गलत इरादे से गलत व्यक्ति द्वारा जानबूझ कर गलत निर्णय लिए जाते हैं तो उन्हें नजरअंदाज किया जाना बैंक के लिए ही नहीं, देश की समूची अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए यह पता लगाया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है कि बैंक में ऐसे कौनसे गलत व्यक्ति हैं जो गलत इरादे से गलत निर्णय लेते रहे हैं या ले रहे हैं। अत: फॉरेंसिक लेखापरीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी घटनाओं तथा व्यक्तियों का पता लगाए और उसे अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उद्घाटित करे।

भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण में अनियमितताएं – फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में इस बात की भी जांच की जाती है कि कहीं भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण के मामलों में कोई अनियमितता तो नहीं बरती गई है। गलत इरादे से गलत या अक्षम व्यक्ति की भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण के मामलों से बैंक में हुई गड़बड़ियों या संभावित गड़बड़ियों के संकेत मिल सकते हैं। इनसे जुड़े तारों के जरिये ज्ञात-अज्ञात भ्रष्टाचार के मामलों की तह तक पहुंचा जा सकता है।

संगठनात्मक ढ़ांचा – प्रत्येक बैंक अपना संगठनात्मक ढ़ांचा तय करता है। इसका निर्धारण करते समय यह देखा जाता है कि बैंक का परिचालन क्षेत्र क्या होगा, बैंक की कार्य संस्कृति क्या होगी तथा किन प्रक्रियाओं / क्रियाविधियों का पालन किया जाएगा। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में यह देखा जाता है कि बैंक का संगठनात्मक ढ़ांचा युक्ति-युक्त तरीके से तय किया गया है या नहीं। बिना सोचे-समझे किसी दूसरे बैंक के संगठनात्मक ढ़ांचे की नकल करना हानिकारक हो सकता है। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में इसकी गहन जांच की जाती है और कहां-कहां सुधार की आवश्यकता है, इसका रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है।

नीतियां – फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में इस बात की समीक्षा की जाती है कि बैंक द्वारा अपनाई गई नीतियां उसके उद्देश्यों और योजनाओं के अनुसार हैं या नहीं और वे कितनी कारगर हैं। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ये सुझाव दिए जा सकते हैं कि बैंक को किस उत्पाद को बंद कर देना चाहिए, किस उत्पाद की कीमत में परिवर्तन करना चाहिए, ग्राहक की मांग के अनुसार कौन से नए उत्पाद लाने पर विचार करना चाहिए। ऐसा करते समय फॉरेंसिक लेखापरीक्षक यह ध्यान रखता है कि उसके सामने जो तथ्य आते हैं उन्हीं के आधार पर वह अपने सुझावों को सीमित रखे। उसे बैंक के परामर्शदाता की भूमिका नहीं निभानी है।

कंपनी अभिशासन – बैंक लाभ कमाने वाले वाणिज्यिक संस्थान हैं। साथ ही, अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, जनता तथा समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि बैंकों का प्रशासन पेशेवराना तरीके से

किया जाए तथा उनके कामकाज में ईमानदारी, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा आधुनिक तरीकों का समावेश हो। बैंकों के लेनदेनों तथा उनके तुलनपत्रों में उनके कार्यकलापों की सच्ची तस्वीर उभर कर सामने आए। यही नहीं, बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली तथा रिपोर्टिंग प्रणाली सरल होनी चाहिए तथा उनमें दिए गए आंकड़े विश्वसनीय और तर्कसम्मत होने चाहिए ताकि समय पर सही निर्णय लिए जा सकें। अत: फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में सभी अवांछित क्षेत्रों से पर्दा हटाने तथा उन क्षेत्रों में सुधार के उपाय सुझाने का काम भी शामिल किया जाता है। इससे बैंक के कामकाज में पारदर्शिता आती है तथा सभी हितधारकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

ऋण लेने वाली कंपनियों की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा – बैंक उन कंपनियों की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा करा सकते हैं जो उनसे लिये गये ऋण की चुकौती नहीं कर रहे हों या जिनके धोखाधड़ी के मामलों में शामिल होने का संदेह हो। इससे उन फर्मों की वास्तविक स्थिति और धोखाधड़ी के मामलों में संलिप्तता की जानकारी सामने आ सकती है और समय रहते उचित कार्रवाई की जा सकती है।

बैंकों में धोखाधड़ी की संभावना सबसे अधिक रहती है क्योंकि इसका कार्य धन पर आधारित होता है। बैंक से बाहर के लोग तो बैंक के साथ धोखाधड़ी करते ही हैं, धन के लोभ में और बड़ी मात्रा में धन का लेनदेन करते समय बैंक के कर्मचारियों के मन में भी बेईमानी आने की वजह से धोखाधड़ी के मामलों में उनकी संलिप्तता के प्रकरण सामने आते रहते हैं। साथ ही, बैंकों से ऋण लेने वाले भी बनावटी या झूठे दस्तावेजों के जरिए बैंकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ऋणकर्ताओं द्वारा जानबूझ कर ऋण न चुकाने की वजह से बढ़ती अनर्जक आस्तियां बैंकों के लिए बड़ी समस्या में तब्दील होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में रूटीन लेखापरीक्षा के अलावा फॉरेंसिक लेखापरीक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। मार्क एल्डन ने सही कहा है कि 'एक लेखाकार केवल आंकड़े देखता है, जबकि फॉरेंसिक लेखाकार आंकड़ों के परे देखता है'। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके महत्व को समझते हुए उक्त मामलों में बैंकों के लिए फॉरेंसिक लेखापरीक्षा को अनिवार्य बना कर सही दिशा में सही कदम उठाया है।

बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक देश के बैंकिंग सिस्टम का पर्यवेक्षी तथा विनियामक है। बैंकिंग सिस्टम का पर्यवेक्षी एवं विनियामक होने के नाते यह सुनिश्चित करना रिज़र्व बैंक की ज़िम्मेदारी है कि देश के सभी बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रिज़र्व बैंक समय-समय पर विभिन्न कदम उठाता है जिनमें से एक प्रमुख कदम बैंको के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई नामक फ्रेमवर्क को लागू करना है। बैंको के लिए पीसीए फ्रेमवर्क भारत में 2002 से लागू है। लेकिन हाल ही में रिज़र्व बैंक ने इस मौजूदा फ्रेमवर्क में कुछ संशोधन करके इसे 1 अप्रैल 2017 से पुनः लागू किया है जिसकी समीक्षा तीन वर्ष बाद की जाएगी। इस फ्रेमवर्क के दायरे में भारत में स्थित छोटे और विदेशी बैंकों सहित सभी बैंक आते हैं।

जैसा कि विदित है कि देश के अधिकतर बैंक पहले से फंसे हुए कर्ज अर्थात अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं। परिणामस्वरूप बैंकों का सकल एनपीए तीव्र गति से निरंतर बढ़ रहा है जो कि बैंकों के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। गौरतलब है कि दिसंबर 2014 से दिसंबर 2016 के दौरान बैंकों का एनपीए 137 प्रतिशत बढ़कर 6.46 लाख करोड़ रुपए हो गया था और जून 2017 तक यह आंकड़ा आठ लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। इस संबंध में बैंकों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या उनके द्वारा फंसे हुए ऋण अर्थात एनपीए की निराशाजनक वसूली है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों की वसूली दर में वर्ष दर वर्ष निरंतर गिरावट हो रही है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक बैंकों द्वारा किए गए निवल एनपीए की वसूली दर संबंधी आंकड़े[1] इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	बैंकों द्वारा की गई निवल एनपीए की वसूली दर
2012-13	22%
2013-14	18.4%
2014-15	12.4%
2015-16	10.3%

बैंकों के निरंतर बढ़ रहे इस एनपीए की समस्या के हल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों के लिए मौजूदा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क की समीक्षा करके इसमें संशोधन किया है। इस संशोधित फ्रेमवर्क के द्वारा इसकी शक्तियों के दायरे को बढ़ाया गया है। इसे बैंकों के 31 मार्च

[1] **स्रोत:** इ इंडियन एक्सप्रेस, 3 जनवरी 2017.

चमन लाल मीना
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के आधार पर 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया गया है।

पीसीए फ्रेमवर्क क्या है?

पीसीए फ्रेमवर्क बैंको की वित्तीय स्थिति में आई गिरावट को रोकने अथवा नियंत्रित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाने वाली एक सुधारात्मक कार्रवाई है। इसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक उन बैंकों पर अंकुश लगाता है जिनका निवल एनपीए इस फ्रेमवर्क में निर्धारित सीमा को पार कर गया है तथा जो पूंजी अनुपात के अनुपालन में विफल रहें हैं। यद्यपि रिज़र्व बैंक ऐसे बैंकों पर पीसीए फ्रेमवर्क के बिना भी कार्रवाई कर सकता है जिन्होंने अपने जमाकर्ताओं के दायित्वों को पूरा करने में चूक की है। पीसीए फ्रेमवर्क के तहत कार्रवाई करने के लिए बैंको के वार्षिक वित्तीय परिणाम और रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है। आरबीआई बैंकों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर निर्धारित पैरामीटर के आधार पर पीसीए फ्रेमवर्क की सुधारात्मक कार्रवाई करता है:

1. आरक्षित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)
2. निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)
3. परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन एसेट्स)
4. लिवरेज अनुपात

रिज़र्व बैंक इस कार्रवाई के तहत जोखिमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों को अपनी निगरानी के दायरे में रखता है तथा उन पर नए ऋण देने और बैंक की शाखा विस्तार करने, लाभांश भुगतान करने आदि पर नियंत्रण लगाता है। यद्यपि पीसीए फ्रेमवर्क लागू होने से बैंक के सामान्य परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही यह बैंक के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है।

बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताएँ

1. इस फ्रेमवर्क में बैंकों की पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता निगरानी के प्रमुख क्षेत्र बने रहेंगे।
2. पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए जिन इंडिकेटरों को ट्रैक किया जाएगा वे क्रमशः सीआरएआर/ कॉमन ईक्विटी टियर I अनुपात, निवल एनपीए अनुपात और परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन एसेट्स) होंगे।
3. इस फ्रेमवर्क में लीवरेज की अतिरिक्त निगरानी की जाएगी।
4. जोखिम संबंधी किसी प्रारम्भिक सीमा के उल्लंघन पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क को लागू किया जा सकेगा।

पीसीए फ्रेमवर्क में शामिल जोखिम संबंधी प्रारम्भिक तीन सीमा रेखाएं

बैंकों के लिए संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क में जोखिम संबंधी तीन सीमा रेखाएं निर्धारित की गई हैं जिनमें से किसी का भी उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक का पीसीए फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा। हालांकि वर्ष 2002 के पीसीए में भी जोखिम संबंधी सीमा रेखा के तीन स्तर निर्धारित किए गए थे लेकिन वहाँ पर बेसल – III के नियम नहीं थे। रिज़र्व बैंक के इस संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क में निर्धारित जोखिम संबंधी तीन सीमा रेखाएं इस प्रकार हैं:

जोखिम संबंधी प्रारम्भिक सीमा 1 (थ्रेसहोल्ड-1): यदि किसी बैंक का निवल एनपीए 6 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु

9 प्रतिशत से कम है और यदि सीईटी 1 की पूंजी में 5.125 प्रतिशत की गिरावट आती है अथवा जोखिम परिसंपत्ति अनुपात रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.25 प्रतिशत से कम किन्तु 7.75 प्रतिशत या इससे अधिक है तो इसे पीसीए फ्रेमवर्क की थ्रेसहोल्ड-1 का उल्लंघन माना जाएगा। इस उल्लंघन के लिए पीसीए कार्रवाई के तहत बैंक के लाभांश वितरण / लाभ के विप्रेषण पर प्रतिबंध लग जाएगा तथा प्रमोटरों को पूंजी लगाने के लिए कहा जाएगा।

जोखिम संबंधी प्रारम्भिक सीमा 2 (थ्रेसहोल्ड-2): यदि बैंक का निवल एनपीए 9 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 12 प्रतिशत से कम है और यदि जोखिम परिसंपत्ति अनुपात रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 7.75 प्रतिशत से कम किन्तु 6.25 प्रतिशत या इससे अधिक है तो पीसीए फ्रेमवर्क की जोखिम सीमा 2 का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में बैंक पर थ्रेसहोल्ड 1 की अनिवार्य कार्रवाई के अलावा बैंक शाखा विस्तार पर भी प्रतिबंध लग जाएगा।

जोखिम संबंधी प्रारम्भिक सीमा 3 (थ्रेसहोल्ड-3): यदि बैंक का निवल एनपीए 12 प्रतिशत या इससे अधिक है और बैंक की पूंजी से जोखिम संपत्ति का अनुपात 3.625 प्रतिशत से नीचे जाता है तो यहाँ जोखिम सीमा 3 लागू होगी। इसका उल्लंघन करने पर जोखिम सीमा 1 और 2 के उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई के अलावा प्रबंधकों के वेतन और निदेशकों की फीस पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा अन्य सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में बैंक अधिकारियों को हटाने, बैंक बोर्ड को भंग करने तथा बैंक का विलय आदि को भी इसमें शामिल किया गया है।

वर्ष 2016-17 के वित्तीय परिणाम के आधार पर बैंकों पर पीसीए फ्रेमवर्क के तहत कार्रवाई की जा रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2017 तक कुल छह बैंकों क्रमशः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर पीसीए फ्रेमवर्क के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।

रिज़र्व बैंक की स्वविवेकाधीन सुधारात्मक कार्रवाईयां[2]

उक्त अनिवार्य कार्रवाईयों के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक इस फ्रेमवर्क द्वारा बैंकों पर विशेष पर्यवेक्षी, रणनीति, पूंजी, ऋण जोखिम, बाजार, मानव संसाधन, लाभप्रदता और परिचालन संबंधी अन्य विषयों पर अपने स्वविवेक से कार्रवाई कर सकता है।

1. विशेष पर्यवेक्षी विचार विमर्श:

- त्रैमासिक या अन्य निर्धारित अंतराल पर विशेष पर्यवेक्षी निगरानी बैठकें (एसएसएमएम)।
- बैंक का विशेष निरीक्षण / लक्षित संवीक्षा।
- बैंक की विशेष लेखा परीक्षा।

2. रणनीति से संबंधित कार्रवाई - इसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक के बोर्ड को सूचित कर सकता है कि:

- पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत अनुमोदित वसूली योजना को (बैंक) प्रारम्भ करे।
- व्यापार (business) मॉडल के स्थायित्व, व्यापारिक स्वरूपों और गतिविधियों की लाभप्रदता, मध्यम और दीर्घकालिक (अर्थ) सक्षमता, बैलेंस शीट अनुमानों, आदि के संदर्भ में व्यापार मॉडल की विस्तृत समीक्षा करे।
- तात्कालिक चिंताओं को दूर करने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित कर अल्पकालिक रणनीति की समीक्षा करे।

[2] (**स्रोत:** रिजर्व बैंक के 13 अप्रैल 2017 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17/276)

- मध्यम अवधि की कारोबारी योजनाओं की समीक्षा करे, साध्य लक्ष्य निर्धारित करे और प्रगति तथा उपलब्धि के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित करे।
- कारोबारी वृद्धि / संकुचन की संभावना तलाशने के लिए सभी व्यावसायिक स्वरूपों की समीक्षा करे।
- जैसा उपयुक्त हो, व्यवसाय प्रक्रिया की पुनर्रचना (reengineering) करे।
- जैसा उपयुक्त हो, परिचालन का पुनर्गठन करे।

3. नियंत्रण संबंधी कार्रवाई

- अपेक्षानुसार भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न पहलुओं पर बैंक के बोर्ड के साथ सक्रिय रूप में जुड़े।
- भारतीय रिज़र्व बैंक मालिकों (सरकार / प्रोमोटरों / विदेशी बैंक शाखा की पैरेंट एंटिटी) को नए प्रबंधन/ बोर्ड को लाने की सिफारिश करे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 एए के तहत प्रबंधकीय व्यक्ति को हटाना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 एसीए के तहत बोर्ड का अधिक्रमण करना/ अथवा उपयुक्त समझने पर बोर्ड को निलंबित करने हेतु सिफारिश करना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामी दिशानिर्देशों के तहत राशि वापस लाने (claw back) तथा गलत शर्तों (malus clause) को हटाने या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अन्य प्रतिबंध अथवा शर्तों को लागू करने की अपेक्षा कर सकता है।
- निदेशकों या प्रबंधन को मुआवजे पर, यथा लागू हो सकने योग्य, प्रतिबंध लागू कर सकता है।

4. पूंजी संबंधी कार्रवाई

- पूंजी जुटाने की आयोजना की बोर्ड स्तर पर विस्तृत समीक्षा करना।
- अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए योजनाएं और प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- बैंक से अपेक्षा करना कि वह मुनाफे को जमा करने के जरिए आरक्षित राशि को मजबूत करे।
- सहायक / सहयोगी कंपनियों में निवेश पर प्रतिबंध।
- पूंजी के संरक्षण के लिए उच्च जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के विस्तार पर प्रतिबंध।
- पूंजी के संरक्षण करने के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (में निवेश/ऋण देने) से परहेज।
- सहायक कंपनियों और समूह की अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने पर प्रतिबंध।

5. क्रेडिट जोखिम से संबंधित कार्रवाई

- एनपीए के स्टॉक में कमी के लिए समयबद्ध योजना और प्रतिबद्धताएं तैयार करना।
- नये एनपीए बनने को रोकने के लिए योजना तैयार करना और प्रतिबद्धता बढ़ाना।
- ऋण समीक्षा तंत्र को मजबूत बनाना।
- कतिपय रेटिंग ग्रेड से नीचे ग्रेड वाले उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट देने पर प्रतिबंध / में कमी करना।
- जोखिम परिसंपत्तियों में कमी।
- बिना रेंटिंग वाले उधारकर्ताओं को क्रेडिट देने पर प्रतिबंध/ में कमी करना।

- बेजमानती जोखिमों में कटौती करना।
- चिन्हित क्षेत्रों, उद्योगों या उधारकर्ताओं में ऋण संकेद्रण में कमी करना।
- परिसंपत्ति की बिक्री।
- क्षेत्रों की पहचान (भौगोलिक क्षेत्रवार, उद्योग खंडवार, उधारकर्ता वार, आदि) के जरिए परिसंपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई कार्य योजना तैयार करना और समर्पित वसूली टास्क फोर्स, अदालत आदि के जरिए वसूली सुनिश्चित करना।

6. मार्केट जोखिम से संबंधित कार्रवाई

- अंतर-बैंक बाजार से उधार लेने पर प्रतिबंध/ में कमी।
- थोक जमा राशियों / महंगी जमा / जमा प्रमाणपत्र तक पहुँच/के नवीकरण पर प्रतिबंध लगाना।
- डेरिवेटिव गतिविधियों, डेरिवेटिव जो संपार्श्विक प्रतिभूतियों से प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं, पर प्रतिबंध लगाना।
- धारित संपार्श्विक प्रतिभूतियों के अतिरिक्त रखरखाव पर प्रतिबंध जो कि प्रतिपक्ष द्वारा किसी भी समय संविदा के आधार पर वापस ली जा सकती हैं।

7. मानव संसाधन से संबंधित कार्रवाई

- कर्मचारियों की संख्या पर प्रतिबंध।
- मौजूदा स्टाफ के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की समीक्षा।

8. लाभप्रदता से संबंधित कार्रवाई

- बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर तकनीकी उन्नयन के अलावा पूंजीगत व्यय पर प्रतिबंध।

9. परिचालन से संबंधित कार्रवाई

- घरेलू या विदेशी शाखा विस्तार योजना पर प्रतिबंध।
- विदेशी शाखाओं / सहायक कंपनियों / अन्य संस्थाओं में कारोबारी कमी।
- व्यापार के नये क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध।
- गैर-निधि आधारित व्यवसाय में कटौती के जरिये लीवरेज में कटौती।
- जोखिमग्रस्त हो सकने वाली परिसंपत्तियों में कमी।
- गैर-ऋण परिसंपत्ति निर्माण पर प्रतिबंध।
- यथा विनिर्दिष्ट व्यवसाय करने पर प्रतिबंध।

निष्कर्षतः रिज़र्व बैंक का पीसीए फ्रेमवर्क बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के संबंध में एक सुधारात्मक कार्रवाई अथवा उधारदाताओं के लिए एक सकारात्मक पहल है। इस कार्रवाई के द्वारा देश के बैंकिंग सिस्टम को मजबूती मिल सकेगी। बैंक अपने फंसे हुए कर्ज की वसूली के लिए कारगर कदम उठाएंगे तथा अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे तथा कारोबार की वृद्धि के लिए सभी संभवानाओं की समीक्षा कर सकेंगे। इसके अलावा बैंकों की बैलेंस सीट मजबूत करने के लिए यह फ्रेमवर्क बैंकों को जोखिमपूर्ण गतिविधियों से बचने तथा पूंजी आरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अच्छी वित्तीय स्थिति तथा प्रबंधन वाले बैंकों को आगे बढ़ने की अनुमति देगा तथा वे बैंक जिनकी वित्तीय स्थिति, सिस्टम और प्रक्रिया कमजोर है, को सुधारने की ज़िम्मेदारी उनके प्रबंधकों और प्रमाटरों को देगा।

आधुनिक परिदृश्य में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – चुनौतियाँ व निदान

आधुनिक परिदृश्य में जहां बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र में सुधार में तेजी, "Too big to fail" की परिकल्पना, वाणिज्यिक बैंकों का विलय, बढ़ती अनर्जक आस्तियां आदि स्थितियों का सामना कर रहा है, वही ये प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं कि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की भावी भूमिका क्या होगी? क्या इनका अस्तित्व समाप्तप्राय सा हो जाएगा? क्या इनकी कोई आवश्यकता है, इत्यादि।

यदि हम विश्लेषण करें तो इन प्रश्नों के पीछे कुछ तार्किक कारण भी हैं जिन्हें इन बैंकों के विकास और संपोषण हेतु चुनौतियाँ कहा जा सकता है।

शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष चुनौतियां

1. इन बैंकों के सामने सदैव से ही एक बड़ी चुनौती रही है इन बैंकों के पास पेशेवर प्रबंधन (Professional Management) व कॉर्पोरेट अभिशासन (Corporate Governance) की कमी। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने दो विशेषज्ञ/पेशेवर संचालकों को संचालक मंडल में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने हेतु निदेश जारी किए हैं, किन्तु यह देखा गया है कि ये संचालक या तो संचालक मंडल की बैठकों में नियमित रूप से भाग नहीं लेते हैं और यदि भाग लेते भी हैं तो अपनी योग्यता, विशेषज्ञता आदि का लाभ बैंक को पहुंचाने हेतु गंभीर नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र निदेशों का पालन करने हेतु इन विशेषज्ञ संचालकों को सम्मिलित किया जाता है।

2. टेक्नालॉजी का निम्न (कम) प्रयोग व धीमा तकनीकी विकास इन बैंकों की कार्यप्रणाली को पंगु बना रहा है। नई-नई टेक्नालॉजी को अपनाने में ये बैंक पिछड़ते जा रहे हैं। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2014 तक सभी शहरी सहकारी बैंकों को CBS लागू करने को कहा था किन्तु 31 मार्च, 2017 तक 1,561 बैंकों में से मात्र 1,301 बैंकों ने ही पूर्णरूपेण सीबीएस को लागू किया है, जबकि 110 बैंक अभी प्रयासरत हैं और 150 बैंकों ने तो अभी तक यह प्रक्रिया ही आरंभ नहीं की है।

भुवनेश कुमार
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

3. एक सामान्य अवधारणा है कि सहकारी बैंक KYC/ AML उल्लंघनों हेतु आसान लक्ष्य होते हैं। KYC नियमों का उल्लंघन करने आदि के आरोप भी इन बैंकों पर लगे हैं। एक अध्ययन के अनुसार इन बैंकों की कमजोर प्रणाली और नियंत्रण, अत्यधिक राजनैतिक प्रभाव वाले संचालक मंडल, तकनीकी अभाव, आदि कारण KYC/ AML उल्लंघनों हेतु इन्हें आसानी से लक्ष्य बनाते हैं।

4. सामान्यत: ये शहरी सहकारी बैंक फ्रॉड/छल-कपट को रोकने में विफल रहते हैं। ये फ्रॉड सामान्यत: इनके स्टाफ द्वारा या उनकी मिली-भगत से भी होते हैं। 31 मार्च 2016 को 8,132 फ्रॉड के मामले लंबित थे जिनमें ₹672.38 करोड़ की राशि फंसी हुई थी। यदि ये बैंक इस रकम की वसूली नहीं कर पाते हैं तो बैंकों को ही पूरी क्षति सहनी होगी जिसका प्रभाव इनकी लाभप्रदता, निवल मालियत और CRAR पर पड़ेगा।

5. आधुनिक परिदृश्य में एक और लक्षण परिलक्षित हुआ है कि इन बैंको में सहकारिता का जो भाव निहित होता था, उस भाव में कमी आती जा रही है। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (CAB), पुणे द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि इन बैंकों का सहकारी चरित्र समाप्ति के कगार पर है जो कि निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट है:

   i. वार्षिक साधारण सभा (AGM) में अत्यंत निम्न उपस्थिति- 3% से 5% तक ही उपस्थिति अभिलेखों में पायी गई अर्थात मात्र कोरम ही पूरा होता है।

   ii. नए रेग्युलर सदस्यों को लेने पर प्रतिबंधात्मक प्रथा।

   iii. नए प्रबंधन/संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु निम्न मताधिकार का प्रयोग।

   iv. उसी प्रबंधन का पुनर्निर्वाचन या उनके परिवार के सदस्यों का निर्वाचन, निर्विरोध निर्वाचन आदि।

   v. वार्षिक साधारण सभा में महत्वपूर्ण/अर्थपूर्ण चर्चा का अभाव और

   vi. जमाकर्ताओं का प्रबंधन में प्रतिनिधित्व नगण्य होना।

6. बाज़ार में बढ़ती प्रतियोगिता का कठिन सामना भी इन बैंकों को करना पड़ रहा है। बड़े-बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से इन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है क्योंकि इन संस्थाओं के पास उच्च तकनीकी क्षमता, उच्च पारिश्रमिक पर नियुक्त कुशल कर्मचारियों और आक्रामक विपणन क्षमता, आदि का अभाव है। अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नीची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, अधिक फॉलो-अप न होने, आदि के कारण शहरी सहकारी बैंकों को अच्छे ग्राहक मिलना अत्यंत कठिन होता है और यदि मिल भी जाएँ तो उन्हें बनाए रखने हेतु कई प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं।

7. ब्याज दर की यदि बात करें तो इन बैंकों की 'जमा लागत' अन्य बैंकों से तुलनात्मक रूप से अधिक रहती है क्योंकि CASA जमाओं की तुलना में उच्च दर वाली सावधि जमाओं का प्रतिशत अधिक रहता है।

8. अन्य संस्थाओं की अंश पूंजी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती है और हस्तांतरण आदि होने पर पूंजीगत आधार नहीं बदलता है किन्तु शहरी सहकारी बैंकों के अंशधारक

जब चाहे अपना अंशदान वापस ले सकता है। जरा सी अफवाह का एक झोंका ही इनकी पूंजी और जमाराशियों के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है।

9. कुछ बैंकों और विशेषज्ञों का कहना है कि समूहगत व व्यक्तिगत ऋण सीमाएं इन बैंकों के व्यापार को सीमित कर देती हैं किन्तु इसके दूसरे पहलू पर विचार करें तो ये सीमाएं जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने में अत्यधिक सहायक होती हैं। सोचिए यदि कुछ व्यक्तियों या समूहों को ही असीमित ऋण प्रदान कर दिये जाएँ जो कि गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में तबदील हो जाएँ तो इन बैंकों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। किंगफिशर एयरलाइन का उदाहरण यहाँ उल्लेखनीय होगा जिसने कई बड़े-बड़े वाणिज्यिक बैंको को भी हिलाकर रख दिया।

10. निष्क्रिय सदस्यता और पेशेवर दृष्टिकोण का अभाव इन्हें मरणासन्न अवस्था में ले जा रहा है। इन बैंकों का मुख्य केंद्र बिन्दु ऋणी-संचालित संस्थाओं के रूप में होता जा रहा है जिसमें अधिकतर सदस्य नाममात्र (Nominal) के सदस्य हैं और मतदान का अधिकार नहीं रखते हैं।

11. जोखिम प्रबंधन व बुनियादी बैंकिंग मॉडलों का अभाव भी इनके विकास में अवरोध पैदा कर रहा है।

12. अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "लघु वित्तीय बैंकों" (SFB) व "भुगतान बैंकों" को लाइसेन्स प्रदान किए जाने के बाद शहरी सहकारी बैंकों के ग्राहक वर्ग में सेंध लगना अवश्यंभावी है क्योंकि लघु बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग-रहित व्यक्तियों को उत्तम सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य है। ये लघु बैंक व भुगतान बैंक उच्च-स्तरीय टेक्नालॉजी तथा कुशल श्रम के साथ शहरी सहकारी बैंकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा प्रदान करेंगे। इन नए-नवेले बैंकों के आने पर शहरी सहकारी बैंक किस प्रकार अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करेंगे, यह देखना रोचक होगा।

13. इन बैंकों के समक्ष आज भी दोहरे नियंत्रण (Dual Control) की चुनौती विद्यमान है। भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ इन शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन संबन्धित राज्य के सहकारिता रजिस्ट्रार/ केंद्रीय सहकारिता रजिस्ट्रार (बहु-राज्यीय बैंकों हेतु) द्वारा किया जाता है। दोहरे नियंत्रण/विनियमन से विनियामक नियंत्रण ढीला और धीमा हो जाता है। इस दोहरे विनियमन की स्थिति के अंतर्गत लाइसेंसिंग व बैंकिंग कार्यों का विनियमन/ पर्यवेक्षण रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है जबकि पंजीकरण, प्रबंधन, प्रशासन व नियुक्ति, सांविधिक लेखा परीक्षा, विलय व समापन, आदि का विनियमन संबन्धित राज्य के सहकारिता रजिस्ट्रार/ केंद्रीय सहकारिता रजिस्ट्रार (बहु-राज्यीय बैंकों हेतु) द्वारा किया जाता है। इस दोहरे विनियमन के कारण विनियामक नियंत्रण ढीला और धीमा हो जाता है। कुछ विषयों में भ्रम तथा परस्पर-व्यापी निर्णय की संभावना रहती है और इसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है जिसका 'निर्णय क्षमता' पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में संचालकों का विषय रजिस्ट्रार के अधिकारों के अंतर्गत आता है किन्तु रिज़र्व बैंक भी इस विषय पर अपने परिपत्र/निदेश जारी करता है यथा- संचालकों व उनके रिश्तेदारों/संस्थाओं को बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने की सीमा आदि। यह भी

देखा गया है कि इस दोहरे नियंत्रण की आड़ में कुछ बैंक रिज़र्व बैंक के निदेशों का पालन करने में चूक करते हैं और आर्थिक दंड आदि का सामना करते हैं।

यद्यपि दोहरे नियंत्रण के प्रभावों को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्यों तथा केंद्र के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए है और तदनुसार TAFCUB की स्थापना की है जिसकी समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं और कमजोर बैंकों की स्थिति में सुधार के बारे में परिचर्चा होती है। किन्तु कुछ मामलों में हित टकराव भी होता रहता है जो कि इन बैंकों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है।

उपादेयता

यद्यपि, उपर्युक्त चिंताएँ औचित्यपूर्ण प्रतीत होती हैं किन्तु इन बैंकों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। आज कई शहरी सहकारी बैंक यथा सारस्वत बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ऐसे बैंक वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि इनका ग्राहक-आधार निम्न व मध्यम आय वर्ग के वे व्यक्ति हैं जिन्हें नियमित बैंकिंग सुविधाएं अन्यत्र से आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ये बैंक इन समूहों का आर्थिक समावेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को विकसित करने हेतु किए गए उपाय

भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को विकसित करने हेतु कई कदम उठाए हैं यथा-

(i) इंटरनेट (दृश्यगत) बैंकिंग की अनुमति प्रदान करना, (ii) Demat खाते की सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान करना, (iii) ऑफ साइट एटीएम खोलने हेतु नियमों में उदारीकरण करना, (iv) फीस आधारित आय की अनुमति प्रदान करना, (v) गोल्ड-लोन की एकमुश्त भुगतान सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना, (vi) कई बैंकों को विदेशी मुद्रा विनिमय और (vii) मर्चेन्ट बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, (viii) TAFCUB की स्थापना, आदि।

यदि शहरी सहकारी बैंकों को लुप्त-प्राय होने से बचना है तो इन्हें अपनी कार्य-प्रणाली, अपनी व्यापार कुशलता में परिवर्तन करना होगा। इन बैंकों को अपने कार्यक्षेत्र से परिचित होने, अपने ग्राहकों की पूरी जानकारी रखने और उनसे अंतरंगता बढ़ाने तथा उनसे पुराने रिश्ते होने का लाभ उठाते हुए नए ग्राहक बनाने होंगे और साथ ही पुराने ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखना होगा। 'अनुपम विक्रय अवधारणा' तथा उत्पादों को ग्राहकों के अनुरूप बनाकर प्रतिस्पर्धी भी बनना होगा।

प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना

उच्च टेक्नालॉजी से मुंह मोड़ना श्रेयस्कर नहीं होगा अपितु उसे गले लगाकर ग्राहकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। आज का युग तकनीकी युग है और डिजिटल बैंकिंग आज समय की मांग है। इसलिए इन्हें कार्ड बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस एलर्ट, ई-मेल सर्विस, वालेट सर्विस के अलावा विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए समूहन की प्रक्रिया का लाभ भी उठाना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाकर परंपरागत ढांचे को बदलना होगा। समुचित व कुशल जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनानी होगी। अतिरिक्त पूंजी के स्रोत ढूँढने होंगे। तीन बैंकों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार जब

इन बैंकों की जमा पूंजी में संशोधन किया गया तो बैंकों की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ और बैंक AID से बाहर आ गए।

प्रबंधन

संगठनात्मक व प्रबंधन के स्तर पर भी अभूतपूर्व सुधार करना आवश्यक होगा यथा- कुशल श्रम लाना, कॉर्पोरेट गवर्नेन्स को उच्च कोटि का बनाना, पेशेवर प्रबंधन अनिवार्य करना, राजनैतिक दवाब की अनुपस्थिति, फ्रॉड आदि के मामलों के प्रति अधिक सचेत होना और अपने स्टाफ की उत्तरदायिता निर्धारित करना आदि भी बैंकों की अग्रिम पंक्ति में आने के लिए आवश्यक कदम होंगे।

ऋण वसूली प्रणाली

रजिस्ट्रार को सहकारी न्यायालयों को शीघ्र वसूली प्रक्रिया व डिक्री को लागू करने हेतु कदम उठाने होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक को भी इन बैंकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना होगा क्योंकि पर्यवेक्षकों की प्रतिबद्धता (सहयोग) बैंकों को बल प्रदान करेगा। इन बैंकों को समुचित सलाह, मार्गदर्शन देना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यद्यपि इस दिशा में पहल करते हुए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सेमीनारों/कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण अभ्यास का आयोजन सतत आधार पर किया जा रहा है जो इन बैंकों के संचालकों/अधिकारियों, स्टाफ व सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनकी जानकारी, कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु अपेक्षित ज्ञान एवं साधनों से सज्जित करते हैं।

कुछ आंकड़ों पर यदि दृष्टि डालें तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी यथा-

31 मार्च 2016 को इन बैंकों की कुल जमा राशियाँ ₹3,921.79 अरब व अग्रिम ₹2,450.13 अरब थे। इसी तारीख को इनका ऋण-जमा अनुपात 62.47% था। इन बैंकों ने औसतन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को लगभग 50% तथा कमजोर वर्ग को लगभग 14% ऋण प्रदान किया था, MSME को दिये गए ऋणों में भी औसतन इनकी भागीदारी लगभग 27% थी। 9% या अधिक CRAR वाले बैंकों की संख्या लगभग 95.4% थी। परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ 0.79% था। इनकी सकल अनुत्पादक आस्तियां (GNPA) 6.55% थीं तथा निवल अनुत्पादक आस्तियां 3.05% थी जो कि कई सार्वजनिक बैंकों के आंकड़ों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति दर्शाते हैं।

अंत में यह कहा जा सकता है कि शहरी सहकारी बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना होगा और बैंकिंग क्षेत्र में विकासात्मक भूमिका का निर्वहन करना होगा। आज भी ये बैंक नए-नवेले बैंको यथा- भुगतान बैंक व लघु वित्तीय बैंकों से प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बैंकिंग रहित/न्यून बैंकिंग क्षेत्रों के विकास व समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, लघु व सीमांत उद्योगों/कृषकों, कमजोर वर्गों आदि के सशक्तिकरण एवं विकास में इन बैंकों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। आधुनिक परिदृश्य में भी शहरी सहकारी बैंक वित्तीय समावेशन व सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के वाहक सिद्ध हो सकते हैं और क्षेत्र में विद्यमान अपनी छवि को सुधार कर नवीन छवि का निर्माण कर सकते हैं।

Source: Report on trend and progress of Banking in India-2015-16.

बैंकों द्वारा आधारभूत संरचना के लिए वित्तपोषण

जिस तरह ट्रेन को चलने के लिए पटरी की आवश्यकता होती है, उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था के लिए चाहे मुख्य प्रेरक बल (Prime Moving Force) कुछ भी हो (प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक क्षेत्र), उसके विकास के लिए समूचित आधारभूत संरचना होना एक आवश्यक पूर्व शर्त है। पहले यह जानना आवश्यक है कि आधारभूत संरचना क्या है ? ये मूलतः वैसी वस्तुएं तथा सेवाएं हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सकती है। इनमें अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। विद्युत, परिवहन, संचार, जल-आपूर्ति तथा शहरी सुख-सुविधा आदि इस क्षेत्र के उदाहरण हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आलोक में उक्त ज्वलंत विषय की गहन संवीक्षा एवं उसके अवयवों की पड़ताल करना अपेक्षित ही नहीं, आवश्यक भी है।

राकेश चन्द्र नारायण
महाप्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, कोलकाता

आधारभूत संरचना की परिभाषा :

विद्युत, परिवहन और संचार ऐसे तीन क्षेत्र हैं, जिसे पूरे विश्व में आधारभूत संरचना माना गया है। भारत में अलग-अलग संस्थाओं ने आधारभूत संरचना को अलग-अलग ढंग से पारिभाषित किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय), डॉ. राकेश मोहन कमेटी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और आयकर विभाग की परिभाषाओं में विद्युत, जल-आपूर्ति, दूर-संचार, सड़क तथा पुल, पत्तन, हवाई अड्डा तथा रेलवे सभी शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तपोषण के लिए निम्नलिखित श्रेणी को इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण की मान्यता दी है :

क्रम सं.	श्रेणी	इंफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र
1	परिवहन	i. सड़क तथा पुल ii. पत्तन iii. अंतरदेशीय जल मार्ग iv. हवाई अड्डा v. रेलवे ट्रेक, सुरंग, छोटे-पुल vi. शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)।
2	ऊर्जा	i. बिजली उत्पादन ii. विद्युत पारेषण

क्रम सं.	श्रेणी	इंफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र
		iii. बिजली वितरण iv. तेल की पाइप लाइनें v. तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एवं जी) भंडारण सुविधा vi. गैस पाइप लाइन।
3	जल तथा सफाई व्यवस्था (सैनीटेशन)	i. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ii. जल आपूर्ति पाइप लाइनें iii. जल शोधन कारखानें iv. सीवेज, संग्रह, शोधन और निपटान प्रणाली v. सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) vi. चक्रवात जल निकासी प्रणाली vii. स्लरी पाइप लाइन।
4	दूरसंचार	i. दूरसंचार (जड़ नेटवर्क) ii. दूरसंचार टॉवर iii. दूरसंचार एवं टेलीकॉम सेवाएं।
5	सामाजिक तथा व्यावसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर	i. शैक्षणिक संस्थाएं (पूंजी स्टॉक) ii. अस्पताल (पूंजी स्टॉक) iii. तीन सितारा और उच्च श्रेणी वर्गीकृत होटल, जो एक मिलियन या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित हैं। iv. औद्योगिक पार्क, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार v. उर्वरक (पूंजी निवेश) vi. शीतागार सहित कृषि तथा बागवानी संबंधी उत्पादों के लिए फसल के बाद भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर
		vii. टर्मिनल बाजार viii. मृदा परीक्षण, प्रयोगशालाएं (Soil testing laboratories) ix. प्रशीतन श्रृंखला x. भारत में किसी भी स्थान पर और किसी भी तारांकित रेटिंग वाले होटल जिसकी प्रत्येक की परियोजना लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक है। xi. कॉनवेंशन सेंटर जिसकी प्रत्येक की लागत 500 करोड़ रुपए से अधिक है।

आधारभूत संरचना और संस्थागत ऋण:

स्वतंत्रता के समय भारत का पूंजी बाजार तुलनात्मक रूप से कम विकसित था। यद्यपि उस समय नई पूंजी की मांग बहुत अधिक थी, परंतु पूंजी प्रदाताओं की कमी थी। मर्चेंट बैंकर्स और हामीदारी करने वाली कंपनियां लगभग न के बराबर थीं और वाणिज्यिक बैंक उद्योगों को यथोचित रूप से दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त प्रदान करने में समर्थ नहीं थे। इस पृष्ठभूमि में औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईडीबीआई, आईडीएफसी, आईसीआईसी, आईआईएफसी और आईआईबीआई की स्थापना समय–समय पर की गई। इन वित्तीय संस्थाओं को केन्द्रीय बैंक के सांविधिक नकदी अनुपात या एसएलआर के माध्यम से कम लागत वाली निधियों तक पहुंच प्रदान की गई, जिससे यह संस्थान निगमित ऋणियों को रियायती दरों पर ऋण एवं अग्रिम राशि प्रदान कर सके।

उदारीकरण की शुरूआत 90 के दशक में हुई। धीरे-धीरे वे बैंक दीर्घकालीन ऋण देने लगे जिनके पास सस्ती निधि उपलब्ध थी। फलस्वरूप आईसीआईसीआई और आईडीबीआई जैसी संस्थाएं बैंकिंग कंपनी बन गईं।

आधारभूत संरचना: पूंजी प्रधान क्षेत्र

पूरे विश्व में परिवहन, ऊर्जा, जल और दूरसंचार व्यवस्था में लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होता है, फिर भी यह बढ़ती जरूरत के अनुसार पर्याप्त नहीं है। इससे आर्थिक प्रगति धीमी पड़ती है और इससे विश्व की बड़ी जनसंख्या आवश्यक सूचनाओं से वंचित हो जाती है। यह तर्क दिया जाता है कि इस क्षेत्र का निधिकरण सरकार के द्वारा कर वसूली के माध्यम से पूर्णतः नहीं तो अंशतः अवश्य किया जाना चाहिए।

भारत सरकार ने 3 वर्ष के भीतर आधारभूत संरचना में निवेश करने के लिए 25 ट्रिलियन ₹ (376.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का लक्ष्य रखा है, जिसमें 8 ट्रिलियन ₹ (120.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर) 27 औद्योगिक कल्स्टर के विकास के लिए शामिल है तथा 5 ट्रिलियन ₹ (75.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की अतिरिक्त राशि सड़क, रेलवे और बंदरगाह से जोड़ने की परियोजनाओं के लिए रखी गई हैं। भारत ने विश्व बैंक के संभारतंत्र निष्पादन सूचकांक (Logistic performance index) 2016 में 19 स्थान ऊपर चढ़कर कुल 160 देशों में 35वें पायदान पर आ गया है। आधारभूत संरचना (बुनियादी सुविधाएं) जैसे बंदरगाह, सड़क और हवाई अड्डे कुल मिलाकर इस सूचकांक के लिए छः पैरामीटर बनाते हैं। भारत में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में व्यापक रूप से सरकारी तथा निजी निवेश की आवश्यकता है।

आधारभूत संरचना को वित्त प्रदान करने में बैंकों की भूमिका

बाजार में गहराई की कमी, वैकल्पिक स्रोत का अभाव तथा नवोन्मेष लिखत की कमी के कारण बैंक आधारभूत संरचना में सबसे अधिक वित्त प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में बैंक का वित्त बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में दिया गया बकाया ऋण मार्च 2001 में 95 बिलियन रुपये था जो मार्च 2016 में बढ़कर 9853 बिलियन रूपये हो गया अर्थात पिछले 15 वर्षों में यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआई) 39.31% थी। ज्यादातर ऋण सड़क परियोजनाओं, बिजली एवं इसी प्रकार की परियोजनाओं में दिया गया है। इस असाधारण वृद्धि के अनेक अवांछित परिणाम भी हुए हैं जैसे बैंकों के पास आधारभूत संरचना क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियों का विशाल भंडार खड़ा है।

आधारभूत संरचना में दबावग्रस्त आस्तियों का कारण

इस क्षेत्र की परियोजनाएं लंबे समय की परियोजनाएं हैं जिसके लिए इक्विटी और ऋण दोनों की सही-सही मात्रा आवश्यक है। इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा का मूल्यांकन वास्तविक रूप से किया जाना चाहिए ताकि कमर्शियल परिचालनों को शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) सही रहे। लेकिन इसपर पूरा ध्यान नहीं दिया गया।

चुकौती के लिए जो समय सारणी बनाई गई थी वह नकदी प्रवाह के अनुरूप नहीं थी। ऐसे मामलों में चुकौती करने के लिए नए सिरे से उधार देना पड़ा। फलस्वरूप लागत बढ़ गया और दबाव बनता गया।

कुछ अप्रत्याशित घटनाओं को कारण ही इस क्षेत्र में एनपीए का सृजन हुआ जैसे नीतियों में परिवर्तन तथा कच्चे माल का न मिलना इत्यादि।

मार्च 2016 तक इस क्षेत्र में एनपीए कुल अग्रिम का लगभग 8% है जो बैंकिंग क्षेत्र का कुल एनपीए का लगभग 13% है। पुनर्रचित मानक आस्तियों सहित आधारभूत संरचना क्षेत्र की कुल दबावग्रस्त आस्तियां बैंकिंग क्षेत्र के इस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का 17% है तथा कुल दबावग्रस्त आस्तियों का 21% है।

आधारभूत संरचना के वित्तपोषण की विशेषता

इस क्षेत्र की परियोजनाएं जटिल स्वरूप की होती हैं तथा इसमें बड़ी संख्या में पार्टियां शामिल होती हैं। इनमें प्रायः प्राकृतिक एकाधिकार होता है जैसे महामार्ग अथवा पानी की आपूर्ति। इसलिए सरकार इन पर नियंत्रण रखना चाहती है ताकि सरकार की एकाधिकार शक्तियों का दुरूपयोग न किया जा सके। इसके लिए जटिल कानूनी व्यवस्था की जाती है ताकि उससे होने वाले फायदे का सही-सही वितरण हो सके एवं जोखिम साझा किया जा सके जिससे सभी शामिल पार्टियों को बराबर प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।

ये लंबे समय के लिए होती है तथा इससे कई प्रकार के जोखिम होते हैं जैसे नीतियों में बदलाव और स्वीकृति मिलने में विलंब आदि। विलंब से परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और समय भी अधिक लगता है। इस क्षेत्र में कर्ज देने में वर्चस्व बैंकिंग प्रणाली का है जिसकी आस्ति देयता में असंतुलन का बुनियादी मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इन कारणों से इस क्षेत्र में कर्ज देना हमेंशा चुनौतीपूर्ण रहा।

आधारभूत संरचनाओं के वित्त पोषण में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देश

i) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न कारणों से होने वाले बिलंब को ध्यान में रखकर अधिक समय का विस्तार रिज़र्व बैंक ने इस शर्त पर दिया है कि बैंक ऋण के वर्गीकरण में कुछ बदलाव नहीं करेगा। लागत में थोड़ी सी वृद्धि के लिए वित्त प्रदान किए जाने की अनुमति दी।

ii) बैंक अन्य उधार देने वाली संस्थाओं के पक्ष में गारंटी जारी कर सकते हैं बशर्ते जो बैंक गारंटी जारी कर रहा है उसका परियोजना लागत के कम से कम 5% तक का दिए गए धन में हिस्सा होना चाहिए।

iii) कंपनी की इक्विटी पूँजी प्रवर्तकों की होनी चाहिए। बैंकों को यह अनुमति है कि वे प्रवर्तकों की इक्विटी के लिए निधि तभी दे सकते हैं जब वर्तमान कंपनी में शेयरों के अभिग्रहण का मामला निहित हो और जो कंपनी भारत में आधारभूत संरचना की परियोजनाओं के कार्यान्वयन या परिचालन में लगी हो।

iv) 13 जून 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5/25 योजना की घोषणा की जिससे ऋण की राशि की पुनर्रचना बैंक उदारपूर्ण तरीके से कर सकते है ताकि ऋण की चुकौती की समय-सारणी, कंपनी के नकदी प्रवाह के अनुरूप हो। यह योजना तभी लागू होगी जब खाते में सभी संस्थागत ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर ₹500 करोड़ से अधिक हो तथा परियोजनाओं का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया हो।

v) बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बांड के माध्यम से बाजार से धन जुटा कर इस क्षेत्र को वित्तपोषण कर सकते हैं। यह धन मसाला बांड जारी कर भी जुटाया जा सकता है। इस तरह की राशि को प्राथमिकता प्राप्त उधार की अपेक्षाओं तथा आरक्षित राशि से छूट प्राप्त है।

vi) एसएमए 2 एक्सपोजर में जेएलएफ का अनिवार्य रूप में गठन करना, दवाब ग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए सुधारात्मक कार्य योजना बनाना, वर्तमान मामलों में लचीली पुनर्रचना योजना लागू करना तथा एसडीआर।

vii) 13 जून 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक ने एस 4 ए योजना की घोषणा की जो इस क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए थी। दबावग्रस्त ऋण दाता के लिए धारणीय (Sustainable) ऋण का निर्धारण करने एवं बकाया राशि को इक्विटी में बाँटने की व्यवस्था है। पूरी कार्रवाई पारदर्शी एवं सटीक हो – अतः यह ऐसी एजेंसी द्वारा शुरू की जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित प्रख्यात विशेषज्ञों वाली निगरानी समिति इस प्रक्रिया की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करेगी।

viii) 7 अप्रैल 2017 को रिज़र्व बैंक ने "थोक एवम् दीर्घावधि वित्त बैंक" (Wholesale and long term finance Bank) पर चर्चा पत्र जारी किया। यह बैंक इस क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करेगा। कारपोरेट बांड, क्रेडिट डेरिवेटीव, वेयर हाउस प्राप्तियां और अंतरण वित्त पोषण (टेक आउट फाइनेंसिंग) आदि जैसी प्रतिभूतियों में बाजार निर्माता के रूप में काम करेगा। इस क्षेत्र में वित्त पोषण की ओर देखें तो चुनौतियां बनी हुई है। दिए जाने वाले वित्त में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश और बैंक ऋण का वर्चस्व बना हुआ है। आवश्यकता है अच्छे निवेशकों के समूह को विस्तार देने तथा पूँजी बाजार के बड़े पैमाने पर उपलब्ध वित्तीय स्रोतों को इस्तेमाल करने की। अतः वित्तीय लिखतों का व्यापक मिश्रण तैयार करना होगा। इस क्षेत्र में निधि और बांड दोनों में काफी संभाव्यताएं हैं। जोखिमों को विभिन्न दिशाओं में वितरित कर देने के लिए बैंक ऋण का व्यापक प्रतिभूतीकरण करना होगा। वित्तीय बाजार का विकास, भरोसेमंद कानूनी ढाँचा तथा निवेशकों का आधार तैयार करना आवश्यक है।

किसी भी आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए किए गए ज्यादातर वित्त पोषण व्यावहारिक, समय सापेक्ष व भविष्योन्मुखी कार्य - योजनाओं के मुताबिक पूरे नहीं होने के कारण अथवा परियोजनाओं के पूरे होने तक लागत राशि के कम पड़ जाने के कारण या फिर उनमें लगने वाली वांछित निधि के अन्यत्र लग जाने की वजह से अनर्जक हो जाते हैं। फलस्वरूप ऐसी परियोजनाओं की चमक मद्धिम होती जाती है और संबंधित ऋण धीरे-धीरे अनर्जक होने लग जाते हैं। इस क्षेत्र में ऋण पोषण हेतु पर्याप्त रूप से जोखिम प्रबंधन करना उचित होगा। यह ध्यान रखना होगा कि परियोजना का नियोजन, कार्य की गुणवत्ता, समय पर कार्य का पूरा होना, निधि के सदुपयोग और परियोजना पूरी होने के बाद उसके संरक्षण और होने वाली आमदनी का वाजिब इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। वस्तुतः, अगर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत आधारभूत संरचनाओं को वित्तपोषण किया जाएगा तो ऋण उत्पादक होंगे और देश के विकास में बैंकों की भूमिका भी दिखाई देगी।

वैकल्पिक वितरण चैनल: बैंकरों व ग्राहकों के लिए वरदान एवं चुनौती

किसी भी साधन को अपनाने से कुछ सुविधाएं होती हैं तो कुछ असुविधाएँ भी होती हैं। कुछ लाभ होता है तो कुछ हानि भी होती है। अर्थात कोई भी चीज जो हमारे लिए वरदान है वह अनेक चुनौतियाँ भी ले कर आती है। उदाहरण के लिए हम परिवहन के साधन को ही ले लें। तीव्रगामी साधन से समय बचता है इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु दूसरी ओर दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। और इस तीव्रगामी साधन में कोई खराबी हो जाए तो फिर यह साधन बोझ ही लगने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो द्रुतगामी परिवहन का साधन हमारे लिए वरदान है वह अनेक चुनौतियाँ भी लाता है- दुर्घटना की आशंका, परिवहन के साधन की सुरक्षा, यात्री की सुरक्षा आदि की चुनौतियाँ।

बिनय कुमार पाठक

मुख्य प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक, रांची

कुछ इसी तरह की बात वैकल्पिक चैनल के बारे में भी कही जा सकती है। बेशक वैकल्पिक चैनलों से अनेक लाभ हैं। इनके कारण हमारा जीवन अत्यंत सरल हो गया है। हमें रोकड़ रखने की आवश्यकता नहीं है। जब चाहा एटीएम से धन आहरित कर लिया। जब चाहा इन्टरनेट बैंकिंग से ख़रीदारी कर ली। खाता विवरणी, आयकर विवरणी, पीपी खाते की रसीद, आधार नंबर या एलपी सबसिडी को खाते से जोड़ना, बैंक खातों में रकम का अंतरण, बिल का भुगतान करना तथा अनेक प्रकार के अन्य कार्य इन्टरनेट बैंक के माध्यम से की जा सकती है। इसी प्रकार मोबाइल बैंकिंग से भी अनेक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। पर कुछ हानियाँ भी हैं और कुछ चुनौतियाँ भी हैं इन वैकल्पिक वितरण चैनलों के। लाभ क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, इसे हम बारी-बारी से क्रमवार देखेंगे।

लाभ: वैकल्पिक चैनल से अनेक लाभ हैं। ये लाभ बैंकरों के लिए भी है तो ग्राहकों के लिए भी। इनमें से कतिपय निम्नलिखित हैं-

वरदान

बैंक के लिए वरदान :- वैकल्पिक चैनल बैंक के लिए कई कारणों से वरदान है। ये कारण निम्नवत हैं:-

समय का तकाजा

तेजी से बढ़ती जनसंख्या और बैंकिंग सेवा की मांग में वृद्धि को देखते हुए वैकल्पिक चैनल समय का तकाजा है, वक्त की मांग

है। आज वैकल्पिक साधन के बिना सफल बैंकिंग की कल्पना नहीं की जा सकती। वैकल्पिक चैनलों के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि आज लगभग तीन चौथाई लेनदेन वैकल्पिक चैनलों के द्वारा ही हो रहा हैं। भविष्य में निस्संदेह इस आंकड़े में और भी वृद्धि होगी। यदि वैकल्पिक चैनलों को हटा दिया जाए तो बैंकों की शाखाओं के लिए बढ़ते ग्राहकों को सँभालना मुश्किल हो जाएगा। अब अधिकांश बैंक वैकल्पिक वितरण चैनल को प्रश्रय दे रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण बैंक एवं सहकारिता बैंक भी वैकल्पिक वितरण चैनल को बढ़वा दे रहे हैं।

कम लागत

जो काम कर्मचारियों के द्वारा करवाया जाए उसमें लागत अधिक है। कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, स्थान की लागत, श्रम की लागत आदि अनेक लागत हैं जो हर माह होने ही होने हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि वैकल्पिक चैनलों के द्वारा लेनदेन में भी लागत है पर तुलनात्मक रूप से यह काफी कम है। कई चैनल तो ऐसे हैं जिसके लिए बैंकों को कोई स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चैनलों में स्थान चाहिए भी तो बहुत ही कम। इनमें एक बार निवेश कर देने के बाद काफी वर्षों तक इनसे कार्य लिया जा सकता है और वह भी सातो दिन चौबीसों घंटे। लागत का किसी भी व्यावसायिक संस्था में बहुत ही महत्व है। लागत जितनी कम होगी लाभ उतना ही अधिक होगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार

आज परिवहन और संचार के द्रुत साधनों के कारण पूरा विश्व एक छोटे से गाँव में तब्दील हो गया है। हम खुद को विश्वव्यापक प्रक्रिया और सुविधा से अलग नहीं रख सकते। ऐसा करना व्यवहार्य भी नहीं होगा। विश्व के विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए वैकल्पिक वितरण चैनल महत्वपूर्ण है और यह बैंकों के लिए वरदान है क्योंकि इसी के बदौलत बैंक खुद को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के समकक्ष रख सकता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी साख बना सकता है।

अनुपालन में सहायक

आज के युग में बैंकों को अनेक प्रकार के अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। देश के कानून के साथ अन्य देशों से समझौते के तहत अनुपालन करना होता है। देश के अंदर अनुपालन के उदाहरण के लिए आयकर, सेवाकर, धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन का उदाहरण दिया जा सकता है।

ग्राहक के लिए वरदान :- ग्राहक को वैकल्पिक चैनल से निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध है जिसके कारण इस ग्राहक के लिए वरदान कहा जा सकता है:-

निरंतर सुविधा

ग्राहक को वैकल्पिक वितरण चैनल के बदौलत निरंतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होती है। उसे बैंकिंग समय के लिए मुहताज नहीं होना पड़ता। वह जब चाहे जहां चाहे इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग आदि की सुविधा का लाभ उठा सकता है। एटीएम भी प्रायः हर स्थान पर चौबीसों घंटे उपलब्ध है ही। कई क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम भी उपलब्ध

है। अर्थात निधि आहरण की सुविधा भी निरंतर उपलब्ध है। फिर आजकल तो कई बैंक यह सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं जिसमें पीओएस मशीन के द्वारा उन्हें धन उपलब्ध करवाया जा सके।

कतार में लगने का झंझट नहीं

ग्राहक को कतार में खड़े हो कर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वह घर बैठे, कार्यालय से, यात्रा के दौरान, कभी भी लेनदेन कर सकता है। स्मार्टफोन के आने और थ्री जी तथा फोर जी नेटवर्क के उपलब्ध होने के बाद तो यह और भी आसान हो गया है। प्रायः सभी बैंकों ने अपने ऐप बना लिए है। दिन प्रतिदिन वैकल्पिक चैनलों के द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों की सूची बढ़ती जा रही है। एक फोन कॉल पर, एक एसएमएस पर अनेक सेवाएँ, जैसे खाते का विवरण लेना, सावधि जमा खाता खोलना आदि उपलब्ध हैं।

बैंक जेब में

जिस प्रकार मोबाइल के आने के बाद ग्राहक के जेब में टेलीफोन एक्स्चेंज आ गया है और वह देश विदेश में कहीं भी संपर्क कर सकता है उसी प्रकार मोबाइल बैंकिंग, टैब बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के कारण ग्राहक के जेब में और घर में बैंक है जिससे वह सारे प्रकार की सुविधाएं उठा सकता है।

अनेक सुविधाएं उपलब्ध - ग्राहकों को वैकल्पिक वितरण चैनल पर अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। इस सूची में दिन प्रतिदिन नई नई सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। किसी भी बैंक के खाते में रकम का अंतरण, मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, टैक्स का भुगतान, दान देना, चेक बुक के लिए अनुरोध करना, चेक के भुगतान रोकने का अनुदेश देना, आवर्ती या सावधि जमा खाता खोलना, आवर्ती जमा या सावधि जमा के आधार पर मांग ऋण लेना, शेयर में निवेश और अनेक प्रकार की सुविधाए दिन प्रतिदिन वैकल्पिक चैनलों पर बढ़ती जा रही हैं।

वैकल्पिक चैनलों की उपलब्धता में वृद्धि - एक समय था जब वैकल्पिक चैनल में मात्र एटीएम ही आता था और एटीएम भी सिर्फ धन संवितरण यंत्र ही था। आज एटीएम में अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं और दिन प्रतिदिन सुविधाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के वैकल्पिक चैनल उपलब्ध होते जा रहे हैं यथा इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, ऐप आदि इसके अंतर्गत आते हैं।

चुनौतियाँ :- वैकल्पिक चैनलों को अपनाने में और इन्हें ग्राहकों के लिए सुलभ करवाने में अनेक चुनौतियाँ भी हैं। कुछ चुनौतियाँ बैंकों के लिए भी हैं तो कुछ ग्राहकों के लिए भी।

बैंक के लिए चुनौती – बैंकों के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं वे निम्नवत् हैं -

कर्मचारियों को सक्षम बनाना

ईमानदारी से बात करें तो बैंक के कई कर्मचारी ही वैकल्पिक चैनलों का उपयोग नहीं जानते या फिर पूरा उपयोग नहीं करते। ऐसे में वे ग्राहकों को विशेषकर अल्पशिक्षित ग्राहकों को वैकल्पिक वितरण चैनल के उपयोग की जानकारी कैसे दे पाएंगे? यह कड़वी सच्चाई है। अतः पहली चुनौती है

कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से सक्षम बनाना। यहाँ यह भी विचारणीय विषय है कि जो कर्मचारी वैकल्पिक वितरण चैनल से तादात्म्य बैठाने में सफल नहीं हो पा रहे उन्हें सम्मानजनक तरीके से सेवानिवृत्ति दी जाए और नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए जो सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में सहज महसूस करते हैं।

ग्राहकों को शिक्षित करना

आज भी अनेक ग्राहक है जो वैकल्पिक वितरण चैनल का उययोग करने में झिझकते हैं। मोबाइल बैंकिंग एवं इन्टरनेट बैंकिंग तो दूर की बात है वे एटीएम या पासबुक प्रिंटिंग मशीन का भी प्रयोग करना नहीं जानते या प्रयोग नहीं करना चाहते। ऐसे ग्राहकों को शिक्षित करना और वैकल्पिक चैनल के प्रयोग के लिए प्रेरित करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।

समुचित संचालन

तकनीकी खराबी या नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार वैकल्पिक चैनल सफ़ेद हाथी बन जाते हैं। अतः वैकल्पिक वितरण चैनलों का कुशल संचालन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बैंक को नेटवर्क के लिए बाहरी एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए भी अलग एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ता है। पुनः हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के कारण भी समुचित संचालन में कठिनाई आती है।

बढ़ता अपराध और बढ़ती धोखाधड़ी

आए दिन इस प्रकार की खबरें समाचारों की सुर्खियां बनती हैं कि अमुक व्यक्ति से किसी ने बैंक अधिकारी होने का अभिनय कर मोबाइल फोन पर गुप्त सूचना ले ली और उसके खाते से हजारों रुपये का लेनदेन कर लिया। इसी प्रकार एटीएम कार्ड बदल कर ग्राहक के खाते से रकम हड़प लेने की घटनाएं भी होती रहती हैं। और तो और कई बार एटीएम में तोड़-फोड़ और एटीएम को ही उठा कर ले जाने की घटनाएं होती रहती हैं। एटीएम में धन भरने वाली गाड़ी को ही ले भागने की भी छिटफुट घटनाएँ होती रही हैं। इसी प्रकार इन्टरनेट बैंकिंग में भी धोखाधड़ी की घटनाएँ आम हैं। बैंक के साइट के हैक करने की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो साइबर अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है और यह एक कठिन चुनौती है।

व्यवसाय निरंतरता योजना

वैकल्पिक वितरण चैनल स्वाभाविक है कि नेटवर्क की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः किसी क्षेत्र में नेटवर्क की उपलब्धता नहीं होने का व्यापक प्रभाव पड़ता है। जलापूर्ति, विद्युत वितरण आदि के पाइप से संबंधित कार्य या फिर सड़क मरम्मत आदि के दौरान टेलीफोन लाइन का कटना आम बात है। ऐसी स्थिति में नेटवर्क की उपलब्धता समाप्त हो जाती है। ऐसे में व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक नेटवर्क के अनुपलब्ध होने पर तुरंत दूसरा नेटवर्क कार्य करने लगे। बैंक की विभिन्न शाखाएँ या फिर विभिन्न बैंक आपस में इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं कि एक दूसरे के ग्राहकों को वैकल्पिक चैनल का प्रयोग अबाधित तरीके से करने दें। हां! इसके लिए वे आपस में किराया या शुल्क साझा कर सकते हैं।

आपदा की स्थिति में वैकल्पिक वितरण चैनल की बहाली

कई बार बाढ़, तूफान, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वैकल्पिक वितरण चैनल की क्षमता ठप्प हो सकती है। यह भी एक बड़ी चुनौती है। विगत वर्ष चेन्नई में बाढ़ के कारण इस तरह के हालत बन गए थे। वैसे बैंकों के द्वारा उस भीषण परिस्थिति में भी नाव पर एटीएम सुविधा उपलब्ध करवा कर वैकल्पिक चैनल की बहाली का अद्भूत उदाहरण पेश किया गया था।

सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में परिवर्तन की चुनौती

वैकल्पिक वितरण चैनलों की स्थिति में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आए दिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में परिवर्तन भी बैंकों के लिए बड़ी चुनौती है।

ग्राहकों के लिए चुनौती :- ग्राहकों को वैकलिक वितरण चैनलों के अपनाने में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है-

अपराधियों से सावधानी

समाज में अपराध अवसंभावी है। यह एक कटु सत्य है कि समाज जैसा भी होगा अपराध होगा ही। समुन्नत प्रौद्योगिकी के युग में अपराध भी उसी प्रकार के होंगे। वैकल्पिक वितरण चैनल के प्रयोग में ग्राहकों के समक्ष साइबर अपराधियों से स्वयं को बचाने की चुनौती होगी।

परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को ढालना

ग्राहकों के लिए परिवर्तन से अनुरूप स्वयं को ढालना भी एक चुनौती होगी क्योंकि तकनीक और प्रौद्योगिकी में समय के साथ परिवर्तन होता रहेगा। अब ग्राहकों को वैसे भी अनेक कार्य स्वयं करने होते हैं। उदाहरण के लिए एटीएम से स्वयं धन का लेनदेन करना, अन्य सेवा का उपयोग करना, पासबुक स्वयं मुद्रित करना, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से स्वयं ही लेनदेन करना। प्रसन्नता की बात है कि नई पीढ़ी तकनीक और प्रौद्योगिकी के साथ सहज महसूस करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैकल्पिक वितरण चैनलों के अपने लाभ भी हैं तो हानियाँ भी हैं। परंतु समय का तकाजा यही है कि हम चुनौतियों का सामना करें और वैकल्पिक वितरण चैनलों को लोकप्रिय बनाएं।

ई-मेल- binay.pathak@sbi.co.in

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का नाम – आधुनिक भारतीय बैंकिंग – सिद्धांत एवं व्यवहार

लेखक – देवेन्द्र कुमार खरे एवं डा. जवाहर कर्नावट

संस्करण – प्रथम 2015

प्रकाशक – सरस्वती मंदिर, 131, विष्णुपुरी, सीपरी बाजार, झांसी, उत्तर प्रदेश

मूल्य – 780/- रुपये

बैंकों का मूलभूत कार्य बचत खातों के माध्यम से संसाधन जुटाना और इस प्रकार जुटाई गई राशि को बचत खातों पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक ब्याज पर उधार देकर लाभ कमाना है। पर, समय के साथ-साथ बैंकों के कार्यों में विविधता आती गई और आज न जाने कितने नए आयाम इसके साथ जुड़ गए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। बैंकिंग ने ऐसे गैर-परंपरागत क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया है, जिनकी दो दशक पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इनमें खुदरा बैंकिंग, कार्ड बैंकिंग, ऑन-लाइन बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, उपस्कर पट्टे पर देना, जोखिम पूंजी, पारस्परिक निधियां, फेक्टरिंग, परामर्श सेवाएं जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं। सच तो यह है कि आज बैंक किसी भी देश के वित्तीय कार्यकलापों की धुरी बन गए हैं और आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन का वाहक बन गए हैं।

डा. रमाकांत शर्मा
महा प्रबंधक (सेवा निवृत्त)
भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय बैंकिंग भी उपर्युक्त परिवर्तनों से अछूती नहीं है। "वर्ग बैंकिंग" से "जन बैंकिंग" की ओर निरंतर अभिमुख बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य हो जाता है कि बैंकिंग को समझने – समझाने के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचुर संदर्भ साहित्य उपलब्ध हो। इस ओर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री देवेन्द्र खरे और डा. जवाहर कर्नावट की पुस्तक **आधुनिक भारतीय बैंकिंग – सिद्धांत एवं व्यवहार** इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है।

पहला अध्याय पाठकों को भारतीय बैंकिंग के इतिहास से परिचित कराता है। इसमें पारंपरिक बैंकिंग, ब्रिटिशकालीन

भारतीय बैंकिंग, स्वातंत्र्योत्तर बैंकिंग, राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग, उदारीकृत बैंकिंग तथा 21वीं सदी की बैंकिंग की संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी दी गई है।

"बैंकिंग के मूल तत्व" संबंधी दूसरे अध्याय में बैंकिंग से संबंधित परिचयात्मक जानकारी का समावेश किया गया है, जिसमें बैंकिंग के अर्थ और परिभाषा से लेकर बैंकिंग के बुनियादी सिद्धांतों, बैंक के प्रकारों, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा बैंकिंग के आधुनिक कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।

तीसरा अध्याय "बैंकिंग विनियम" भारत में बैंकों के विनियामक भारतीय रिज़र्व बैंक के गठन के उद्देश्य, संगठनात्मक स्वरूप, उसके कार्यों तथा मौद्रिक उपकरणों की सरल व्याख्या करता है, जिससे पाठक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका का बखूबी अंदाजा लगा सकता है।

"परक्राम्य लिखत अधिनियम" बैंकिंग प्रणाली का आधार है क्योंकि यह चेक, ड्राफ्ट तथा विनिमय बिल जैसे परक्राम्य लिखतों के स्वरूप और उनके प्रयोग से संबंधित कानूनी पहलुओं को निर्धारित करता है। इस अध्याय में परक्रामण, परक्राम्य लिखत, पृष्ठांकन और रेखन के समस्त प्रकारों, यथासमय भुगतान को सरल भाषा में समझाया गया है। 'वसूलकर्ता बैंक के लिए संरक्षण' तथा 'चेक के अनादरण' से संबंधित जानकारी इस अध्याय को और भी उपयोगी बना देती है। अच्छा होता यदि इस अध्याय में चेक इमेजिंग और चेक ट्रंकेशन संबंधी जानकारी को भी शामिल किया जाता।

पांचवा अध्याय बैंकर-ग्राहक संबंध, बैंकर और ग्राहक की परिभाषा तथा बैंकर के अधिकारों और कर्तव्यों पर केंद्रित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकर के धारणाधिकार, समंजन के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया गया है।

छठा अध्याय जहां विभिन्न प्रकार के बैंक खातों की जानकारी उपलब्ध कराता है, वहीं सातवां अध्याय बैंक जमा के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करता है। आठवां अध्याय बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं पर प्रकाश डालता है, जिनमें धन-प्रेषण, चेकों की वसूली, डीमेट खाते, सरकारी कारोबार, निष्पादक और प्रशासक, सुरक्षित जमा लॉकर तथा सुरक्षित अभिरक्षा जैसी सेवाओं को विस्तार से समझाया गया है। इस प्रकार ग्राहक और सामान्य पाठक की दृष्टि से ये दोनों अध्याय बहुत उपयोगी बन गये हैं।

अगले दो अध्याय "ऋण देने के सिद्धांत" तथा "प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र" को समर्पित हैं। यह माना जाता है कि यदि बैंक ऋण देने के आधारभूत सिद्धांतों का पूरा पालन करें तो उनके सामने अनर्जक आस्तियों की समस्या इतने विकराल रूप में उपस्थित ही न हो। वहीं, ऋण राष्ट्रीय विकास का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण साधन भी है, अत: उसका उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। इस मूलमंत्र को लेकर यह अनिवार्य किया गया है कि बैंक अपने कुल ऋण का एक निर्धारित प्रतिशत कृषि, बुनियादी ढांचे, लघु उद्यमों, निर्यातों तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को प्रदान करें। इससे संबंधित लक्ष्यों तथा निर्देशों को इस अध्याय में तरतीब से

समेकित किया गया है। भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के लिए लागू की गई योजनाओं की जानकारी इस अध्याय को और भी उपयोगी बना देती है। मुद्रा बैंक की नई पहल को संभवत: पुस्तक के अगले संस्करण में स्थान मिलेगा।

"गैर-निधि आधारित अग्रिम" अध्याय में बैंक गारंटी, साखपत्र तथा सह-स्वीकृति संबंधी जानकारी प्रदान की गई है।

बारहवां अध्याय "वैकल्पिक डिलीवरी चैनल" सूचना तकनीक का विकास और बैंकिंग पर प्रभाव, स्वचालित टैलर मशीन द्वारा प्रदत्त सेवा, मोबाइल बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन गृह तथा कार्ड बैंकिंग जैसे बैंकिंग के नए आयामों की यथोचित जानकारी उपलब्ध कराता है। इसमें "रुपे कार्ड" को सम्मिलित किया गया है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें विशेष तौर पर भुगतान बैंकों की स्थापना तथा यूपीआई और भीम एप की जोरदार शुरुआत शामिल है। पुस्तक के भावी संस्करणों में इन्हें भी शामिल किया जाएगा, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है।

अंतिम चार अध्याय ग्राहक सेवा, अपने ग्राहक को जानिए, वित्तीय समावेशन और सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विषयों को समेटे हुए हैं। इन अध्यायों में संबंधित विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गई है और यह प्रयास किया गया है कि पाठक को उनसे संबंधित जरूरी जानकारी सहज ढंग से प्राप्त हो।

विद्वान लेखकद्वय की समीक्षाधीन पुस्तक कई मायनों में विशिष्ट है। इसमें बैंकिंग से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। भाषा-शैली विषयानुरूप है तथा सामान्य पाठकों को आसानी से समझ में आने वाली है। मानकीकृत पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग किया गया है और आवश्यकतानुसार विषय को खोल कर समझाया गया है। हर अध्याय के अंत में हिंदी-अंग्रेजी शब्दावली दी गई है ताकि पाठकों के साथ संवाद को बेहतर बनाया जा सके। स्व-परीक्षण के जरिये पाठक स्वयं इस बात का आकलन कर सकता है कि उसने संबंधित अध्याय को कितना आत्मसात् किया है। लेखकद्वय और प्रकाशक दोनों ही इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हां, 303 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य रु.750/- थोड़ा खटकता है। यह उपयोगी पुस्तक पुस्तकालयों की शोभा बन कर नहीं रहनी चाहिए। इस तक सामान्य पाठकों की पहुंच बढ़ाने के लिए इसका मूल्य घटाने या फिर सस्ता पेपरबैक संस्करण निकालने पर विचार किया जा सकता है।

फिनटेक - वित्तीय क्षेत्र का उभरता सितारा

कल्पना कीजिये कि आपने अपनी संपत्ति बेची है और जो धन आपको प्राप्त हुआ है, उसको निवेश करना चाहते हैं। बचत खाते पर केवल 4% ब्याज है। बैंक में ऍफ़डी में जमा करने पर वहाँ ब्याज 7 या 8 प्रतिशत है। आपको लगता है कि स्टॉक मार्किट में उच्च रिटर्न है, लेकिन जोखिम भी अधिक है। तभी आप को एक वेबसाइट का पता चलता हैं जहाँ पर आप किसी जरूरतमंद को उधार दे सकते हैं। यहाँ पर आप 11 से 12 प्रतिशत तक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं और आपका निवेश भी काफी सुरक्षित है यानी अपना पैसा आप घर पर बैठकर आराम से किसी को उधार दे सकते हैं। ये सब संभव है। अब ऐसे पोर्टल उपलब्ध हैं जो उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के लिए ऐसी इंटरैक्टिव सेवाएं प्रदान करते हैं। इस अवधारणा को हम उधार लेन-देन के सहयोगी के रूप में देख सकते हैं। यह एक नए उद्योग यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी का उदाहरण है।

वर्तुल अग्रवाल
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

क्षेत्र और उसके लाभ

2. वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक, वित्तीय सेवाओं और टेक्नालॉजी के मिलन से उत्पन्न ई-तकनीक को कहा जाता है। यद्यपि फिनटेक की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। फिर भी फिनटेक प्रक्रियात्मक रूप से वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रारम्भ से अंत तक एक अथवा अधिक पूरक वित्तीय सेवाओं में नए अनुप्रयोगों (applications), क्रियाओं उत्पादों और व्यापार मॉडल को संदर्भित करती है। प्रभावी रूप से यह उस उद्योग को संदर्भित करता है जो तकनीकी नवाचार (innovations) के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के वितरण को सरल और अनुकूल बना देते हैं। फिनटेक में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, सरलता, भुगतान, समाशोधन और निपटान प्रणाली को बदलने की क्षमता है। पिछले कुछ वर्षों में नए डिजिटल रूप में सक्षम वित्तीय उत्पाद और सेवाओं को देखा गया है। जैसे कि स्मार्टफ़ोन द्वारा लोग मीडिया और सूचना को साझा करते हैं, उसी प्रकार फिनटेक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों का उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग करने के तरीके भी बदल रहा है.

3. वित्त प्रौद्योगिकी कोई नई घटना नहीं है। बैंकिंग और प्रौद्योगिकी लंबे समय से एक दूसरे से निकट से जुड़े हुए हैं। एक समय था जब सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित बैंकिंग समाधान ने सामान्य लेजर प्रतिस्थापित किए थे। हाल ही में, इंटरनेट और मोबाइल आधारित सेवाएं इतनी सामान्य हो गई हैं कि बैंक शाखा में नियमित जाने की जरूरत ही नहीं रही। प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों द्वारा वित्तीय सेवाओं के वितरण में किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सकता है, ये उसका उदाहरण है। हालांकि, ये बैंकों के BACK OFFICE के लिए सीमित हैं। फिनटेक केवल BACK OFFICE संचालन की सुविधा के लिए नहीं हैं, बल्कि इसकी प्राथमिकता नवीन रूपों में उपभोक्ता तक पहुंच बनाने की है, प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाने के लिए तत्पर वित्तीय संस्थाएं ही आमतौर पर फिनटेक फर्मों के रूप में जानी जाती हैं।

फिनटेक फर्म के कई प्रकार

4. फिनटेक फर्म का अर्थ केवल तकनीक पर निर्भर रहने वाली स्टार्टअप कंपनियां नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं। यदि हम मोटे तौर पर देंखे तो इस प्रकार की चार प्रमुख संस्थाएं इस क्षेत्र में हैं जिन्हें इस क्षेत्र में पहचाना जा सकता है। एक अच्छी तरह से स्थापित वित्तीय संस्थाए जैसे भारतीय स्टेट बैंक, जे पी मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका आदि जो बेहतर उत्पाद और प्रक्रियाओं का विकास करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। दूसरी बड़ी आईटी कंपनियाँ हैं जैसे कि ऐप्पल, गूगल, फेसबुक जो मोबाइल वालेट और अन्य सूचना सेवाओं जैसे उत्पादों को डिजाइन करते हैं। तीसरी बुनियादी ढांचा प्रदाता कंपनियाँ हैं जैसे मास्टर कार्ड और वीज़ा जो भुगतान प्रणाली विकसित करने की कोशिश करते हैं और आखिरी अर्थात चौथी हैं स्टार्टअप्स, यानि नई कंपनियां जो स्थापित बाजार को बाधित करने और लाभ हासिल करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। ये फिनटेक फर्म मूलरूप से ग्राहक डोमेन में व्यापार को संचालित करते हैं।

5. हम इसे इस तरीके से समझें। वर्तमान समय में, ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो यद्यपि बैंक नहीं हैं फिर भी बैंकों के बुनियादी कार्य करती हैं जैसे जमा स्वीकार करना और ऋण देना। एक पारंपरिक बैंक की तुलना में आधुनिक बैंक बहुत अधिक गतिविधियां करते हैं। इसके समानांतर में, फिनटेक फ़र्में हैं जो वित्तीय सेवाओं के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में संलग्न हैं। इसमें भुगतान सेवा प्रदाता, पी 2 पी सेवाएं, एसएमई वित्तपोषण, उपभोक्ता रिटेल फाइनेंसिंग, डिसइंटर्मीडियशन (disintermediation), क्राउड फंडिंग, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जमा के विकल्प, व्यापार वित्तपोषण, क्रेडिट रेफरल, अकाउंट एग्रीगेटर्स, हाउसिंग फाइनेंस आदि शामिल हैं। स्वाभाविक रूप से विशेषज्ञता का मतलब बेहतर दक्षता, कम समय और कम लागत में उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान करना है। ये समस्त मिल कर फिनटेक फर्मों के लिए लाभ के रूप में कार्य करती हैं।

योगदान की क्षमता

6. फाइनेंस के लिए सॉफ्टवेयर एक व्यवधान के रूप में देखा जाता है क्योंकि वित्तीय सेवाएं मूर्त वस्तुओं के बजाय सूचना आधारित प्रक्रिया से की जाती हैं। प्रौद्योगिकी उद्योग में

गहराई से जड़ जमा चुकी हैं जिससे उद्योग में प्रौद्योगिकी को लागू करना सहज हो गया है। वित्तीय सेवाओं का विश्व स्तर पर 25 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक आकार के साथ एक बहुत बड़ा बाजार है। प्रौद्योगिकी में भरोसा इस तथ्य से आँका जा सकता है कि फिनटेक में वैश्विक निवेश वर्ष 2008 की शुरुआत में $ 930 करोड़ था जो बढ़कर 2015 के प्रारम्भ तक 12 अरब डॉलर हो गया है। यूरोप में वृद्धि दर सर्वोच्च रही और वर्ष 2014 में 215% से बढ़कर यह राशि 1.48 अरब डॉलर हो गयी है। वित्तीय विनियमों, नए नवाचार(innovation) और ग्राहक व्यवहार के संबद्ध और पुनर्नवीकरण का मतलब है कि ये आंकड़े आने वाले वर्षों में तीव्र वृद्धि जारी रखेंगे। वित्त की व्यापक श्रेणियां, जहां वित्तीय प्रौद्योगिकी योगदान दे सकती है, वे हैं, व्यवसाय के लिए व्यवसाय, ग्राहकों का अधिग्रहण और उपभोक्ताओं को व्यवसाय।

7. एक अन्य क्षेत्र जहां फिनटेक काफी प्रमुखता से उभरा है, वह ब्लॉकचैन का है। ब्लॉकचैन आर्थिक लेनदेन का एक अविनाशी डिजिटल खाता है, जिसे वित्तीय लेन-देन रिकॉर्ड करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है या भले ही उसका मूल्य कुछ भी है। ब्लॉकचेंन्स एक खुले, संवितरित लेजर हैं जो दो पक्षों के बीच कुशलतापूर्वक और सत्यापन श्रृंखला के साथ और स्थायी तरीके से लेनदेन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप बिटकोइन और एथेरियम जैसे वर्चुल या क्रिप्टो-मुद्राएं उभरी हैं। जोखिम लेने वाले या तथा कथित शुरुआती एडाप्टर इस प्रवृत्ति अपना रहे हैं। हालांकि, किसी भी विनियामक की अनुपस्थिति में और संभावित धनशोधन संबंधी मुद्दों के कारण, इन मुद्राओं के प्रति दिख रहा विश्वास लंबे समय में फीका पड़ सकता है। रिप्पल जैसे तकनीकी नवाचार के भुगतान और प्रेषण नेटवर्क ने भुगतान की अवधि में कटौती कर के क्रांति ला दी है, जिसमें भुगतान का समय 4 दिनों से घटकर 4 घंटे तक हो जाता है।

क्षेत्र की चुनौतियों

8. हमने पहले चर्चा की थी कि फिनटेक फर्म आम तौर पर विशेष सेवाएं या उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि वे तकनीकी नवाचार और विशेषज्ञता के मामले में लाभप्रद स्थिति में होते हैं किन्तु वहां कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। प्रमुख चुनौतियों में से एक चुनौती है नियमों के अनुपालन के संबंध में। यह अकसर देखा गया है कि फिनटेक कंपनियां, संचालन के अनुकूलन के लिए, नियमों के गलत साइड पर चली जाती हैं। इसे ठीक करने के लिए, एक पूरा नया उद्योग विकसित हो रहा है, जो कि 'रेगटेक' फर्मों का है। ये वित्तीय कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। यदि हम दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखें, तो हम यह मानेंगे कि संतुलित विनियमक प्रदान करने के लिए विनियामक भी जिम्मेदारी हैं, अर्थात वे ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रदान करें जो उद्योगों को प्रोत्साहित करता हो और विकास के साथ छेड़छाड़ न करता हो।

9. अन्य प्रमुख चुनौती जोखिम के संबंध में है। प्रौद्योगिकी और वित्त दोनों में उच्च स्तर का जोखिम शामिल है। तकनीकी जोखिम, डेटा की सुरक्षा से संबंधित है। फिनटेक फर्मों, जो डोमेन में नए हैं, को उन के रिकॉर्ड के बारे में गोपनीयता के

महत्व का एहसास करना होगा। प्रौद्योगिकी पर भारी निर्भरता उन्हें मैलवेयर और हैकिंग हमलों के लिए अत्यधिक प्रवण बनाती है। दूसरी ओर, वित्त में विभिन्न तरह के जोखिम शामिल होते हैं जैसे कि बाजार जोखिम, तरलता (नकदी) जोखिम और क्रेडिट जोखिम। कुछ फिनटेक फर्मों ने किसी व्यक्ति की क्रेडिट गुणवत्ता का पता लगाने के लिए गैर-पारंपरिक डेटा जैसे शिक्षा और सामाजिक मीडिया उपयोग के स्तर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यद्यपि ये पैरामीटर उन ग्राहकों के लिए संकेतक हो सकते हैं, जिनके संबंध में क्रेडिट इतिहास की कमी है, लेकिन वे उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल को पूरी तरह से माप नहीं सकते हैं। फिनटेक फर्मों के लिए उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए विपणन(मार्केटिंग) एक और चुनौती है। फिनटेक फर्म अक्सर बड़े प्रतिद्वंद्वियों द्वारा पीछे छोड़ दिए जाते हैं.

10. इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी प्रवेश की आम पहुँच होने की है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां स्मार्टफोन, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी सुरक्षित रूप में बड़े पैमाने पर सुलभ नहीं हैं, फिनटेक का सुविधारहित (underserved) आबादी के लिए योगदान केवल न्यूनतम ही हो सकता है। यही कारण है कि ये कंपनियां अब तक केवल शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पायी हैं।

11. ऐसे बदलते समय में यह जरूरी है कि निर्भर वित्तीय संस्थान उदाहरण के लिए बैंक फिनटेक फर्मों से अग्रसर रहें। घबराहट में फिनटेक फर्म के व्यापारिक मॉडल की नकल करने के बजाय, उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता के संदर्भ में वास्तविक जरूरतों की पहचान करने की आवश्यकता है और तदनुसार प्रौद्योगिकी का विकास एवं उपयोग करना होगा। इसके उदाहरण हैं कि ग्राहक के डेटा को प्राप्त करने के लिए फिनटेक फर्मों के साथ बैंकों की व्यवस्था कैसे हो रही है। बैंकों ने अपने उत्पादों के विपणन के लिए भी फिनटेक फर्म की सेवाओं का इस्तेमाल प्रारंभ किया है।

निष्कर्ष

12. फिनटेक के लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करने के बाद, विनियामक के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है कि इस क्रांति से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए। नियमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फिनटेक फर्म उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ और नवाचार लागू करें जहां उनके योगदान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और अधिकतम रिटर्न मिलता है। ऐसा एक क्षेत्र वित्तीय साक्षरता का है। वित्तीय समावेशन की दिशा में फिनटेक का योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस दिशा में फर्मों को प्रोत्साहित करना होगा कि वो उन उत्पादों और सेवाओं को बनाएं जो असेवित आबादी की सेवा करते हैं। कर लाभ और कम अनुपालन के रूप में प्रोत्साहन देने के सुझाव हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी को स्तंभ होना चाहिए जिस पर परिवर्तन को निर्भर करना है। अनुकूल और समयबद्ध नियम और वित्तीय संस्थाओं और फिनटेक फर्मों के बीच इष्टतम पारस्परिक संपर्क यह सुनिश्चित करेगा कि फिनटेक इंडस्ट्री अपनी अपेक्षाओं तक प्रदर्शन करने में सफल हो।

माल एवं सेवा कर*

आज सुबह जब समाचार पत्र उठा कर देखा तो यह खबर देखी कि बहुचर्चित जी.एस.टी. (माल एवं सेवा कर) पूर्व-निर्धारित 1 अप्रैल 2017 की जगह अब संभवतः 1 जुलाई 2017 से ही लागू हो पायेगा। क्या कारण है कि भारत में कर सुधारों को लेकर आज़ादी के बाद से अब तक के इस सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक कर संशोधन को लेकर बराबर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है? आइए इस आलेख में कुछ विचार-विमर्श करें जी.एस.टी. अर्थात माल एवं सेवा कर के बारे में, और इस बारे में कि यह कर सुधार 1 अप्रैल 2017 से आखिर किन कारणों से लागू नहीं हो पायेगा?

माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी) क्या है ?

जी.एस.टी. संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है जो किसी भी वस्तु या सेवा के निर्माण, बिक्री और प्रयोग पर लगाया जाता है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर केंद्र और राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले बहु-स्तरीय करों में फंसी हुई है, जिसके चलते किसी भी सामान पर केंद्र और राज्य कई तरीके के टैक्स लगाते हैं। फिलहाल भारत के लोग वस्तुओं और सेवाओं के लिए 20 अलग-अलग तरह के टैक्स चुकाते हैं तथा मौजूदा स्थिति तो यह है कि हमें किसी भी सामान पर करीब 30% से 35% टैक्स देना पड़ता है और कुछ चीज़ों पर तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लगाई जाने वाली टैक्स की यह दर 50% तक पहुंच जाती है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद सिर्फ एक तरह का टैक्स ही चुकाना होगा- जीएसटी में चार स्लैब -5%, 12%, 18% और 28% हैं और छूट वाले सामानों के लिए शून्य कर और एक अतिरिक्त जीएसटी मुआवजा उपकर मूल स्लैब के ऊपर के कुछ उत्पादों पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा कर नहीं होगा। जी.एस.टी. विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर ऐसा अप्रत्यक्ष कर है, जो पूरे देश को एक एकीकृत साझा बाजार बना देगा। इससे भारत एक एकल कराधान वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा यानी देश में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग-अलग तरह के तमाम कर अथवा टैक्स खत्म हो जाएंगे और देश के लोग

नौशाबा हसन
मुख्य प्रबंधक एवं संकाय
स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र, रायपुर, छत्तीसगढ़

* यह आलेख 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के औपचारिक रूप से लागू होने के पहले लिखा गया है।

सेवाओं और वस्तुओं पर सिर्फ एक ही तरह का टैक्स देंगे जिसे जी.एस.टी. के नाम से जाना जाएगा। जी.एस.टी. भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश, एक टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बना देगा।

जी.एस.टी. से किन करों पर प्रभाव पड़ेगा ?

भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए जी.एस.टी. के दो घटक होंगे-

1. केंद्रीय जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) और
2. राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.)।

केन्द्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं के ऊपर वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) लगाएंगे। केन्द्र, अपना केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) लगाएगा और कर संग्रह करेगा तथा राज्य, अपने राज्य के अंदर सभी कारोबार पर राज्य वस्तु और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) लगाएंगे और कर वसूलेंगे। केन्द्र अंतर-राज्यी कारोबार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 269 ए (1) के अंतर्गत एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) लगाएगा और उसका संग्रह करने के पश्चात इसे राज्यों को बराबर अनुपात में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार जी.एस.टी. लागू होने के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल तीन तरह के टैक्स वसूले जाएंगे, पहला सी.जी.एस.टी.(सेंट्रल जी.एस.टी. जो केंद्र सरकार वसूलेगी), दूसरा एस.जी.एस.टी. (स्टेट जी.एस.टी. जो राज्य सरकार वसूलेगी) और तीसरा आई.जी.एस.टी. (इंटीग्रेटेड जी.एस.टी. जिसे केंद्र सरकार वसूल करेगी और जिसे राज्यों को बराबर अनुपात में बांट देगी)। जी.एस.टी. लागू हो जाने के बाद निम्न प्रकार के कर जी.एस.टी. में समाहित हो जायेंगे:

केंद्रीय कर	राज्य कर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क।	राज्य वैल्यू ऐडेट टैक्स/ सैल्स टैक्स।
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क।	मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से अलग)।
सेवा कर।	खरीदी कर।
मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस (एक्साइज ड्यूटी) एक्ट 1955 के तहत एक्साइज ड्यूटी।	केंद्रीय बिक्री कर (टैक्स केन्द्र लगाता है और संग्रह राज्य करते हैं)।
सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क।	चुंगी और प्रवेश कर।
अतिरिक्त सीमा शुल्क आमतौर पर जिसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता है।	विलासिता कर तथा लॉटरी, सट्टे और जुए पर टैक्स।

जी.एस.टी. हमारे देश में क्यों आवश्यक है?

भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस कारण देश में अलग-अलग प्रकार के कर लागू हैं, जिसके कारण भारत का वर्तमान कर ढांचा अत्यंत ही जटिल है। कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना एक मुश्किल काम होता है। जी.एस.टी. की आवश्यकता इस कारण भी है कि इसके लागू हो जाने के बाद से टैक्स पर टैक्स की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कर-भार आम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है, लेकिन कर का संग्रहण व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। व्यवसायी को ख़रीदे गए माल पर चुकाए गए कर की क्रेडिट मिलती है जिसका उपयोग वह अपने कर के भुगतान में कर सकता है। इस व्यवस्था से कर केवल मूल्य संवर्धन (बिक्री – खरीद) पर ही लगता है।

व्यवसायी उपभोक्ता से कर संग्रहित करता है और उसमें से अपनी इनपुट क्रेडिट (ख़रीदे गए माल पर चुकाए गए कर) को घटाकर बाकी कर सरकार को जमा करवाता है। वर्तमान व्यवस्था में भारत में केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क व सेवा कर और राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर लगाया जाता है। इस कारण व्यवसायी ना तो उत्पाद शुल्क और सेवा कर के भुगतान में बिक्री कर की इनपुट क्रेडिट (ख़रीदे गए माल पर चुकाए गए कर) का उपयोग कर सकता है और ना ही बिक्री कर के भुगतान में सेवा कर (सेवाओं पर चुकाए गए कर) और उत्पाद शुल्क (ख़रीदे गए माल पर लगे उत्पाद शुल्क) की क्रेडिट का उपयोग कर सकता है, इस कारण वर्तमान व्यवस्था में टैक्स पर टैक्स लग जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। जी.एस.टी. लागू होने से पूरे देश में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होगा जिससे व्यवसायियों को ख़रीदी गयी वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए जी.एस.टी. की पूरी क्रेडिट मिल जाएगी, जिसका उपयोग वह बेची गयी वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जी.एस.टी. के भुगतान में कर सकेंगे। इससे टैक्स केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगेगा और टैक्स पर टैक्स लगाने की व्यवस्था समाप्त होगी जिससे लागत में भी कमी आएगी।

जी.एस.टी. से संबंधित प्रमुख कालक्रम व घटनाएं

जी.एस.टी. की अवधारणा हमारे देश में नयी नहीं है, नयी सहस्राब्दी के साथ ही देश में बदलाव की एक नयी पहल देखने को मिली। समय बदला, सरकारें बदलीं और साथ ही साथ सरकार की नीतियां भी बदलीं। भारत में जी.एस.टी. प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर प्रमुख मील के पत्थरों को दर्शाने वाला कालक्रम संक्षिप्त में इस प्रकार है –

- सर्वप्रथम वर्ष 2000 में तत्कालीन वाजपेई सरकार ने जी.एस.टी. पर विचार के लिए विशेष अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था तथा इस समिति का अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री असीम दासगुप्ता को बनाया गया। असीम दासगुप्ता समिति को ही जी.एस.टी के लिए मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई।
- अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सुधारों की अनुशंसाएं वर्ष 2003 में गठित केलकर समिति ने की थी। वर्ष 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने आम बजट में जी.एस.टी. के विचार को सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रखा था और इसके तुरंत बाद तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने वर्ष 2006 में जी.एस.टी. विधेयक प्रस्तावित कर दिया था।
- मई 2007 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जी.एस.टी. के लिए राज्यों के वित्तमंत्रियों की संयुक्त समिति का गठन कर, वर्ष 2010 से इसके लागू करने की घोषणा भी कर दी परंतु राज्यों के बीच विरोधाभास होने के चलते जी.एस.टी. लागू नहीं हो पाया।
- 2010 में ही सरकार ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार संपन्न समिति बनाई थी एवं तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा मार्च, 2011 में 115वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, किन्तु 15वीं लोकसभा भंग होने से यह विधेयक स्वतः ही समाप्त हो गया।
- वर्तमान सरकार ने दिसंबर, 2014 को संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 246, 248 एवं 268 इत्यादि में संशोधन) पेश किया। राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए केंद्र सरकार को इसमें कई संशोधन करने पड़े जिसके बाद राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को जी.एस.टी. विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात माल एवं सेवा कर से संबंधित संविधान संशोधन (122वां) विधेयक, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में भी पास हो गया। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा इसका

समर्थन किया जाना था। असम देश का पहला राज्य था जिस की विधानसभा ने इस विधेयक का समर्थन किया, इस क्रम में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, नागालैंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, एवं आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस विधायक को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी के साथ संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम 2016 लागू हो गया।

- **122वां संविधान संशोधन विधेयक (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:**

❖ संविधान में नया अनुच्छेद 246 A भाग XI जोड़ा गया जो संघ और राज्य विधायिका को जी.एस.टी. पर नियम बनाने की शक्ति देता है।

❖ अनुच्छेद 273 A के तहत जी.एस.टी. परिषद का गठन किया गया जिसमें परिषद की संरचना, कार्य आदि का विधायन किया गया है। यह परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी और सभी राज्य सरकारें इसकी सदस्य होंगी।

❖ कर की दर तय करने का कार्य जी.एस.टी. परिषद करेगी जिसमें राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। जी.एस.टी. परिषद द्वारा ही जी.एस.टी. दायरे में या उससे मुक्त वस्तुओं का निर्णयन होगा।

❖ जी.एस.टी. परिषद में विवाद की स्थिति में 67% भारांक भारत के राज्यों के पास और शेष 33% भारांक केंद्र सरकार के पास होगा।

❖ मतदान के समय परिषद के सदस्यों की कुल संख्या की तीन चौथाई उपस्थिति अनिवार्य है।

❖ जी.एस.टी. लागू होने पर राज्यों को होने वाले राजस्व हानि की 5 वर्ष तक की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा किये जाने का वैधानिक प्रावधान है।

जी.एस.टी. से होने वाले कुछ संभावित लाभ एवं कुछ संभावित नुकसान:

आशा की जा रही है कि जी.एस.टी. के लागू हो जाने से देश के चहुंमुखी विकास में सहायता मिलेगी और इससे संबंधित सभी पक्षों को अधिकतर लाभ ही होगा। जी.एस.टी. के सकारात्मक प्रभाव सब पर पड़ेंगे, चाहे वह एक आम उपभोक्ता हो, व्यापारी वर्ग हो, या प्रशासन ही क्यों न हो। इन लाभप्रद परिणामों के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में और मजबूती आयेगी तथा उसका समग्र विकास होगा। अब बातें करें इन सभी पक्षों पर पड़ने वाले कुछ ऐसे ही संभावित सकारात्मक प्रभावों की:

1. उपभोक्ताओं के लिए जी.एस.टी. के संभावित लाभ:

(i) जी.एस.टी. लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा। पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा। यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। केंद्रीय सेल्स टैक्स (सी.एस.टी.) जी.एस.टी. में समाहित हो जाएगा जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी।

(ii) केंद्र तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बहुल अप्रत्यक्ष करों अर्थात छिपे करों से अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जी.एस.टी. मौजूदा टैक्स की तरह कई स्थानों पर ना लग कर केवल गंतव्य स्थान अर्थात डेस्टिनेशन पॉइंट पर ही लगेगा, इससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी।

(iii) खाद्यान्न और दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं को करमुक्त रखते हुए शून्य कर की श्रेणी में रखा गया है। इस कारण अधिकांश खाद्य और दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं महँगी नहीं,

बल्कि सस्ती ही होंगी। कर का सबसे ऊंचा 28% वाला स्लैब विलासिता की वस्तुओं जैसे तम्बाकू आदि पर लगाया गया है, इसलिए इन उत्पादों की कीमतों में कुछ वृद्धि होगी। कहने की जरूरत नहीं कि ये चीजें दैनिक इस्तेमाल की नहीं हैं, अतः इनके दाम बढ़ने से आम आदमी पर कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला।

(iv) जी.एस.टी. से कर प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और इससे लोगों को होनी वाली विभिन्न परेशानियां भी कम होंगी।

2. प्रशासन के लिए जी.एस.टी. के संभावित लाभ:

(i) जी.एस.टी. के तहत कर संरचना आसान बनेगी और कर आधार पर इसके दायरे से बहुत कम वस्तुएं एवं सेवाएं बच पाएंगीं। जी.एस.टी. के चलते लोगों के लिए करों की चोरी कर पाना आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि जी.एस.टी. काले धन से निपटने के लिए एक मजबूत हथियार साबित होगा।

(ii) एक अनुमान के अनुसार जी.एस.टी. व्यवस्था लागू होने के बाद निर्यात रोजगार और आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी जिससे देश को सालाना लगभग 15 अरब रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी।

(iii) 13वें केंद्रीय वित्त आयोग के अनुसार जी.एस.टी. से कर संकलन में हो रहे कई तरह के व्यर्थ के खर्चों को रोकने में भी इससे सहायता मिलेगी और इससे राज्यों की आर्थिक हालात में सुधार होगा।

(iv) मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जी.एस.टी. केंद्र तथा राज्यों द्वारा अभी तक लगाए गए अन्य सभी करों की तुलना में प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल और आसान होगा। जानकारों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार में कमी आएगी वहीं लालफीताशाही भी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

3. जी.एस.टी. से व्यापार एवं उद्योग जगत को संभावित लाभ :

(i) वर्तमान में व्यवसायियों को अलग-अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है जैसे वस्तुओं के उत्पादन करने पर उत्पाद शुल्क, ट्रेडिंग करने पर सेल्स टैक्स, सेवा प्रदान करने पर सर्विस टैक्स आदि। इससे व्यवसायियों को विभिन्न प्रकार के कर-कानूनों का पालन करना पड़ता है जो कि एक जटिल कार्य है। लेकिन जी.एस.टी. लागू होने से उन्हें केवल एक ही प्रकार के अप्रत्यक्ष क़ानून का पालन करना होगा जिससे भारत में व्यवसाय में सरलता आएगी। जी.एस.टी. यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एकसमान हैं। इससे निश्चिंतता में तो बढ़ोत्तरी होगी ही, व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जी.एस.टी. देश में व्यापार को कर-तठस्थ बना देगा।

(ii) वर्तमान में व्यवसायी, उत्पाद शुल्क व सेवा कर के भुगतान में बिक्री कर की इनपुट क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता और बिक्री कर के भुगतान में सेवा कर और उत्पाद शुल्क की क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता। इस कारण वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाती है। जी.एस.टी. लागू होने से व्यवसायियों को सभी प्रकार की खरीदी गयीं वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए जी.एस.टी. की पूरी क्रेडिट मिल जाएगी जिसका उपयोग वह बेची गयीं वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जी.एस.टी. के भुगतान में कर सकेगा। इससे उनकी लागत में कमी आएगी तथा टैक्स पर टैक्स लगना भी बंद हो जायेगा।

(iii) एक समान कराधान व्यवस्था से निर्यात बाजार में कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता पड़ेगी और भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

(iv) एसोचैम के अनुसार छोटे या मध्यम उद्योग समूह (SMEs), जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, को इस टैक्स सुधार कानून से काफी फायदा होगा।

(v) केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को दिए गए संबोधन में कहा कि जटिल करारोपण खत्म होने से विदेशी निवेशकों को आसानी होगी जिससे देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा।

ऐसा नहीं है कि जी.एस.टी.व्यवस्था के केवल लाभ ही हैं, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं जो निम्नानुसार हैं :

(i) मलेशिया और अन्य देशों की तर्ज़ पर जी.एस.टी. लागू होने के शुरुआती तीन सालों में भारत में भी महंगाई बढ़ने की आशंका है। अभी हम सारी सेवाओं पर लगभग 15% सर्विस टैक्स दे रहे हैं, जो जी.एस.टी. लागू होने पर 18% से 22% के बीच हो जाएगा, यानी कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद होटल बिल, बैंकिंग सेवा, यात्रा टिकट आदि महंगी हो जाएंगी।

(ii) राज्य सरकारों का कहना है कि जी.एस.टी. लागू होने से केंद्र को तो फायदा होगा लेकिन राज्यों को नुकसान होगा क्योंकि इसके बाद वे कई तरह के टैक्स नहीं वसूले पाएंगे जिससे उनकी कमाई कम हो जाएगी।

(iii) ऐसा कहा जा रहा है कि जी.एस.टी. के आने से व्यवसाय करना आसान हो जाएगा लेकिन शुरूआती वर्षों में व्यवसायियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए जी.एस.टी. आधारित कर व्यवस्था में व्यवसायियों को प्रत्येक माह तीन अलग-अलग तरह के रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे जोकि एक पेचीदा कार्य होगा।

जी.एस.टी. से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों पर प्रभाव:

आंकड़े बताते हैं कि जी.एस.टी. परिषद पहले ही यह तय कर चुकी है कि जी.एस.टी. के चार व्यापक स्लैब क्रमशः 5%, 12%, 18%, तथा 28% होंगे और इन स्लैबों के अलावा नुकसानदेह तथा विलासिता की वस्तुओं की उच्चतम दर पर भी उपकर लगाया जा सकता है (जिस में शीतल पेय, तंबाकू तथा उसके उत्पाद शामिल हैं)। आइये संक्षेप में देखें कि जी.एस.टी. के आने के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा होगा?

यह होंगे सस्ते	यह होंगे महंगे
जी.एस.टी. लागू होने के बाद घर खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा। अभी घर खरीदने पर सर्विस टैक्स और मूल्य संवर्धन कर अर्थात वैट दोनों चुकाने पड़ते हैं लेकिन जी.एस.टी. लागू होने पर सिर्फ एक तरह का टैक्स ही देना होगा।	डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों पर ज्यादातर राज्यों में अभी कोई ड्यूटी नहीं लगती है जहां इन उत्पादों पर ड्यूटी लगती है वहां भी इसकी दर 4% से 6% तक ही है लेकिन जी.एस.टी. लागू होने के बाद डिब्बाबंद खाने पर भी 18% तक का टैक्स देना होगा।
यूटिलिटी वाहन, दो पहिया वाहन और छोटी कारों पर अभी 30% से 44% तक टैक्स लगता है लेकिन 18% जी.एस.टी. लगने की वजह से ये कारें पहले के मुकाबले सस्ती हो जाएंगीं।	कई तरह की सेवाएं जैसे हवाई यात्रा, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि सेवाएं महंगी हो जाएंगी। अभी मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाओं पर 15% टैक्स लगता है जो बढ़कर 18% हो जाएगा यानी इन सेवाओं पर अभी के मुकाबले 3% ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी।
पंखे, गीज़र, लाइट के उपकरण, डेजर्ट कूलर्स आदि की कीमतों में कमी आएगी।	बीड़ी, सिगरेट, तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद महंगे हो जायेंगे।
सीमेंट, रंग रोगन में इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट सस्ते होंगे।	बीमा प्रीमियम एवं इन्वेस्टमेंट आदि के भी महंगा होने की सम्भावना है।

जी.एस.टी. के पूर्व-निर्धारित तिथि 01.04.2017 से लागू न हो पाने के कारण:

जी.एस.टी. के हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इतने अच्छे संभावित प्रभावों के बावजूद भी इस कर संशोधन को लागू करा पाना वर्तमान सरकार के लिए आसान नहीं जान पड़ता। विगत कुछ दिनों से इस विषय को लेकर सरकारी पक्ष एवं

विपक्षी दलों में लगातार एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है एवं आये दिन हमें इस विषय पर नित नयी खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। प्रस्तावित माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच कोई सहमति नहीं होने के कारण अब इस नई कर प्रणाली को आगामी 01.07.2017 तक टाल ही दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके चलते जी.एस.टी. को पूर्व निर्धारित समय-सीमा अर्थात 01.04.2017 से लागू कर पाना संभव नहीं हो पाया है :

1. जी.एस.टी. को लेकर अब तक विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि डेढ़ करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करने वाली कंपनियों तथा संस्थाओं के टैक्स का आकलन कौन करेगा? हाल ही में वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बताया है कि सालाना डेढ़ करोड़ रुपये तक की कमाई करने वाली 90% इकाइयों का आकलन राज्य करेंगे, जबकि शेष 10% इकाइयों का आकलन केंद्र करेगा। वहीं डेढ़ करोड़ रुपये से ज़्यादा की वार्षिक कमाई करने वाली इकाइयों का आकलन केंद्र तथा राज्य 50-50 के अनुपात में करेंगे।

2. पिछले कुछ महीनों में जी.एस.टी. परिषद की बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रस्तावित कर ढांचे के निर्धारण का मसला जस का तस फंसा हुआ है ना तो केंद्र अपना अधिकार छोड़ने को सहमत है और ना ही राज्य झुकने को तैयार। करदाता किसके प्रशासनिक दायरे में आए इस बारे में शुरू से ही गतिरोध है , हालांकि शुरुआत में केंद्र और राज्य प्रशासनिक क्षेत्र को आपस में बांटने को तैयार थे और सहमति यह बनी थी कि वस्तुओं के मामले में राज्यों के पास निर्धारण का पूरा अधिकार होगा बशर्ते कि उनका कुल कारोबार रुपए डेढ़ करोड़ तक हो। इससे अधिक कारोबार होने पर करदाता केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। सेवा कर के मामले में करदाता पर केंद्र का नियंत्रण होगा, ऐसा 20 लाख से ऊपर के हर कारोबार के मामले में होगा क्योंकि इससे कम का कारोबार जी.एस.टी. के तहत कर मुक्त है। इसके पीछे तर्क यह था कि राज्य सेवा कर नहीं लगाते, मगर यह सहमति भी जल्दी ही टूट गई क्योंकि राज्यों की मांग थी कि उन्हें भी सेवा क्षेत्र में निर्धारण पर नियंत्रण की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्यों ने अपनी यह मांग भी रखी कि सालाना रुपए डेढ़ करोड़ तक के कारोबार के मामले में करदाता पर कोई दोहरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए –जिसका अर्थ हुआ कि राज्य इस सीमा तक पूरा अधिकार अपने पास चाहते हैं जबकि इसके ऊपर वे केंद्र के साथ यह अधिकार साझा करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार पारस्परिक सशक्तिकरण के मॉडल पर जोर दे रही है जहां औचक चयन से 5% निर्धारिती उसके और राज्यों के बीच चुने जाएंगे।

3. इस मुद्दे से एक अन्य मसला भी जुड़ा हुआ है और वह यह कि क्या राज्य उस निर्धारित पर नियंत्रण रख सकते हैं जिसका दो या उससे अधिक राज्यों में कारोबार हो? यह मसला एकीकृत जी.एस.टी. के दायरे में आता है जिसके चलते वर्ष 2016 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र को अंतर्राज्य जी.एस.टी. संग्रह कर उसे राज्यों को वितरित करने का अधिकार है। यहाँ देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को एक दूसरे की मदद की आवश्यकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र के पास छोटे कारोबारियों से निपटने के साधन नहीं हैं व राज्य के पास उन लोगों के कर निर्धारण की शक्ति नहीं है जो वस्तु एवं सेवाओं की कई राज्यों में बिक्री करते हैं।

4. एक अन्य गतिरोध यह था कि केंद्र सरकार 12 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा को केंद्र शासित प्रदेश मानकर वहां होने वाली बिक्री पर भी कर लगाना चाहती थी, जबकि तटवर्ती राज्य इसके विरुद्ध थे। हालाँकि अब वित्तमंत्री श्री जेटली ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र से होने वाली आर्थिक गतिविधियों के आकलन का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा।

5. विभिन्न राज्यों का मत है कि विमुद्रीकरण के चलते राज्य के राजस्व पर बुरा असर पड़ा है, यहां तक कि उन्हें 40% तक की राजस्व हानि का भी सामना करना पड़ा है। राज्यों की यह मांग है कि जी.एस.टी. परिषद इस राजस्व हानि के मुद्दे पर विचार करे और हर्जाने की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करें, साथ ही हर्जाने राशि को भी 55,000 करोड़ रुपए से बढाकर 90,000 करोड़ रुपए कर दे। परिषद ने क्षतिपूर्ति विधेयक को स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन हर्जाने-राशि के मामले में अभी भी आम सहमति नहीं बन पायी है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई केन्द्र द्वारा हर दो माह में की जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यों को दिए जाने वाले हर्जाने की फंडिंग एक उपकर के जरिए की जाएगी और यह उपकर विलासिता उपभोक्ता वस्तुओं पर लगेगा जिन पर जी.एस.टी. की अधिकतम दर 28% तक होगी। इस बात का विरोध भी कुछ राज्य करते हैं और इनका कहना है इस धनराशि को भारत के समेकित कोष से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ना की उपकर के जरिए।

इसके अलावा मुख्य विपक्षी दल ने कुछ और मांगें पुरज़ोर ढंग से रखी हैं, जिनके चलते इस कर व्यवस्था को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है:

- विपक्ष केंद्र द्वारा सभी सेवाओं और वस्तुओं पर 1% ज़्यादा कर लगाए जाने के फैसले के विरोध में थी जिसे सरकार ने बिल से हटा दिया।
- विपक्ष की दूसरी मांग है कि बिल में टैक्स की ऊपरी सीमा 18% तय कर इसका प्रावधान संविधान संशोधन में किया जाए, ताकि भविष्य में कोई सरकार मनमाने तरीके से टैक्स में बढ़ोतरी न कर सके। सरकार ने विपक्ष पार्टी की इस मांग पर विचार करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आने की उम्मीद है।
- विपक्ष की तीसरी मांग है कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स विवाद निपटाने के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल पंचाट के गठन का प्रावधान हो, जिसमें जी.एस.टी. परिषद का दखल न हो।
- विपक्ष की चौथी मांग के अनुसार जी.एस.टी. से राज्यों के स्थानीय निकायों यथा नगर पालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता पर कुठाराघात होगा, जिसके मुआवजे की व्यवस्था हेतु इस बिल में प्रावधान होना चाहिए।

ये कुछ ऐसे कारण थे जिनके चलते जी.एस.टी. को लागू करना फिलहाल तीन माह आगे खिसक गया है। किंन्ही भी कारणों के चलते यदि यह प्रणाली 16.09.2017 तक लागू नहीं हो पाती तो उसके बाद संविधान संशोधन की वैधता समाप्त हो जायेगी और इस तरह "एक देश एक कर व्यवस्था" की हमारी आशाओं पर भी कुछ और समय के लिए तुषारापात हो जायेगा। वाद-विवाद के कारण चाहे जो भी हों, यह तो तय है कि जी.एस.टी. के लागू होने से एक आम उपभोक्ता को फायदा ही होगा। जी.एस.टी. से न केवल देश में एकीकृत कर-प्रणाली से कर व्यवस्था दुरुस्त होगी, बल्कि इसका दीर्घकालिक लाभ एक आम उपभोक्ता के साथ-साथ प्रशासन एवं उद्योग जगत को भी मिलेगा। अब समय आ गया है कि सभी राजनैतिक दल इस बात को समझें कि समाज का हित सदा ही व्यक्तिगत हित से ऊपर होता है, जी.एस.टी. एक ऐतिहासिक आर्थिक सुधार का अग्रोन्मुखी कदम है, जो समाज के हर वर्ग एवं देश की अर्थव्यवस्था सभी के लिए हितकारी सिद्ध होगा।

- संदर्भ: विभिन्न वेबसाइट्स जैसे एन.डी.टी.वी., दैनिक भास्कर, बिज़नेस स्टैण्डर्ड पत्रिका, इकॉनोमिक टाइम्स, एन.डी.टी.वी. डॉट कॉम , नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण आदि।

रेग्युलेटर की नज़र से

[रेग्युलेटरी एजेंसी विधायिका द्वारा बनाई गई एक सरकारी संस्था होती है, जिसका निर्माण विशिष्ट क़ानूनों को कार्यान्वित करने और प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की एजेंसी के पास अर्ध-विधायी (Quasi-legislative), कार्यकारी (Executive) और न्यायिक (Judicial) कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय क्षेत्र की रेग्युलेटरी एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। इनकी इस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए संपादकीय समिति ने इनकी भूमिका के बारे में एक नया स्तम्भ शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें *वित्तीय क्षेत्र* के विभिन्न विनियामकों द्वारा की गई पहलों को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत जून 2015 के अंक से की गई। प्रस्तुत है इस कॉलम का आठवां लेख।]

बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक ने समीक्षा के बाद दबावग्रस्त बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क (पीसीए) की समीक्षा की। बैंकों के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के आधार पर तैयार किए गए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क के उपबंध 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गए हैं। 3 वर्ष के बाद इस फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाएगी। तथापि, रिज़र्व बैंक इनके अतिरिक्त अन्य सुधारात्मक कार्रवाई भी कर सकेगा।

श्री एल. एन. उपाध्याय
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों और रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर किसी बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के तहत रखा जा सकेगा। तथापि, रिज़र्व बैंक आवश्यकतानुसार वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी बैंक पर एक थ्रेशोल्ड से दूसरे थ्रेशोल्ड में अंतरण सहित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (आईएनवीआईटी) की इकाइयों में बैंकों का निवेश

रिज़र्व बैंक ने कतिपय शर्तों के अधीन बैंकों को रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (आईएनवीआईटी) की इकाइयों में निवेश की अनुमति दी है। यह निवेश शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/ डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में सीधे निवेश के लिए अनुमत उनकी निवल मालियत और वेंचर पूंजी फंडों, पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों में एक्सपोजर की कुल 20 प्रतिशत की सीमा के अंदर होगा। ऐसे एक्सपोजर हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए और ऐसे निवेश परिसंपत्ति पुनर्निर्माण

कंपनियों/ इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों की यूनिट पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। बैंकों द्वारा ऐसे निवेश के लिए इक्विटी निवेश, निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण, वाणिज्यिक रियल एस्टेट एक्सपोजर और बड़े एक्सपोजर ढांचे पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) की आवश्यकता

रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2017 को सूचित किया है कि कोई भी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) दो करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) या रिज़र्व बैंक की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य उच्च राशि के बिना प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण का कारोबार या उसकी शुरुआत नहीं करेगी। तदनुसार दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में एआरसी की परिकल्पित बड़ी भूमिका और बैंकों द्वारा एआरसी को दबावग्रस्त संपत्तियों की बिक्री को नियंत्रित करने संबंधी हाल के नियामक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम एनओएफ की आवश्यकता को निरंतर आधार पर 100 करोड़ रुपए निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिसूचना की तारीख को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पहले से ही पंजीकृत उन सभी एआरसी को, जिनके पास उक्त तारीख को संशोधित न्यूनतम एनओएफ नहीं है, 31 मार्च 2019 तक 100 करोड़ रुपए के न्यूनतम एनओएफ के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इस अपेक्षा के अनुपालन के प्रमाण के रूप में एआरसी को अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों से आवधिक आधार पर एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 मई 2017 को प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 जारी किए जाने के बाद उठाए गए और भावी कदमों के संबंध में जानकारी दी है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में किया गया यह संशोधन, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अध्यादेश और अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया, भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी या कंपनियों को चूक के मामले में दिवालियापन कोड, 2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान करता है। यह रिज़र्व बैंक को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के संबंध में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। साथ ही, रिज़र्व बैंक दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए बैंकों को परामर्श देने हेतु समितियां गठित कर सकता है जिसके सदस्य रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त या अनुमोदित होते हैं।

सहकारी बैंकों द्वारा पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) का निर्गम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 मई 2017 को अपना एटीएम नेटवर्क रखने वाले सभी लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंकों को अर्ध- सीमित (सेमी क्लोज्ड) पीपीआई जारी करने की अनुमति दी है बशर्ते, जमाराशि लेने या उसकी चुकौती पर

कोई प्रतिबंध न हो। यह भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता मानदंड तथा अन्य दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले सहकारी बैंकों को ओपन सिस्टम पीपीआई जारी करने की भी अनुमति दी है। बैंकों को इसके लिए कुछ अतिरिक्त विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

कार्ड लेनदेन के लिए मर्चेंट अधिग्रहण

सहकारी बैंकों में वित्तीय लेनदेन के लिए डिजिटल चैनलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2017 को निर्णय लिया कि बिक्री केंद्र (पीओएस) अधिग्रहण बैंक के रूप में कार्य करने हेतु अनिच्छुक सभी सहकारी बैंकों को कतिपय शर्तों के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना तीसरी पार्टी के पीओएस टर्मिनल लगाने की अनुमति दी जाए।

आधे घंटे के अंतराल पर एनईएफटी निपटान

रिज़र्व बैंक ने 8 मई 2017 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त निपटान बैच लागू किए हैं ताकि प्रणाली की दक्षता को बढ़ाया जा सके और ग्राहकों को सुविधा प्रदान की जा सके। आधे-आधे घंटे में की जाने वाली निपटान व्यवस्था धन अंतरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी और गंतव्य खातों में तेजी से राशि क्रेडिट की जा सकेगी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि दिन में 11 अतिरिक्त निपटान बैचों को लागू किया जाए जिसके चलते दिन में आधे घंटे के निपटान बैचों की कुल संख्या 23 हो जाएगी।

खातों में प्रविष्टियों के ब्योरों की रिकार्डिंग

ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 22 जून 2017 को बैंकों को सूचित किया है कि वे पासबुक/खाता विवरणियों में लेनदेन संबंधी संगत और पर्याप्त जानकारी दें, ताकि खाताधारक द्वारा उनका सत्यापन किया जा सके। साथ ही, बैंकों को पासबुक में अद्यतन जमाराशि बीमा कवर की सीमा के बारे में जानकारी देने को कहा गया है।

इतिहास के पन्नों से

हर भारतीय का बैंकः भारतीय स्टेट बैंक

इस अंक के माध्यम से हम आपको देश के सबसे बड़े एवं पुराने बैंक की जीवन यात्रा पर ले जाएंगे। इसका प्रादुर्भाव उन्नीसवीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। तीन साल बाद इसको अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह एक अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूंजी बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को की गई। ये तीनो बैंक 27 जनवरी 1921 को उनका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में समामेलन होने तक भारत में आधुनिक बैंकिंग के शिखर पर रहे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 30 अप्रैल 1955 को बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया।

डा. विवेक कुमार सिंह
प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
हावडा

गौरवशाली इतिहासः बैंक ऑफ बंगाल

आज मुझे भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक बैंक के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे मेरी एक समृद्ध विरासत है। अपने दो सौ दस वर्षों के इतिहास में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण का साक्षी रहा हूँ । मेरा आरंभ 1806 ई. में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में 'बैंक ऑफ कलकत्ता' की स्थापना के साथ ही माना जा सकता है। 1801 ई. में बंगाल के अकांउन्टेंट जनरल हेनरी सेंट जार्ज टकर ने एक सरकारी बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। उनका मानना था कि कंपनी द्वारा वसूले जा रहे लगान के अधिशेष (सरप्लस) का उपयोग बंगाल में नहीं हो रहा है। अधिकांश धन यूरोपीय देशों में भेजा जा रहा है। इस कारण बंगाल में व्यापार- वाणिज्य का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। साथ ही बैंक की स्थापना से चाँदी की कमी से जूझ रहे भारत को कुछ राहत मिल सकती थी। यह जानना रोचक है कि तत्कालीन भारत में सिक्कों के रूप में चाँदी के सिक्के ही सभी जगह स्वीकार्य थे किंतु उन दिनों चाँदी की भारी कमी ने मुद्रा का संकट खड़ा कर दिया था। यहाँ तक कि सोने के सिक्के भी लोकप्रिय नहीं थे। बंगाल में मालदीव से आयातित 'कौड़ी' (एक प्रकार की सिप्पी) को सिक्कों के स्थान पर चलाया जाता था। बाद में कौड़ियों की लोकप्रियता और मूल्य दोनों गिर गए। बैंक द्वारा जारी नोटों से चाँदी के सिक्कों की कमी को पूरा किया जा सकता था।

3 अप्रैल 1806 को कलकत्ता गजट में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की घोषणा कर दी गई जिसमें इसके तीन डायरेक्टर की भी घोषणा की गई थी जिसमें जार्ज टकर का नाम भी

शामिल था। दो अन्य डायरेक्टर थे रिचर्ड ब्रेचर और रिचर्ड वेटी कॉक्स। इसके करीब तीन वर्षों के बाद 2 जनवरी 1809 से औपचारिक रूप से बैंक ऑफ बंगाल ने काम करना शुरू किया और बैंक ऑफ कलकत्ता स्वतः समाप्त हो गया।

बैंक ऑफ कलकत्ता की आरंभिक पूंजी 50 लाख सिक्का रुपये थी। बैंक के नोट सिक्का रुपये के मूल्य के बराबर होते थे जिनको 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000 तथा 10000 सिक्का मूल्य के नोट के रूप में छापने का निर्णय लिया गया था। 02 जून 1806 से बैंक के आधिकारिक रूप से कारोबार करने की घोषणा की गई थी। बैंक सप्ताह में केवल एक दिन बुधवार को खुला करता था। बैंक के बाहर रखे बॉक्स में डाले गए आवेदनों को उसी दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में खोला जाता था तथा ऋण स्वीकृत किए जाते थे। हालांकि, बैंक ने कार्य शुरू करने की औपचारिक तिथि से पहले ही 14 मई 1806 को दो भारतीयों लक्ष्मीकांत बुराल तथा तारिणीचरण मुखर्जी को क्रमशः 50,000 तथा 2,800 रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया था। इस प्रकार लक्ष्मीकांत बुराल तथा तारिणीचरण मुखर्जी स्टेट बैंक के प्रथम ऋणधारक थे। स्वीकृत ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता था और ऋण की अवधि तीन माह की होती थी।

(चार भाषाओं में बैंक ऑफ बंगाल की सील)

(कोलकाता के 1, स्ट्रैंड रोड स्थित बैंक ऑफ बंगाल का मुख्यालय अपनी स्थापना के बाद इसी भवन से चलता था। 1875 ई में इस भवन की मरम्मत भी करवाई गई थी। तीन मंजिली इस इमारत का निर्माण विक्टोरियन बैरक स्टाइल (Victorian Baroque Style) में किया गया था। इसकी भव्य अर्ध चंद्राकार खिड़कियों पर ब्रिटिश वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है जो इस समय के भवनों की खास पहचान थी। 1806 ई. में जब बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई तब बैंक का कार्यालय 8, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट पर हुआ करता था। बैंक ऑफ बंगाल बनने के बाद बैंक का मुख्यालय यहां आ गया। स्रोतः द चेंजिंग फेस ऑफ कलकत्ताः एन आर्किटेक्चरल एप्रोच कलकत्ता 300, पश्चिम बंगाल सरकार, 1991)

बैंक ऑफ बॉम्बे

सन् 1840 ई. में बैंक ऑफ बंबई की स्थापना हुई। बैंक ने जब काम करना शुरू किया वह उसके बहुत अनुकूल नहीं था। 1838 ई. से ही चीन के साथ तनाव बढ़ना शुरू हो चुका था।

(मेरी मुंबई मुख्य शाखा का भवन दक्षिणी मुंबई के फोर्ट इलाके में बसे सबसे भव्य तथा खूबसूरत भवनों में से एक है। 1924 में बना यह भवन मुंबई हेरिटेज स्ट्रक्चर ग्रेड-II में अधिसूचित है। अपनी स्थापना के करीब 23 वर्षों बाद बैंक ऑफ बॉम्बे का मुख्यालय 1863 ई. में इसी स्थान पर बनाया गया था। 1924 में बने इस भव्य भवन की आधारशिला तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर सर बार्टल फ्रेरी के द्वारा पूरे सैन्य सम्मान के साथ रखी गई थी। यह जानना भी रोचक होगा कि बैंक ऑफ बॉम्बे एलफिंस्टन सर्कल में बनने वाले आरंभिक भवनों में से एक था जिसको आज हॉर्नमन सर्कल के नाम से जाना जाता है, जिसे बॉम्बे क्रॉनिकल के स्वाधीनता संग्राम समर्थक संपादक बेंजामिन हॉर्नमन के नाम पर रखा गया है।)

चीन ने अफीम के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद ही इतिहास में बहुचर्चित 'अफीम युद्ध' का आरंभ हुआ। इससे नए बैंक के व्यापार पर बुरा असर पड़ा। बैंक ऑफ बॉम्बे को विदेशी मुद्रा के व्यापार की अनुमति नहीं दी गई थी। रेलवे तथा आवागमन के अन्य साधनों के विकास के साथ बंबई का व्यापार जल्दी ही कलकत्ता से आगे निकल गया और 1850 के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे को भी इन परिवर्तनों का लाभ मिला। यही कारण है कि 1841 में बैंक ने जहां 5 प्रतिशत लाभांश दिया था वह 1860 में बढ़कर 10 प्रतिशत तक पहुंच गया।

(बैंक ऑफ बॉम्बे द्वारा जारी दस रुपये का नोट। उन दिनों हिंदी और मराठी में नोट पर मुंबई ही छपा होता था। साभारः स्टेट बैंक अभिलेखागार, कोलकाता)

(फ्रामजी कोवासजी, 1840 में गठित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य)

बैंक ऑफ मद्रासः दक्षिण भारत में बैंकिंग की आधारशिला

बैंक ऑफ मद्रास ब्रिटिश भारत में स्थापित तीन प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक था। बैंक ने 1 जुलाई 1843 से तत्कालीन मद्रास में स्थापित मुख्यालय से कार्य करना शुरू किया। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की परिस्थितियां इससे पूर्व स्थापित प्रेसिडेंसी बैंकों 'बैंक ऑफ बंगाल' तथा 'बैंक ऑफ बॉम्बे' से थोड़ी भिन्न थी। इसकी स्थापना कई क्षेत्रीय बैंकों के विलय से हुई थी। मद्रास में क्षेत्रीय बैंक लंबे समय से काम कर रहे थे। 1805 ई. में गवर्नर विलियम बेंटिक की पहल पर भारत का पहला सरकारी बैंक 'मद्रास बैंक' के रूप में मद्रास में खुला। 1843 में जब 'बैंक ऑफ मद्रास' खुला तो इसमें 'मद्रास बैंक' (1805), 'कर्नाटक बैंक' (1788), 'ब्रिटिश बैंक ऑफ मद्रास' (1795) तथा 'एशियाटिक बैंक' (1804) का विलय कर दिया गया। इसकी शाखाएं दक्षिण भारत के सभी प्रमुख शहरों बंगलौर, कोयंबटूर, मंगलौर, कालीकट, तेलीच्चेरी, कोचीन, अलेप्पी, कोकानाडा, गुंटूर, मछलीपट्टनम, उटकमंड, नागापट्टनम तथा तूतीकोरीन के साथ तत्कालीन ब्रिटिश सीलोन (वर्तमान श्रीलंका) कोलंबो में भी खोली गईं।

मद्रास का व्यापार मौसमी किस्म का था। अगस्त से नवंबर तक बहुत कम व्यापारिक गतिविधियां होती थीं। वर्ष के बाकी बचे आठ महीने ही व्यापार और बैंकिंग के लिए अनुकूल थे। इसके साथ साल-दर-साल भी व्यापार की मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन होता रहता था। 1840 के दशक में दक्षिण भारत में मंदी का दौर बंगाल की अपेक्षा व्यापक था। मद्रास में एक और समस्या थी। यहां यूरोपीय व्यापारियों की संख्या बंगाल तथा बंबई के मुकाबले बहुत कम थी। कुछ चुनिंदा यूरोपीय व्यापारियों का व्यापार पर नियंत्रण था। इन व्यापारियों को यह भय रहता था कि अगर उन्होंने अपना संपूर्ण कारोबार बैंक के माध्यम से किया तो उनके व्यापार के राज सबके सामने खुल जाएंगे जिसका उनके व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इन सबका सम्मिलित प्रभाव मद्रास बैंक की गतिविधियों पर पड़ना लाजिमी था। बैंक ऑफ मद्रास बैंकिंग की संपूर्ण गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ दक्षिण भारत में सरकार के लिए कई बार केंद्रीय बैंक की भूमिका भी निभाता था। यहां से नोट भी जारी किए जा रहे थे।

1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास के विलय से इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक अपनी 70 शाखाओं के साथ भारत के सशक्त बैंक के रूप में उभरा। यह वाणिज्यिक बैंक होने के साथ, सरकार का बैंक और बैंकरों के बैंक की भूमिका भी निभा रहा था। आरंभ में इंपीरियल बैंक को विदेशी मुद्रा के कारोबार से अलग रखा गया था। रिज़र्व बैंक की 1935 में स्थापना के बाद विदेशी मुद्रा से संबंधित प्रतिबंध समाप्त हो गए। सुदूर क्षेत्रों में यह रिज़र्व बैंक की एजेंट की भूमिका में भी था। अपनी स्थापना से लेकर भारत के आज़ाद होने तक इंपीरियल बैंक ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

भारत की आज़ादी के बाद देश के समग्र आर्थिक पुनर्निर्माण विशेषकर गाँवों के आर्थिक विकास के अध्ययन के लिए गठित अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण सोसाइटी की सिफारिशों के आधार पर संसद में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 पास किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर इंपीरियल बैंक का अधिग्रहण कर 01 जुलाई 1955 से मैं अपनी 451 शाखाओं के साथ अस्तित्व में आया। मेरी पहुंच अखिल भारतीय थी। शहरी क्षेत्रों से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मेरी पहुंच ने वित्तीय साक्षरता और समावेशी विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। ग्रामीण ऋण की उपलब्धता और ग्रामीण जनता को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने में मेरी भूमिका रही है।

डिजिटल भारत का डिजिटल बैंक

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति ने बैंकिंग की तस्वीर भी बदल दी है। मैंने तकनीकी प्लेटफॉर्म पर भी अपना विस्तार किया है। मेरे तकनीकी विस्तार ने बैंकिंग को जन-जन के मोबाइल तक पहुंचा दिया है। ग्राहक के मोबाइल को ही बैंक की शाखा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

नकदी रहित अर्थव्यवस्था (कैश लेश इकॉनमी) की अवधारणा और इसके महत्व को मैंने भाँप लिया था। इसलिए प्लास्टिक मुद्रा के चलन को बढ़ावा देने में मैं शुरू से आगे रहा। यही कारण है कि आज देश भर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान के लिए मेरे तीन लाख से अधिक पॉस(POS) टर्मिनल लगे हुए हैं। अपने लाखों ग्राहकों के साथ मैं क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हूँ । आज देश भर में बैंक की आधुनिकतम बैंकिंग प्लेटफॉर्म से सुसज्जित 122 से अधिक एसबीआई इन टच शाखाएं 70 जिलों में कार्यरत हैं जहाँ ग्राहक आधुनिकतम तकनीक आधारित बैंकिंग का अनुभव प्राप्त कर रहा है।

मैं भारत का प्रथम और एकमात्र बैंक, ऐसे बैंक के रूप में जाना जाता हूँ जिसकी अपनी पेमेंट एग्रीगेटर सेवा है। एक बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मेरे 'एसबीआई ईपे' ने अब तक 40 से अधिक बैंकों के साथ ग्राहकों को निर्बाध इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करार किया है।

(मेरी इन टच शाखा)

ग्रामीण भारत के लिए नवोन्मेषी पहल

भारत की 64 प्रतिशत जनसंख्या आज कृषि पर आधारित है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों पर

समुचित ध्यान दिया जाए और इन क्षेत्रों में वित्त का प्रवाह पर्याप्त बना रहे। कृषि की उन्नत तकनीक, गैर-फार्म आधारित आय में वृद्धि, आवागमन के साधनों एवं सूचना-प्रौद्योगिकी विशेष कर मोबाइल तकनीक तक ग्रामीण जनता की पहुंच से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोग पैटर्न में लगातार बदलाव आ रहा है। आज भारतीय कृषि व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रही है। मैंने कृषि क्षेत्र को गति देने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों के अनुरूप तकनीक आधारित बैंकिंग उत्पाद बैंक ने उपलब्ध कराए हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को *रुपे कार्ड* जारी किए गए हैं जिससे वे एटीएम या पीओएस मशीनों से आवश्यकतानुसार 24X7 प्रयोग कर सकते हैं। 'प्रीमियम किसान गोल्ड कार्ड', 'तत्काल ट्रैक्टर ऋण', 'स्त्री शक्ति ट्रैक्टर ऋण' जैसे नवोन्मेषी कृषि उत्पाद इसी की कड़ियाँ हैं।

गैर-बैंकिंग सहयोगी/ ज्वांइट वेंचर

एसबीआई कैपीटल मार्केट लि., एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज लि., एसबीआई कैप वेंचर्स लि., एसबीआई कैप (यूके लि.), एसबीआई कैप ट्रस्टी कं.लि., एसबीआई कैप (सिंगापुर लि.), एसबीआई डीएफएचआई लि., एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि., एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि., एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि., एसबीआई पेंशन फंड प्रा.लि., एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा.लि., एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा.लि., एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्रा.लि., एसबीआई लाइफ इंस्योरेंस कंपनी लि., एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज लि., एसबीआई जेनेरल इंस्योरेंस कं.लि., सी-एज टेक्नोलॉजी लि., जीई कैपीटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि., मैक्वाइरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि., ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट लि., एसबीआई फाउंडेशन।

विदेशों में स्थित मेरे सहयोगी/ संयुक्त उद्यम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया), एसबीआई कनाडा बैंक, कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मास्को, एसबीआई मॉरीशस लि., बैंक एसबीआई इंडोनेशिया, नेपाल एसबीआई बैंक लि., बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि., बैंक ऑफ भूटान लि.

आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। इससे आर्थिक क्षेत्र में लगातार नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। मैं लगातार विकास की इस रोशनी को भारत के जन-जन तक पहुंचाने में कर्मरत हूँ।

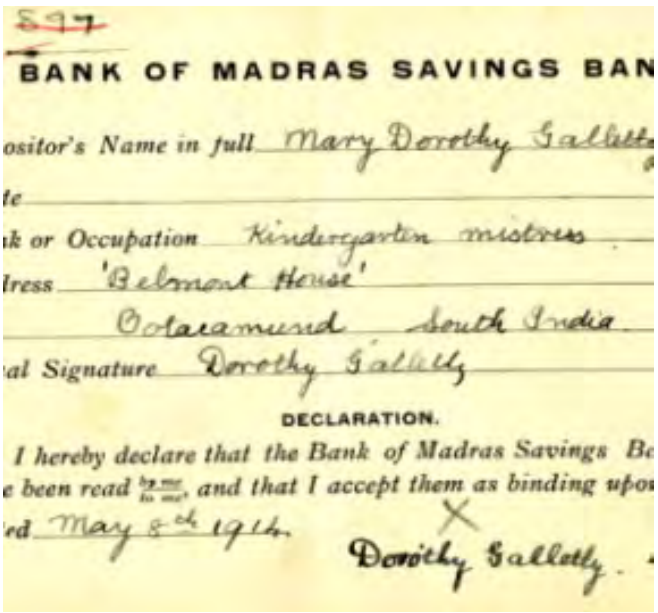

BANK OF MADRAS SAVINGS BAN

ositor's Name in full Mary Dorothy Galletly

k or Occupation Kindergarten mistress

lress 'Belmont House'

Ootacamund South India

al Signature Dorothy Gallelly

DECLARATION.

I hereby declare that the Bank of Madras Savings Ba

e been read to me, and that I accept them as binding upo

ed May 8th 1914. Dorothy Gallelly

(बैंक ऑफ मद्रास का बचत बैंक खाता फार्म तथा नमूना हस्ताक्षर कार्ड)

(बैंक ऑफ मद्रास द्वारा जारी 15 रुपये का नोट)

घूमता आईना

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन हुआ

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (इकनॉमिक अडवाइजरी काउंसिल टु प्राइम मिनिस्टर) का पुनर्गठन किया गया है। पांच सदस्यीय इस परिषद में प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया है। नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। बिबेक देबरॉय के अलावा डॉ. सुरजीत भल्ला, डॉ. रथिन रॉय और डॉ. आशिमा गोयल को इसका अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। जबकि नीति आयोग के प्रधान सलाहकार रतन वाटल को इसका सदस्य सचिव बनाया गया है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने डॉ. राजीव कुमार

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. राजीव कुमार को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने अरविंद पनगढिया का स्थान लिया है। अरविंद पनगढ़िया ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था कि उन्हें वापस अपने एकेडमिक कॅरियर में जाना है। डॉ.राजीव कुमार सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च के सीनियर फेलो रह चुके हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डी-फिल और लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। इससे पहले उन्होंने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के महासचिव के तौर पर भी काम किया है। वह वर्ष 2006 से 2008 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा डॉ. कुमार भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के मुख्य अर्थशास्त्री और एशियाई विकास बैंक, वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं।

के. सी. मालपानी
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी

फॉर्च्यून की "टाप-50 पावरफुल बिजनस विमन की सूची" में चंदा कोचर, शिखा शर्मा शामिल

फॉर्च्यून मैगजीन ने अमरीका के बाहर की सबसे पावरफुल बिजनेस विमन की सूची में आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर का नाम शामिल किया है। उनके अतिरिक्त इस सूची में एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा का नाम भी शामिल हैं। चंदा कोचर को इस सूची में 5वां और शिखा शर्मा

को 21वां स्थान मिला है। बांको सैनटैंडर ग्रुप की एग्जिक्यूटिव चेयरमैन ऐना बॉटिन को इस सूची में पहला स्थान मिला है। जबकि पेप्सिको की अध्यक्ष तथा सीईओ भारतीय मूल की इंदिरा नूई को अमरीका की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमेन की सूची में दूसरा स्थान मिला है। इस सूची में जनरल मोटर्स की अध्यक्ष तथा सीईओ मैरी बर्रा को शीर्ष स्थान मिला है।

'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य योजना) का शुभारंभ

प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए 16,320 करोड़ रुपये की 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' जिसे 'सौभाग्य योजना' के नाम से भी जाना जाएगा, का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत गांवों तथा शहरों दोनों ही जगहों पर 4 करोड़ परिवारों तक 31 दिसंबर 2018 के अंत तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के तहत 2011 के सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में दर्ज गरीबों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। जिन लोगों का नाम इस जनगणना में नहीं है वे भी 500 रुपये का भुगतान कर बिजली का कनेक्शन हासिल कर सकेंगे। इस राशि को 10 किस्तों में बिजली के बिलों के साथ लिया जाएगा।

इस योजना के तहत सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों में **बिजली से वंचित** आवासों को भी 200 से 300 वाट का सोलर पावर पैक और पांच एलईडी लाइटें, एक डीसी पंखा, एक डीसी पावर प्लग प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इन उपकरणों के लिए 5 साल तक मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा भी सरकार ही उठाएगी।

जानिए आधार कार्ड पंजीकरण से जुड़ी कुछ खास बातें

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने हाल ही में 49,000 आधार पंजीकरण केंद्रों को ब्लैक लिस्ट किया है। ये पंजीकरण केंद्र लोगों से तय शुल्क से अधिक राशि वसूल कर रहे थे। चूंकि आज आधार एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, ऐसे में हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम किसी ठगी का शिकार ना बनें। यदि आप अपने आधार की डिटेल्स में संशोधन/सुधार करवाना चाहते हैं या फिर नए आधार के लिए आवेदन करने के लिए किसी सेंटर पर जा रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रखें -

1. यूआईडीएआई की वेबसाइट पर यह स्पष्ट किया गया है कि नए आधार कार्ड के पंजीकरण के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी और यह पूरी तरह मुफ्त है। इसलिए आपको पंजीकरण केंद्र पर कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। (ब्लैकलिस्ट किए गए केंद्र आधार कार्ड को प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंटिंग के लिए 50 से 200 रुपये ले रहे थे। यूआईडीएआई के मुताबिक उसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आधार लेटर अथवा आधार ही पर्याप्त है।)

2. यूआईडीएआई वेबसाइट के मुताबिक यदि आप पंजीकरण केंद्र में जाकर अपना नाम, पता या बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सेवा प्रदाता को केवल 25 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे। बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करने के लिए आपको पंजीकरण केंद्र पर जाना ही होगा और इसके लिए शुल्क भी देना होगा। तथापि, आप नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि को ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। चूंकि इन सेवाओं की पुष्टि के लिए

ओटीपी जरूरी है, इसलिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना चाहिए। यदि यही काम आप ऑनलाइन करते हैं तो कोई फीस देने की जरूरत नहीं होगी।

3. यदि आपका आधार कोर्ड खो जाए तो आप इसे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। यूआईडीएआई की वेबसाइट: https://eaadhaar.uidai.gov.in पर यह सेवा नि:शुल्क उपलब्ध है।

4. यदि आपने आधार के लिए आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर दिया है, तो आपके आवेदन के नामंजूर होने की स्थिति में इसकी जानकारी एसएमएस से दी जाती है। ऐसा संभव है कि किन्हीं तकनीकी खामियों के चलते आपकी आधार रिक्वेस्ट नामंजूर हो जाए। इसलिए यदि आपका आवेदन नामंजूर हो जाए तो दोबारा पंजीकरण कराएं।

5. यदि आपको किसी आधार सेंटर की गतिविधियों पर शक हो कि वहां के कर्मचारी निर्धारित राशि से अधिक राशि की वसूली कर रहे हैं तो आप इसकी जानकारी यूआईडीएआई को help@uidai.gov.in पर ईमेल के जरिए साझा कर सकते हैं और यदि आपको प्रोटोकॉल या आवेदन शुल्क की जानकारी ना हो तो यूआईडीएआई हेल्पलाइन 1947 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने की अवधि बढ़ाई

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मध्यम आय वर्ग को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी के फायदे को अगले 15 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह स्कीम इस दिसंबर, 2017 को खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत मध्यम आय वर्ग के लोग आवास ऋण के ब्याज पर 2.60 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर 2016 के अपने भाषण में यह घोषणा की थी कि मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी आवास ऋण सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) का लाभ 31 दिसंबर 2017 तक लिया जा सकता है।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में मध्यम आय वर्ग के ऐसे लोगों को जिनकी सालाना आय 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच है उन्हें 9 लाख रुपये के 20 साल की अवधि वाले आवास ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आवास ऋण पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत है तो आपको इस योजना के तहत 8 प्रतिशत ही चुकाना होगा। इस योजना में 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगों को भी 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी मिलती है।

करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी जानकारियां करें अपडेट

आयकर विभाग ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं से अपनी निजी और महत्वपूर्ण जानकारियों को खुद अपडेट करने के लिए कहा है । करदाता अपनी अहम जानकारियां अपडेट करने का काम आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। आयकर विभाग ने

एक परामर्श जारी कर करदाताओं से कहा कि वे अपने ईमेल, मोबाइल फोन नंबर, पता और बैंक खाता जैसी जानकारियों को अपडेट करें। इसके लिए करदाता के मोबाइल नंबर पर एकबारगी इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा जिससे इन जानकारियों का सत्यापन हो जाएगा।

जिन लोगों ने पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है लेकिन अपना खाता सक्रिय नहीं किया है उन्हें फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत होगी। विभाग का मानना है कि इससे दोनों पक्षों के बीच बेहतर संवाद सुनिश्चित हो सकेगा।

जानिए आपका आधार बैंक खाते से लिंक हुआ है या नहीं ?

सरकार ने बैंकों समेत सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वे अपने ग्राहकों के आधार का सत्यापन करें और इसे उनके बैंक खातों से लिंक करें । सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2017 तक सभी बैंक खातों को आधार से लिंक करना होगा । इसीलिए आजकल बैंक अपने ग्राहकों को आधार को बैंक खाते से लिंक कराने के लिए मैसेज कर रहे हैं। हो सकता है कि अगली बार जब आप बैंक जाएं तो आपसे भी आधार लिंक करने के लिए कहा जाए। लेकिन अगर आपने बैंक में अपना आधार नंबर जमा करा दिया है और इसके बाद भी आपको आधार लिंक कराने का मैसेज आ रहा है तो आप एक बार खुद चेक कर सकते हैं कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक हुआ है या नहीं। इसके लिए -

1. सबसे पहले आधार की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाएं।

2- यहां पर 'Check Aadhaar & Bank Account Linking Status' लिंक पर क्लिक करें।

3- यहां अपना आधार नंबर और सिक्यूरिटी कोड दर्ज़ करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें ।

4- अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज़ करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।

5- लॉग- इन करने के बाद वेबसाइट पर एक पेज खुलेगा जिसमें बैंक लिंकिंग स्टैटस दिखेगा जिससे पता चल जाएगा कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं।

लेखकों से / पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें उसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। **लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :**

1. क. सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।
   ख. लेख में किसी सम-सामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।
   ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।
   घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।
   ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।
2. लेख में दिए गए **तथ्य, आंकड़े अद्यतन हों एवं उनके स्रोत के बारे में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।**
3. क. लेख न्यूनतम 5 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड में टंकित हों।
   ख. वह कागज के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।
   ग. यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों।
   घ. लेख यदि संभव हो तो यूनिकोड फांट में rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
4. यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. **लेखक अपने पत्राचार का पता, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।**
6. प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि **जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।**

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

सदस्यता फार्म

प्रबंध संपादक
बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
सी-9, दूसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदय,

मैं दो वर्ष के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता / चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री / श्रीमती / कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

_____

_____

केंद्र _____ पिनकोड _____

मो. नं. _____ टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ _____ निवास _____

फैक्स नं. _____ एसटीडी कोड _____

ई मेल पता _____

दिनांक _____/_____/_____

भवदीय / या

(हस्ताक्षर)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिंदी पुस्तक

'बैंकिंग कल, आज और कल'

मूल्य : 300/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता -

मै. आधार प्रकाशन प्रा.लि.
एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकूला - 134 113
(हरियाणा)

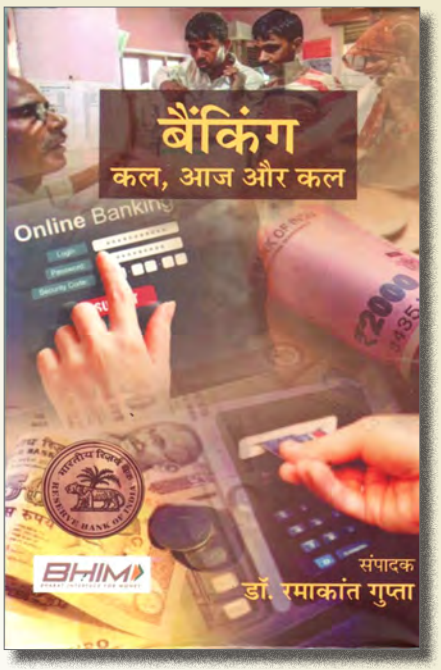

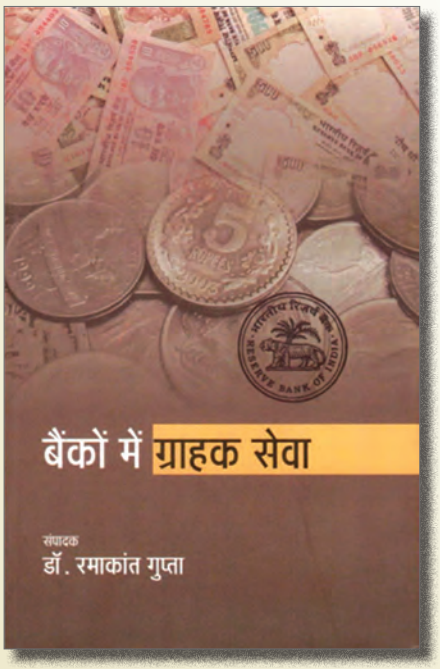

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिंदी पुस्तक

'बैंकों में ग्राहक सेवा'

मूल्य : 500/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता -

मै. आधार प्रकाशन प्रा.लि.
एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकूला - 134 113
(हरियाणा)

पंजीकरण संख्या - 47043 / 88

क्या आपके पास इंटरनेट की सुविधा वाला स्मार्ट फोन है?

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्लेटफार्म पर जाकर डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें।

यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इंटरनेट सुविधा वाले मोबाइल फोन का उपयोग कर दो बैंक खातों के बीच धन का लेन–देन किया जा सकता है।

आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यदि...

- आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो।
- आपके पास एक एटीएम/डेबिट कार्ड हो।

आप भीम (BHIM) ऐप, अन्य बैंकों के ऐप अथवा किसी तीसरी पार्टी के ऐप के द्वारा यू.पी.आई. (UPI) का प्रयोग कर, लेनदेन कर सकते हैं उदाहरण के लिए भीम ऐप में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

1. भीम ऐप डाउनलोड करें।
2. ऐप खोलें, एक एस.एम.एस. आपकी डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए भेजा जायगा।
3. अपना लॉगिन (Login) पासवर्ड बनाएँ और लॉगिन करने के बाद बैंक खाता का चयन करें।
4. आपका मोबाइल नंबर ही आपका वर्चुअल पेमेंट ऐड्रेस (वी.पी.ए.) अथवा यू.पी.आई. आई.डी. होगा।
5. **यू.पी.आई. पिन बनाने के लिए निम्नांकित संकेतों का प्रयोग करें**
   - एटीएम कार्ड के अंतिम 6 अंक
   - एटीएम कार्ड की वैध अवधि की समाप्ति का माह और वर्ष
   - आपके मोबाइल पर प्राप्त ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड)

- अपने यू.पी.आई. पिन के प्रयोग द्वारा आप किसी भी लाभार्थी को केवल उसके वर्चुअल ऐड्रेस के आधार पर निर्बाध रूप से धन का लेन–देन कर सकते हैं।
- यदि लाभार्थी के पास कोई वर्चुअल ऐड्रेस नहीं है, तो आई.एफ.एस.सी. और खाता संख्या के द्वारा भी धन के लेन–देन की सुविधा उपलब्ध है।

त्वरित एवं तत्काल ट्रांसफर की चौबीसों घंटे (24X7) सुविधा।

UPI

भारतीय रिज़र्व बैंक
www.rbi.org.in